राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार

2 मार्च, 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। क्या विचार है, प्रतिपक्ष के नेता? क्या विचार है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका आशीर्वाद है।

श्री अध्यक्ष: मैं अभी बैठते ही तो प्रश्न काल चालू करूंगा। इसलिए पहले ही पूछ लूं कि श्रीमान् का क्या विचार है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजें पहले।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके फूलों के हटने से तिवाड़ीजी भाई साहब बहुत राज़ी हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

संविदाकर्मियों के नियमितीकरण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

25. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया व उसमें अन्य कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) (मुख्यमंत्री के स्थान पर): (1) मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा दिनांक 2.1.2014 द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/नियमितीकरण करने तथा सेवा में भर्तियों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिए जाने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन निम्नानुसार किया गया था:-

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग - अध्यक्ष

2) श्री युनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग - सदस्य

(3) श्री अजय सिंह, राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग - सदस्य

(4) शासन सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य सचिव

इसके पश्चात् आदेश दिनांक 29.01.2015 द्वारा कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श कर अपनी अभिशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने हेतु इस उप समिति को अधिकृत किया गया।

आदेश दिनांक 13.01.2016 द्वारा इस उप समिति में डा. दिगम्बर सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

विवरण परिशिष्ट- 'अ', 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(2) उक्त समिति की अब तक 5 बैठकें क्रमश: दिनांक 7.08.2014, 19.01.2016, 21.01.2016, 15.02.2016 तथा 26.02.2016 को हो चुकी हैं।

(3) उक्त उप समिति ने दिनांक 07.08.2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आयुर्वेद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभिशंसा की गयी थी। तत्सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट- 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

7.08.2014 की जो रिपोर्ट आपने परिशिष्ट – 'द' पर प्रस्तुत की है, मेरा निवेदन है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद में, स्वास्थ्य में और पंचायती राज में किन-किन पदनाम के संविदाकर्मियों का अब तक नियमन हो चुका है और उनकी संख्या कितनी है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समिति ने 7.08.2014 को जो निर्णय लिये, वे दो निर्णय थे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, आयुर्वेद विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के अनुभव के अधिकतम बोनस अंक 15 अर्थात् 5, 10 व 15 (10, 20, 30 के स्थान पर) निर्धारित करते हुए भर्ती की प्रक्रिया में अग्रिम कार्यवाही की जाए।

दूसरा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस लिया जाए। आयुर्वेद विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के निर्णय को वापस लिया जाए। ये दो निर्णय किये।

जो आपने पूछा कि कितने लोगों को आपने लगाया; पहला- आयुर्वेद का, राज्य सरकार ने एन.आर.एच.एम., मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, आदि के तहत चिकित्सा अधिकारी, नर्स, कम्पाउंडर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों को अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक, संख्या बता रहा हूं, इसकी अनुपालना में अब तक 1,170 आयुर्वेदिक, 143 यूनानी तथा 128 होम्योपेथिक चिकित्सा अधिकारी और 282 ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा 313 आयुर्वेद नर्स कम्पाउंडर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

नम्बर दो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग- संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सीधे ही नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है। नियमितीकरण का जो आपने पूछा, नियमितीकरण करने का सीधा कोई प्रावधान कानून के तहत नहीं है। विभाग के विभिन्न पदों हेतु विज्ञापित 22,852 पदों की भर्तियों के आवेदन करने वाले 13,694 संविदाकर्मियों में से 10,825 कर्मियों का चयन हुआ है तथा 2,869 कर्मी नियुक्ति से वंचित हैं। इन नियुक्ति में किए गए संविदाकर्मियों में 6,725 नर्स श्रेणी-द्वितीय, 3,544 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 529 प्रयोगशाला सहायक, 14 नेत्र सहायक और 13 लैब टेक्निशियन हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

2.09.2013 को खण्ड पीठ में रेफर किया गया इस केस को, इस आधार पर कि सरकार ने 10, 20, 30 अंक देकर इनको रेगुलाइज करने के लिए कहा। यह खण्ड पीठ में गया। खण्ड पीठ में 26.09.2013 को बोनस अंक की अधिकतम सीमा 15 तक निर्धारित कर दी; 30 के बजाय 5, 10, 15 के आधार पर 15 ।माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 33653/13 दायर हुई, सरकार गयी कि नहीं, 10, 20, 30 का ही रखकर इनको नियुक्ति दी जाए।

गठित मंत्रिमण्डलीय समिति की अनुशंसा 7.08.2014 के आधार पर विभाग ने माननीय मुख्य मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त कर, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. 5.01.2015 को विभाग द्वारा विथड्रा की, वापस।

इसके बाद एक वर्ष की सेवा पर 5, दो वर्ष की सेवा पर 10 तथा तीन वर्ष या अधिक वर्ष की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक दिये जाने के सम्बन्ध में 28.01.2015 को आदेश जारी किये गये। इस आधार पर 5, 10, 15, अधिकतम 15 बोनस अंक का लाभ दिया जाकर, दिनांक 10.02.2016 को विभिन्न पदों पर कार्यरत 10,825 संविदाकर्मियों को नियुक्ति दे दी गयी। 2,869 संविदाकर्मियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी, क्योंकि वे मेरिट में नहीं हैं। अन्य विभिन्न प्रबंधकीय लेखा और सुपरवाइजरी पदों पर, एन.आर.एच.एम. में लगभग 3,400 संविदाकर्मी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रहे हैं।

यह सारी जितनी संख्या आपने बताई, आयुर्वेद में और चिकित्सा विभाग में, जिनको हमने नियुक्ति अब तक एस.एल.पी. विथड्रा करने के साथ और मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णय लेने के बाद, उनको हम नियुक्ति दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न- दो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियुक्तियां 7.08.2014 के फलस्वरूप डाक्टरों की की गयीं, नर्सों की की गयीं, वे अपनी जगह पर बहुत सही हैं। आपने जी.एन.एम. और ए.एन.एम. की नियुक्तियां, वह जो दस हजार, जो भी फिगर आप फरमा रहे हैं, वे जो नियुक्तियां की गयीं, वे भी सही हैं। मेरा निवेदन है कि जब आपने एन.आर.एच.एम. के पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्तियां दी हैं, तो जो बचे हुए नान-पैरामेडिकल स्टाफ के लेखाकार, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर, पी.एच.सी. हैल्थ सुपरवाइजर, ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर, कम्प्यूटर आपरेटर, ये जो कार्यरत थे,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनमें से एक की भी नियुक्ति नहीं हुई है। कल ही उनका एक डेलीगेशन, हजार-दो हजार लोगों का, माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब से मिला है, अशोक परनामी साहब से मिला है।

मेरा निवेदन है कि सरकार 5, 10, 15 के आधार पर जितनी नियुक्तियां कर चुकी है, वे सही हैं लेकिन सरकार ने जब वह, यही सरकार, 2008 में प्रबोधक भर्ती के नियम लागू करके 24 हजार शिक्षाकर्मियों को नियमित किया था, जो परम्परा इस सरकार की रही है; मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसी के अनुसार यह जो नान-पैरामेडिकल स्टाफ है एन.आर.एच.एम. में और फिर उसके अलावा विद्यार्थी मित्रों का सवाल है, शिक्षाकर्मियों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में भी क्या इस कमेटी ने कोई विचार किया? जो पदनाम पुरानी सरकार ने बाकायदा वित्तीय स्वीकृतियां लेकर और अलग-अलग वर्गों के अलग-अलग पद सृजित कर दिये थे, उन सृजित पदों के विरुद्ध जो लोग 2007-08 से काम कर रहे हैं, लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर, ब्लाक हैल्थ प्रोग्रामर, इनके नियमन के बारे में, इनको भी समायोजन के लिए आप नये नियम बनाकर उनका समायोजन करें। वह कब तक हो जाएगा?

आखिर तो मुख्य मंत्रीजी ने कमेटी 2.1.2014 को बना दी थी, इस सरकार की जीत के साथ ही बना दी थी; 8 दिसम्बर को जीत हुई, 2 जनवरी को कमेटी बना दी। इसमें एक ही इफेक्टिव काम हुआ है 7.8.2014 को और उसके बाद तो इसकी मीटिंग जनवरी, 2016 और फरवरी, 2016 में दो बार हुई हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बचे हुए संविदाकर्मियों के बारे में जो अपना घोषणा पत्र है कर्मचारी कल्याण के लिए, आप ही के द्वारा लिखा हुआ है, आप अध्यक्ष थे कमेटी के, जनता जल योजनाकर्मी, प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैरा-टीचर्स, मदरसा पैरा-टीचर्स, शिक्षाकर्मी, अब काफी लम्बा है, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मेरा निवेदन है कि यह जो कुछ भी लिखे गये 21 तरह के संविदाकर्मियों के बारे में, उनके बारे में भी यह कमेटी कब तक विचार कर लेगी? और मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि नान-पैरामेडिकल स्टाफ एन.आर.एच.एम. का है, उसको हम कब तक नियमित कर देंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो नान-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में आप कह रहे हैं, इनके जो पद थे वे पद पहले ही समाप्त हो गये थे और समाप्त होने के कारण से उन पदों पर नियुक्ति नहीं मिली। पद तो एन.आर.एच.एम. में भी समाप्त हुए, लेकिन फिर भी हमारे पास जो रिक्त पद थे, उनको एडजस्ट करते हुए हमने 6 हजार से अधिक लोगों को एडजस्ट किया। अभी भी जो लोग इस बारे में हैं कि हम सेकण्ड ग्रेड में नर्स के रूप में सलेक्ट होने चाहिये, उनका जिस समय यह सलेक्शन हुआ था, उनका केवल एक साल का एक्सपीरियंस था और इसके कारण से, उनको पांच अंक मिलने के कारण से वे उससे वंचित रहे। अब जब कभी भी वैकेन्सी जारी होंगी तो उनको तीन साल का एक्सपीरियंस का लाभ मिलकर के उनमें से अधिकांश लोग भी अपने आप उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि वे पोस्टें ही समाप्त हो गयीं, इसलिए उनको नहीं मिलीं।

यह जो ग्रामीण विकास का आपने बताया, विशेषकर शिक्षा मित्र का, इसमें कई उलझने आईं। क्योंकि इसमें दसवें महीने 2013 में हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, वे गये तो थे किसी रिलीफ के लिए कि हमको नियमित किया जाये और हमको यह सैलेरी दी जाये, लेकिन उन्होंने आदेश में बिलकुल उनको सेवा से पृथक करने का आदेश कर दिया। उस आदेश के कारण से उन सब लोगों को एक तरह से सेवा से पृथक पिछली गवर्नमेंट के समय अक्टूबर महीने में उनका हुआ। हम लोगों ने उनको किसी तरह से नियमित करने का प्रयत्न किया और इस कमेटी ने भी, इस कमेटी में मैं भी था, उसमें हमने यह निरन्तर प्रयास किया कि किसी भी तरह से कानून के परव्यू में लाकर इनको काम पर लिया जाए। तो फिर इसको शिक्षक सहायक या विद्यालय सहायक के रूप में हमने एडवटाईज किया 33 हजार पदों का और 7 लाख बच्चों ने इस नौकरी के लिए इसमें एप्लाई किया। लेकिन फिर इनमें से ही कुछ लोगों ने जाकर कोर्ट में इसको रोक दिया और उसके कारण से वह प्रक्रिया बंद हो गयी। फिर भी हमने अभी तक इसको छोड़ा नहीं है। अभी भी हम और हमारी सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि इन बच्चों को किसी भी तरह से हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं कानून में रहते हुए, उसके लिए प्रयत्नशील हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कानून के फ्रेम में हम इसको बिठा पाते हैं और कोर्ट-कचहरी से कैसे बच सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर इसके लिए प्रयत्नशील हैं।

अगर आप चाहें तो यह जो 11.3.13 द्वारा महानरेगा योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के संविदा पर कार्यरत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर्मियों को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के एक वर्ष से अधिकतम तथा दो वर्ष, वही 10-20-30 वाला इसमें फिर चैलेंज हुआ और चैलेंज होने के बाद इनमें से कुछ बच्चों को, मैं इसीलिए डिटेल पढ़ रहा हूं ताकि विषय की सारी पेचदगी हरेक को ध्यान में आ जाये कि हमारी मंशा तो मदद करने की है और उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन कानून में....।

यह कनिष्ठ लिपिकों के नवसृजित पदों में से 19 हजार 515 पदों को भरने हेतु समस्त जिला परिषदों को आबंटित पदों को माह फरवरी, 2013 में समस्त जिला परिषदों के लिए पिछली सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी। 14.6.2013 और 24.6.2013 को वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित किये गये एवं कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाकर पंचायत समिति आबंटित की गयी। सम्बन्धित विकास अधिकारियों द्वारा आबंटित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज का सत्यापन किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये, जिसकी अनुपालना में 7,790 कनिष्ठ लिपिकों द्वारा कार्यग्रहण किया गया, जिनमें से वर्तमान में 7,765 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत थे। इसी दौरान बोनस अंकों को लेकर याचिका हुई। वही पिछली याचिका हाई कोर्ट में हुई और उन्होंने कहा कि यह 10-20-30 अंक आप नहीं दे सकते हो। यह 4144/13 अर्चना बनाम राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी, जिसमें दिनांक 15.7.13 को पारित आदेश द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा खण्ड पीठ में फिर अपील 630/13 दायर की गयी। उक्त अपील में लार्जर बेंच द्वारा दिनांक 25.5.13 को पारित निर्णय में बोनस अंक की अधिकतम सीमा 15 निर्धारित कर दी। फिर सरकार इसके अंगेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चली गयी। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 8.10.13 को एस.एल.पी. दायर की गयी। उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच के आदेश से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भी, व्यक्तिगत तौर पर बच्चों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छह अपील दायर कीं, एस.एल.पी. दायर कीं, जो अभी तक एक तरह से पेंडिंग हैं।

रोजगार सहायकों, उसमें उन्होंने दो आदेश दिये, जो लग गये बच्चे 7,765 या 70, उनको आप नहीं हटायें और बाकी जब तक इस एस.एल.पी. का निर्णय नहीं हो तब तक इसके आधार पर आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को रोक दें। उसके कारण से वह प्रक्रिया वहीं से रुकी हुई है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब उसके बाद में हमने यह जो कमेटी बनी, इसमें निर्णय लिया था कि एस.एल.पी. विथड्रा कर ली जाये। जब हमने उसको कंडिशनल विथड्रा के लिए एप्लिकेशन लगाई, तो कोर्ट ने ना कर दिया कि कंडिशनल विथड्रा नहीं हो सकती। उसके कारण से वह आज भी पेंडिंग है।

हम कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी मंशा है, हमारी मंशा भी है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कानून के तहत हमको किस तरह से रास्ता बनेगा, इसके लिए कमेटी अभी भी विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक प्रश्न और है, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, देखिये, दो प्रश्न हो चुके हैं आपके। अब मैंने उनको पुकार लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप कृपा करके एक और करने दें।

श्री अध्यक्ष: वे कर लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, जो मैं करूंगा, वह नहीं करेंगे। वे अलग करेंगे, मैं अलग करूंगा। मुझे आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप कर लीजिये। इम्पोर्टेंट मसला है, इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, हाई कोर्ट ने आखिर में कहा है 5-10-15 के आधार पर आप इनका समायोजन कर सकते हैं। बोनस अंक 5-10-15 हैं। उसी फैसले में हाई कोर्ट ने क्या यह नहीं कहा हुआ है कि सरकार विशेष परिस्थितियों इसको 10-20-30 भी कर सकती है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह नहीं है न। मैं निवेदन करता हूं कि नरेगाकर्मियों में जो भर्ती हुई है, वह 10-20-30 अंक के आधार पर हुई है और वे लोग आज भी सरकारी सेवा में हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हर सेवा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नरेगाकर्मियों के मामले में 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नरेगाकर्मियों में 10-20-30 वाले अभी चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): न ही वह मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में भी वह मामला नहीं गया था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, मैं तो यही कह रहा हूं कि 10-20-30 वाले भी सरकारी नौकरी में हैं।

आप बात सुनें। राज्य सरकार को, यह जितनी बड़ी-बड़ी समस्या है, आपने जी.एन.एम. और ए.एन.एम. की नियुक्तियां दी हैं 10 हजार से ऊपर, उससे गांव-गांव में जो हैल्थ सर्विसेज थीं, वे रेस्टोर हुई हैं और उसके द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को देने में सफल हुई है। जब तक नियुक्तियां नहीं हुई थीं, तब तक सारे गांव खाली थे स्वास्थ्य सेवाओं से।

ये जितने भी पद हैं, खास तौर पर जब आपने जी.एन.एम. और ए.एन.एम. का किया है नान-पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि 10.07.2013 को पिछली सरकार ने बाकायदा पद क्रीएट किये हैं और फाइनेंस की स्वीकृति से किये हैं। यह बात माननीय राजेन्द्र राठौड़जी के ध्यान में भी है और नहीं है तो वे 10.07.2013 का राज्य सरकार का आर्डर मंगा कर देख सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसमें कम्प्यूटर आपरेटर, समन्वयक प्रोग्राम के 662 पद हैं, क्लीनिकल अभिलेख सहायक के 4,309 पद हैं। ये सारे पद के जो लोग हैं वे आज भी उनकी नियुक्तियों के इन्तजार में हैं।

मेरा निवेदन है कि इसमें राज्य सरकार और यह राजेन्द्र राठौड़ समिति है, मैं मुख्य मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूं कि इस कमेटी को और सशक्त करें और इस कमेटी से छह महीने के अन्दर समयबद्ध तरीके से सभी संविदाकर्मियों के लिए रिपोर्ट मांगें। जो यह नान-पैरामेडिकल स्टाफ का सवाल है एन.आर.एच.एम. में, इसको तो आप महीने भर में करें, क्योंकि इसमें कोई बड़ी लम्बी-चौड़ी बात नहीं है और जितने भी लोग, जो एन्टाइटल्ड हैं, नियमों के अनुसार ही भर्ती हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें नान-पैरामेडिकल स्टाफ में एक महीने में और बाकी सब संविदाकर्मियों में तीन महीने, छह महीने की अवधि में इस सरकार की हाई पावर कमेटी के द्वारा और नये नियम बना कर हो।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय मंत्रीजी, आप खास तौर से प्रबोधक भर्ती नियमों को देखें। सरकार के राजेन्द्र राठौड़ साहब और युनुस खानजी, जो इस हाई पावर कमेटी के मेम्बर हैं, वे भी उसको देखें। प्रबोधक भर्ती में 24 हजार लोगों को यदि राहत दी गयी है तो आज भी नियम बनाकर हजारों लोगों को राहत दी जा सकती है। यह मेरा आपसे निवेदन है और इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो आपकी भावना है वह भावना हमारी भी है, हर प्रकार से, इनकी कैसे मदद हो, लेकिन यह 10-20-30 सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे है और इसके कारण से उसके आधार पर भर्ती आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन उन बच्चों को, जो पहले हमने सलेक्ट कर लिये 10-20-30 के आधार पर, 7,760 लोग, उनकी नौकरी को यथावत रखने के लिए भी बहुत प्रयत्न करके कोर्ट को किसी तरह से कन्विंस किया और उसके कारण से वे आज भी यथास्थिति में हैं। कोर्ट ने निर्णय अगर 10-20-30 के अगेंस्ट कर दिया तो इन 7,000 के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके कारण से उसके आधार पर आगे निर्णय करना तो सम्भव नहीं है।

सदन है, जैसा हमारी कमेटी के भी मेम्बर हैं, यदि हम 5, 10 और 15 के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहें और कोर्ट से भी हम जो एस.एल.पी. थी उसको विथड्रा करना चाहें, तो, हो सकता है, इसमें कुछ लड़कों को तो सहायता मिल जायेगी, पर कुछ लड़के जो 10-20-30 के इन्तजार में बैठे हैं उनको बाहर होना पड़ेगा। अभी तक इस कारण से इस पसोपेश में हैं कि एस.एल.पी. को टोटल विथड्रा करें, या जैसी स्थिति है, उसको चलने दें।

तो मैं चाहता हूं माननीय सदन के सब सदस्यों से भी कि वे भी अपनी एक राय बनाकर, अगर हम इस बात पर हैं कि जो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दे रखा है 5-10-15 का, यदि उसको मानते हुए जो भी विद्यार्थी उसमें आ जाते हैं, उनका अगर चयन करने के लिए आपकी मानसिकता बनती है तो रास्ता एकदम कानूनी खुल जाता है, लेकिन अगर आप वो ही 10, 20 और 30 के आधार पर करना चाहें, तो कोर्ट ने रोक रखा है, हम कर नहीं सकते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग, जैसे आप प्रबोधक के बारे में कह रहे हैं, हमने कोशिश तो यही की थी कि इन शिक्षक सहायकों को भी उसी तरह से लेकर करें लेकिन क्योंकि कोर्ट ने हमारी उस सारी प्रक्रिया को रोक दिया है। इसलिए अब हम फिर वापस अध्ययन कर रहे हैं कि कोई ऐसा नया रास्ता बन सकता है क्या जिसके आधार पर इनकी मदद हो सकती है। हमने अभी तक अपनी तरफ से यह काम छोड़ा नहीं है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उन सब बच्चों के हितों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर हमारे लिए क्यों कहते थे? (व्यवधान) हमारे लिये क्यों कहते थे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) पूछना आप अलाउ कीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। आपको परमिशन नहीं दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर हमारे लिए क्यों कहते थे?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी मेरी बिना अनुमति बोले हैं, अंकित नहीं होगा। आप बैठिये। मैंने उनका अंकित नहीं होने दिया।

भिण्डा साहब, बहुत लम्बा समय लग गया। और कुछ विशेष पूछना है क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष: आ गया। ठीक है। श्री नन्दकिशोर महरिया। (व्यवधान) नो, अभी नहीं। आपको नहीं दिया। श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों के बारे में था, जिसका उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्षः आ गया। ठीक है। श्री गोतम कुमार। (व्यवधान) अगला प्रश्न।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रश्न का उत्तर तो आ चुका है लेकिन लगभग साल भर से विद्यार्थी मित्र अपने घर पर बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने सात-आठ सालों तक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहुत समय हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मेरा निवेदन है कि इतना महत्वपूर्ण मसला है....

श्री अध्यक्षः बहुत समय दे दिया मैंने। देखिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें। अगर आप इसके ऊपर एक आधे घंटे की चर्चा अलाउ कर दें तो और सब का व्यू-पाइंट आ जायेगा।

श्री अध्यक्षः आप मूव कर दीजिए, then I will consider it. आप मूव कर दीजिए। श्री बनवारी लाल सिंगल। ...(व्यवधान) वह आ गया।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): वे घर पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा-सा इस पर गम्भीरता से विचार होकर के ...

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही लगभग एक हजार विद्यार्थी मित्र हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। अब हो गया, सब आ गया। श्री बनवारी लाल सिंगल।

अलवर जिले में अपराधों पर नियंत्रण की कार्ययोजना

26. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश में गत पांच वर्ष के मुकाबले अपराधों की संख्या में कमी आई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अलवर जिले में भी गत पांच वर्षों के मुकाबले वर्तमान दो वर्ष में अपराधों में कमी दर्ज की गयी है? यदि हां, तो कितनी? वर्षवार एवं अपराधवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्ष में अलवर जिले में अनेक हत्याएं व बड़ी आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया गया एवं आगामी क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, आपको ही जवाब देना है। (व्यवधान) आप मूव कर दीजिए। आधा घंटे की चर्चा मूव करो।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): अध्यक्ष महोदय, (1) पिछले पांच वर्ष (वर्ष 2009 से 2013) एवं वर्ष 2014 एवं 2015 में भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की संख्या एवं पूर्व वर्षों की उनकी तुलना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर तथा जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। राज्य में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में आई.पी.सी. के कुल अपराधों में 14.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की तुलना में, वह 2012 से 2013 था, यह 2013 से 2014 में वृद्धि तो हुई है पर 7.2 हुई 14.7 की जगह, प्रतिशत की वृद्धि हुई; जबकि वर्ष 2015 में वर्ष 2014 की तुलना में माइनस 5.8, अपराध कम हुआ है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्रीजी आंकड़े पेश कर रहे हैं और थाने में लोग एफ.आई.आर. नहीं लेते हैं। ग्राफ कम हुआ है, ग्राफ कम हुआ है, किस बात का हुआ है? थाने में थानेदार एफ.आई.आर. नहीं लेता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। शांति रखें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो एफ.आई.आर. कराने के लिए जाता है उनको ही उठाकर वे थाने में बैठा देते हैं। आप कह रहे हैं कि ग्राफ कम हुआ है, कैसे ग्राफ कम हुआ है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। शांत रहिये। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। जवाब आने दीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले थाने में जाकर थानेदारों के लिए कोई आदेश करें कि वे थाने में एफ.आई.आर. लिया करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): थाने में एफ.आई.आर. करने के लिए जाते हैं ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब अंकित नहीं होगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो। (व्यवधान) ये भी मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): फिर आप सप्लीमेंट्री पूछना, चाहे जो पूछ लेना। आपको सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है। मैं ना थोड़ी कह रहा हूं। आप जो चाहो।

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (2) अलवर जिले में पिछले पांच वर्षों में (2009 से 2013) एवं वर्ष 2014 एवं 2015 में भारतीय दंड संहिता के अपराधों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। अलवर जिले में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 22.29 परसेंट वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की तुलना में माइनस 13.18 प्रतिशत की कमी आई और वर्ष 2015 में वर्ष 2014 की तुलना में माइनस 6.4 प्रतिशत की कमी आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। मंत्रीजी का जवाब सुनिये। आप बैठिये। आप बैठिये। बैठिये। शांति से जवाब सुन लीजिए।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (3) अलवर जिले में हत्या के वर्ष 2014 में 104 एवं वर्ष 2015 में 112 प्रकरण घटित हुए। अलवर जिले में घटित अन्य आपराधिक घटनाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण के लिए जिला पुलिस द्वारा प्रभावी गश्त व्यवस्था, सुदृढ़ नाकाबंदी, प्रभावी कार्यवाही, महिला सुरक्षा/आत्म रक्षा हेतु प्रशिक्षण, हाई-वे पैट्रोलिंग, केस आफिसर स्कीम, निरोधात्मक कार्यवाही, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही के कारण से अपराधों में कमी आयी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डकैती कितनी बढ़ी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): है, सब है, बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां, मैं बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, पूरक प्रश्न एक। आप पूरक प्रश्न पूछिये, बताइये मत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बनाने लायक आपको बनाया ही नहीं ना; पूछने लायक बनाया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके चिट्ठे खोल देता हूं। आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को...

श्री अध्यक्ष: चिट्ठा मत खोलिये। आप प्रश्न पूछिये रेलेवेंट।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह गृह मंत्रालय ने दिया है, मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अलवर से तिजारा जाना, भिवाड़ी जाना और वापस आना, लोग घर पर यह कहकर जाते थे कि वापस आ जायें तो समझना ...(व्यवधान) आज अपराधों में इतनी कमी आई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार की मुख्य मंत्री को,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह पूरक प्रश्न नहीं है आपका।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्रीजी को ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डकैती कितनी बढ़ी? अपराध कितने बढ़े? पूरक प्रश्न पूछिये आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कितने अपराध बढ़े थे आपके राज में ...(व्यवधान) प्रश्न की ही बात कर रहा हूं, प्रश्न की।

श्री रमेश (सपोटरा): 10 बलात्कार और 15 चोरियां प्रतिदिन हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह उत्तर है मेरे हाथ में। मैंने तुलनात्मक आंकड़ा पूछा है और तुलनात्मक आंकड़े में कितनी कमी आई है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आनंदपाल जैसा अपराधी खुले आम ... (व्यवधान) आपका गृह मंत्री कहता है, मैं आनंदपाल हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप भी कापी निकाल लो इसकी। शर्म आनी चाहिए, 2008 से 2013 तक किस प्रकार से अपराध बढ़े। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपके चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने जिला बरबाद करके रख दिया। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): क्या बात कर रहे हो। (व्यवधान) कौनसा अच्छा काम कर दिया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर से भिवाड़ी कोई जा नहीं सकता था और चला गया तो जिन्दा आ नहीं सकता था। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री ने कम से कम लोगों के आवागमन को, लोगों के जीवन को सुगम बनाया है। इसमें काहे को पौं-पौं करते हो? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): टेबल ठोकने के लिए आये हो। टेबल ठोको आप तो।

श्री रमेश (सपोटरा): इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मिर्ची लगने का काम नहीं है, कागज का काम है यह। (व्यवधान) जबरदस्ती में। आपके समय में भी पूछा था, अलवर जिला अपराध में राजस्थान में नम्बर वन हुआ था। (व्यवधान) वह भी विधान सभा में प्रश्न रखा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अपराध में नम्बर एक पर है अलवर जिला। (व्यवधान) 7 दिन के अन्दर सिटी में 2-2 मर्डर, लूटपाट और 5 दिन के अन्दर 2-2 मर्डर हुए हैं। एक नम्बर पर है। (व्यवधान) कानून-व्यवस्था बिलकुल नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): खुद ने अपराधों को सपोर्ट किया। (व्यवधान) सबसे ज्यादा अपराध मेवात में हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सिटी में मर्डर हो रहे हैं ...(व्यवधान) लूट हो रही है ...(व्यवधान) बाहर नहीं निकल सकते हैं ...(व्यवधान) आंकड़े उठाकर के देख लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपके समय में अपराध बढ़े। (व्यवधान) दुर्रु मियां ने सपोर्ट किया। (व्यवधान) दुर्रु मियां ने अपराधियों को सपोर्ट किया। ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): तहस नहस करके रख दिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या दिखाओगे, यह पूरी बुकलेट भरी हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लूट के आंकड़े, लूट के आंकड़े ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): विधान सभा प्रश्न के उत्तर में मिला है (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2-2 अपराधी तो सदन में भी बैठे हैं। (व्यवधान) 2-2 अपराधी तो सदन में भी बैठे हैं, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमें इस तरह से दबा नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, 2-2 अपराधी तो सदन में बैठे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, 7-7 दिन में 2-2 मर्डर, 5 दिन में 2-2 मर्डर हो रहे हैं। कौनसे अलवर जिले की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कौनसे आंकड़े की बात कर रहे हैं, पूछना चाहती हूं। (व्यवधान) दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर जिले की बात कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हां, आपका पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, बोलने का भी आपका अधिकार है और यहां अपनी बात रखने का भी अधिकार है लेकिन बात इस ढंग से रखिये कि जो यहां रिकार्ड भी की जाये और बाहर भी जाये। अब यह जितना भी 5-10 मिनट में आप बोले, मेरी भी समझ में नहीं आया, तो रिकार्ड कैसे होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि एक-एक बोलें, मेरी परमिशन से बोलें। आपका बोलने का अधिकार है, उसका मैं मना नहीं करता हूं लेकिन नियमों के अन्तर्गत बोलें। समझे ना। यूं नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप अलाउ करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मैं उसके तुलनात्मक अध्ययन की ही बात कर रहा हूं। मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं दे रहा हूं। राज्य सरकार के गृह मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप आंकड़े दे रहे हों तो सरकार क्या करेगी?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैंने जो प्रश्न लगाया है, उसके उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है। मिर्ची कांग्रेस को लग रही है। यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों लग रही है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो। यह कोई वाद-विवाद थोड़े ही हो रहा है। मेरा प्रश्न है और गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। जवाब आप देने लग रहे हों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिए, गृह मंत्रीजी जवाब देंगे। प्रश्न कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राज्य भर में 5.86 प्रतिशत की कमी 2014-15 में 2008-13 के मुकाबले दर्ज हुई है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी पढ़ेंगे जवाब, आप नहीं पढ़ोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसमें क्यों तकलीफ हो रही है?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): वे पूरक प्रश्न कर रहे हैं, आप करने दीजिये ना पूरक प्रश्न उनको।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न का उत्तर भी बरदाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इधर देखिये। आप आसन की तरफ देखें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ऐसा लगता है कि सब चीजों में इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा-अच्छा सुनना पसंद नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: सिंघल साहब बोल रहे हैं बिना परमिशन के, उनका अंकित नहीं हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप इधर एड्रेस कीजिए। इधर एड्रेस कीजिए। वे सवाल कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अलवर जिला बहुत बड़ा जिला है, 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, 14 पंचायत समितियां हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्रश्न के माध्यम से, पूरक प्रश्न ही मानें इसको ...(व्यवधान) चूंकि भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकडा, चौपानकी, खुशखेड़ा, पथरेड़ी, बहरोड़ और सौता नाला, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमारा डवलप हो गया, जहां पूरे देश भर के लोग आकर के श्रमिक के रूप में और दूसरे तरीकों से काम करते हैं। निश्चित रूप से अंजान लोगों के द्वारा अनेक तरह की ऐसी आपराधिक घटनाएं भी अक्सर हो जाती हैं जिनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं, एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा हो जाये।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न कीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, जिले के भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए और जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण बढ़ा है, तो अलवर जिले में 2 एस.पी. लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे जिले में जिस प्रकार से? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 2 एस.पी. की क्या जरूरत है? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हम और कम लाना चाहते हैं। हम आपके मुकाबले आधा करना चाहते हैं, आधा। आधे से भी कम करना चाहते हैं। तसल्ली करिये, सब कुछ आयेगा। जरा तसल्ली तो करो। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष, तसल्ली करो जरा।

एक माननीय सदस्य: वे पूछ रहे हैं कि 2 एस.पी. लगा सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बैठें ना। सुन रहे हैं, गुलाबजी सुन रहे हैं। आप बैठें। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उनको ले जाकर के बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उनके साथ अन्याय, अत्याचार हुआ और आज तक उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, मजदूरों के। टपूकड़ा का है यह प्रसंग। (व्यवधान) टपूकड़ा में 44 मजदूरों को जेल में बंद कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: न्यांगलीजी, बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। इधर भी बैठिये। मेरी बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है। फायदा क्या है? यह जवाब सुनिये, गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) बैठो। बैठो। घनश्यामजी, आप तो अच्छे विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि वे जब भी, जिस ढंग से भी पूछना चाहें, तो मैं उसके लिए हर समय आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। यह गारंटी दे रहा हूं। कभी भी कोई चीज छिपाऊंगा नहीं; कभी भी किसी चीज को छिपाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। मैं जब कभी खड़ा होता हूं तो मैं पूरी जन्म-पत्री लेकर के आता हूं, उसके बाद ही बोलता हूं। इसलिए ज्यादा यह और वह करने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, आनंदपाल की जन्म पत्री लाये हों तो वह भी बता दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां, वह भी लेकर आया हूं। मैं कोई चीज मन में छिपाकर के ...(व्यवधान) कुछ जीवन के उसूल रखे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): बड़े समझदार बन रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, आनंदपाल को कब तक पकड़ लोगे, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह भी मालूम है कि आपको ...(व्यवधान) अपराधों की बात करते हैं ...(व्यवधान) किशनगढ़ विधायक के पुत्र की हत्या हुई, भू-माफियाओं ने कर दी। बात करते हो अपराधों की। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2009 से, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं सदन की जानकारी में, क्योंकि मैं तो 2013-14 में सरकार बदली, उसके बाद आया हूं। ये फिगर मैंने अपने मन से नहीं बनाये हैं, सरकार के रिकार्ड पर हैं। 2009 से इन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने 2009 से ही राजस्थान के भी और अलवर जिले के भी आंकड़े अपनी टेबल में दे रखे हैं। आप यह देखिये, 2009 से 2010 में अपराध माइनस हुआ, माइनस 2.1; उसके बाद 2011 में वापस बढ़ा 1.6; उसके बाद 2012 में बढ़ा 3.2; उसके बाद 2013 में बढ़ा, 14.79; उसके बाद ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): असली बात तो आने दो। (व्यवधान) असली आंकड़े अपराध के आने दो।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का डिस्टर्बेंस कैसे चलेगा, आप बताइए। आप अपने विधायकों को कंट्रोल कीजिए। वे जवाब दे रहे हैं एक मंत्री और जवाब आपके सामने आ रहा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए हमें भी मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नोट हो जाता है। तीन का ही नियम है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे।

श्री अध्यक्ष: निवेदन नहीं, जो व्यवस्था है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कानून-व्यवस्था की बात है। आज इतना बड़ा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय, मैंने आपसे इसलिए निवेदन किया है कि आपने जो प्रश्न उठाया है, तो कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आप आइए। बाकी नियमों में जो प्रावधान है कि मूल प्रश्नकर्ता दो पूरक और पीछे तीन, और वे तीन भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं मेरे यहां। इसके अलावा मैं किसी को पूरक प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा। नियमों के अनुसार चलूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, आपसे मैंने यह निवेदन किया है। आपके माननीय विधायकों को कहिये कि वे शांत रहें और माननीय मंत्रीजी की बात सुनें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने पूरे प्रदेश का जो कुछ भी है, 2009 से लेकर अब तक, आपके सामने रख रहा हूं। अलवर जिले का भी 2009 से लेकर अब तक जो अपराध घटित हुए हैं, वह मैं पूरा आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद भी आपको कोई सवाल खड़ा हो तो मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। (व्यवधान) एक बार जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो आप इसके बारे में चर्चा क्या करेंगे?

मैं सोचता हूं कि अपराध 2009 से 2010 में माइनस हुआ था, माइनस 2.1; फिर 2010 से 2011 में फिर अपराध बढ़ा प्रदेश का 1.6; फिर उसके बाद 2012 में अपराध बढ़ा लेकिन 3.2; उसके बाद 2013 में फिर अपराध एकदम ग्राफ बढ़ा, सम्पूर्ण राजस्थान का 14.7 । उसके बाद फिर पिछले साल 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, अपराध बढ़ा तो है लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो 14 परसेंट की बढ़ोतरी थी वह घटकर 7.2 पर आई, और इस साल अपराध माइनस 5.8 हुआ है। यह प्रदेश का है।

इसी तरह से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर से अनाधिकृत बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो। बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिए अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) जो बढ़े हैं, वह मैं घटा नहीं सकता, जो रिकार्ड पर आ गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना मेरी अनुमति के बोल गये। इतना मैंने लिबरल होकर बोलने दिया, उसके बाद भी बोले ही जाते हैं।

माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इमर्जेंट इंटरवेंशन कई बार अच्छी बात होती है जो हमारे वरिष्ठ सदस्य जानते हैं लेकिन इमर्जेंट इंटरवेंशन को आप लम्बे-चौड़े भाषण देने के लिए अगर काम में लेंगे, तो किसी रूप में मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह मैं आप सबको आज यहां कहना चाहता हूं।

प्रतिपक्ष से विशेष मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी का जवाब सुनिए शांति से और बिलकुल शांत रहिये। (व्यवधान) बैठ जाओ। बैठ जाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसे ही अलवर जिले में, मैं आपको हैडवाइज बताता हूं, अलवर जिले में हत्या वर्ष 2013 में 115, वर्ष 2014 में 104 और अभी 112 । बढ़ी हैं या घटी हैं? यह अपराध कोई भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किसी भी युग में हुआ ही नहीं है, ऐसी गारंटी करने वाला अभी तक इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है जो यह कह दे कि अपराध होगा ही नहीं। अपराध हुआ है, वह आपके सामने है।

इसका मतलब, इसी तरह से हत्या के प्रयास वर्ष 2013 में 85, वर्ष 2014 में 64, अभी 73 हैं। बलात्कार, बलात्कार, अलवर का बता रहा हूं केवल, वर्ष 2013 में 316, वर्ष 2014 में 299 । यह शायद गिनती तो आती होगी कि 316 बड़े हैं कि 299 बड़े हैं। उसके बाद इस साल वर्ष 2015 में 254 बलात्कार हुए हैं। निश्चित हुए हैं लेकिन संख्या में कमी आई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अब आज के बाद कोई बलात्कार होगा ही नहीं।

इसी तरह से, आपके नकबजनी वर्ष 2013 में हुई है 314, वर्ष 2014 में हुई है 238 और इस साल हुई है 204 । घटी है और घटी भी कोई सामान्य नहीं, माइनस 14 परसेंट, एक तरह से नकबजनी में कमी हुई है। चोरी वर्ष 2013 में 3,964, वर्ष 2014 में 3,189 और इस वर्ष 2,848 । यानी, माइनस दस प्रतिशत, चोरी में कमी आई है। केवल अलवर के आंकड़े पढ़ रहा हूं।

इसी तरह से आप देखेंगे, महिला अत्याचार, महिला अत्याचार में 1,751 वर्ष 2013 में थे, 1,719 वर्ष 2014 में थे और अभी 1,551 हैं। माइनस 9.7 प्रतिशत, अलवर में महिलाओं के प्रति अपराध घटा है।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार, वर्ष 2013 में 608, फिर 2014 में 438 और फिर अब 2015 में 371 । माइनस 15.3 प्रतिशत, अपराध घटा है।

यह सारा मिलाकर, मैं आपको कह रहा हूं, अपराध घटा है। अपराध होना, कोई ऐसी गारंटी नहीं कर सकेगा कि कल के बाद कोई अपराध होगा नहीं। मेरा और मेरी पुलिस का काम है अपराधी को ढूंढना और अपराधी को कोर्ट तक पहुंचाकर सज़ा दिलवाने का काम। उस काम में कितनी कमी- ज्यादा है उस पर आप चर्चा करें तो ज्यादा सार्थक होगा। अपराध की संख्या दो है या तीन है, यह कोई हंड्रेड परसेंट माप-तौल नहीं हो गया लेकिन मैं आपको इन आंकड़ों से, आपके वर्ष 2009 से मैंने जो जन्म-पत्री तैयार की है, उसके आधार पर यह तय है कि वर्ष 2014 में और 2015 में अपराध का ग्राफ घट रहा है। (व्यवधान)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि दो एस पी एरिया बने, यह सरकार की वित्तीय सहायता जब मिलेगी और हमारे को बाद में कोई बजट मिलेगा तो हम निश्चित रूप से नीमराना और वह जो औद्योगिक क्षेत्र है...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह हमारे ध्यान में है, उसको हम जरूर प्रायोरिटी देंगे। हमें धन उपलब्ध हो जाने के बाद ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): और हमें स्वीकृति मिलने के बाद ही हम आपकी बात करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: आ गया न जवाब।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पूरक प्रश्नों का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान) पूरक प्रश्न कर रही हैं? (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ××× (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये। हां, पूरक प्रश्न आपका।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि अपराध कम हुए हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन पूर्व में ऐसा होता था, जब आप गृह मंत्री थे, थानों में हिस्ट्रीशीटर्स की फोटो लगती थी। वह प्रक्रिया शायद आजकल बंद हो गई है। नेट के ऊपर ही हिस्ट्रीशीटर्स की फोटो होनी चाहिए, जो कई जगह पर थानों में नहीं लगी हुई है। (व्यवधान)

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

पहले यह था कि समय-समय पर हिस्ट्रीशीटर्स को थानों पर बुलाकर पाबंद किया जाता था। (व्यवधान) यह अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण कुछ हिस्ट्रीशीटर्स के नाम पूर्व में कट गये लेकिन फिर वे अपराध करते हैं। तो उनके नाम से दुबारा हिस्ट्रीशीट नहीं खुल रही है आजकल। गृह मंत्रीजी इसकी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका स्वयं का भी इस विभाग का अनुभव है कि एक बार किसी की हिस्ट्रीशीट खुल जाती है तो कभी बंद होने की स्थिति नहीं होती है। एक। (व्यवधान) नहीं, होती ही नहीं है। सामान्यत: बहुत कठिन काम है किसी की हिस्ट्रीशीट बंद कराना। आप प्रयत्न करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना कठिन काम है। हिस्ट्रीशीट बंद नहीं होती। एक।

आज भी वे फोटो रहते हैं। कहीं अगर उसमें कोई कमी आयी है तो वापस दिखवाएंगे। हंड्रेड परसेंट, जो हिस्ट्रीशीटर हैं, उनके नाम की फोटो थाने पर निश्‍चित रूप से रहेगी। अगर कहीं कमी है तो उसका सुधार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। पूरक प्रश्न। (व्यवधान) शकुन्तला रावत। पूरक प्रश्न। आपने दबाया था बटन, आप करो ना पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो मंत्री महोदय ने आंकड़े गिनाये हैं....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपको ज्यादा बोलने की आदत पड़ गयी है, बार-बार उठना और बीच में बोलना। सुनने का माद्दा रखो थोड़ा-बहुत।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ आप। स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। मैंने शकुन्तलाजी को पुकारा है। बैठिये। (व्यवधान) शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे अध्यक्ष का नाम लेकर अनर्गल टिप्पणी कर दी। इसको रिकार्ड से बाहर निकालें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ये बोल रहे हैं, इनका अंकित नहीं हो। कृपया बैठो। शकुन्तलाजी। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के बढ़ते हुए अपराध के जो आंकड़े गिनाये हैं, मुझे नहीं पता, वे आंकड़े आप किस तरह से लाये, पुलिस व्यवस्था से लेकर आये, लेकिन आये दिन हत्याएं बढ़ रही हैं। (व्यवधान) राठौड़जी, बैठो चुपचाप। आपके क्षेत्र में भी बढ़ी है घटनाएं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आये दिन हत्याएं बढ़ रही हैं, लूटपाट बढ़ रही है। क्या मंत्री महोदय गश्त बढाएंगे? जिस थाने में नफरी की कमी है, वहां बढ़ाने का कष्ट करेंगे? या कोई व्यवस्था है? मेरे खुद के क्षेत्र में भी 5 दिन के अन्दर दो-दो हत्याएं हुई हैं। लूटपाट, बहरोड़ रोड हो, चाहे टपूकड़ा रोड, जो कह रहे थे कि अब शांति से जा सकते हैं, कोई शांति से नहीं जा सकते। हर दो-तीन दिन के अगर आप अखबार उठाकर देखें तो आये-दिन गाड़ियों की लूटपाट हो रही है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप प्रश्न करें, भाषण न दें। अध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रही हैं, या प्रश्न कर रही हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या गश्त बढ़ाने का कष्ट करेंगे, क्या पुलिस व्यवस्था बढ़ायी जाएगी, क्या और नई गाड़ियां लगायी जाएंगी, जिससे कि पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ हो सके?

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मदन सिंहजी, आपको बैठना नहीं आता? सचेतक बन गये तो ज्यादा उछल-उछल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपराधों को कंट्रोल करने के लिए अपनी कुछ इच्छा जाहिर की कि नफरी की संख्या कम है, उसको बढ़ाएं। मैं इस सदन को यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कहते हुए संतोष अनुभव करता हूं कि पहली बार मैंने हंड्रेड परसेंट डी पी सी, जितने वर्षों की भी बाकी थी, वह इस 31 मार्च तक राजस्थान की एक भी डी पी सी बाकी नहीं रहेगी, जिसकी पदोन्नति है।

दूसरा, जो 12 हजार कांस्टेबल की परीक्षा आपने की और जिसका मैंने सलेक्शन किया, लेकिन हमारे यहां ट्रेनिंग करने की जो कैपेसिटी है राजस्थान की, वह बड़ी मुश्किल से 6 हजार हुई, जिसको हमने लगाया। उसके बाद पहली बार राजस्थान में मैंने अपने प्रदेश से बाहर जहां-जहां ट्रेनिंग सेंटर में मुझे जगह मिली, उन सब जगह लेकर जो बचे हुए बच्चे 5 हजार समथिंग थे, उन सबको ट्रेनिंग में भेज दिया। जैसे ही ये 6 हजार बच्चे एक-दो महीने में मिलेंगे, मैं निश्चित रूप से प्रत्येक थाने पर पोस्टिंग करके जगह को भरने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि हमारे राजस्थान में अपराधों के ग्राफ में कमी आयी है...

श्री अध्यक्षः प्रश्न कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): परन्तु अपराधों के आधुनिकीकरण को देखते हुए क्या राज्य सरकार के द्वारा कुछ आधुनिक बेड़े, आधुनिक हथियार और जो आई टी में दक्ष कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर को समझने के लिए, ऐसे कर्मचारी राज्य सरकार के उस पुलिस के आधुनिक बेड़े में भर्ती किये जा रहे हैं, और सी सी टी वी कैमरे को आनलाइन बनाकर सारी व्यवस्था को हम एक साथ देख सकें, ऐसा किया जा रहा है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो कहा, विभाग भी इस बारे में निरन्तर प्रयत्नशील है। आज के क्राइम के जैसे तरीके बदले हैं, साइबर क्राइम का हम बजट में लेकर जा रहे हैं। कम से कम सम्भाग स्तर पर आई टी एक्सपर्ट लड़कों की टीम बने ताकि मैं तुरन्त जाकर केस को खोलने में सफल हो जाऊं। जितने भी कैमरे हैं, बाकी जो सुविधाएं हैं, वह हम जुटा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस वर्ष के बजट में हम आपकी मंशा का हंड्रेड परसेंट तो पालन नहीं कर पाएंगे,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन अधिकांश आपकी भावना के अनुसार हम व्यवस्था करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक, आप कुछ कह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष: अनुमति देता हूं मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद। थैंक्स।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन आंकड़ों के खेल में फंसना नहीं चाहता, एक प्रक्रिया है जिसके तहत आंकड़े दिये जाते हैं। मैं इसको चैलेंज भी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, ऐसी बहुत शिकायतें आती हैं जहां थानों में एफ आई आर लाज नहीं की जातीं। क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं?

दूसरी बात, आपने कोई मेकेनिज्म डवलप किया है कि जहां पर थानों में एफ आई आर दर्ज नहीं की जाय, ऐसा कोई मेकेनिज्म है कि लोग वहां जाएं और अपनी एफ आई आर दर्ज हो सके। आपको इसलिए भी अवगत करा रहा हूं, इस्तगासे के जरिये 156(3) के तहत थानों में, आपके पास शायद संख्या-नहीं हो, 156(3) में आदमी मजबूर होता है, इस्तगासा करता है, कोर्ट में जाता है, तब एफ आई आर लाज होती है। वह इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या हो, क्या नहीं हो।

मेरा तो आपसे अनुरोध यही है कि कोई मेकेनिज्म डवलप कर लें, क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें अक्सर आती हैं और पूरे राजस्थान में आती हैं जहां एफ आई आर लाज नहीं की जाती हैं। कोई ऐसा मेकेनिज्म डवलप हो जाय। और इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आप जब दिल से बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। नहीं करते हैं? 156(3) का फिगर निकलवा लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि 156(3) के तहत आपके थानों में कितनी एफ आई आर दर्ज हुईं। इससे आपको स्थिति साफ हो जाएगी। कोई मेकेनिज्म आप डवलप कर रहे हैं कि जहां शिकायत प्रकोष्ठ हो जाय जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। आपसे सिर्फ यही पूछना है। यह आप बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, 156(3) में निश्चित रूप से हमारे यहां कई एफ आई आर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोर्ट के माध्यम से दर्ज होती हैं। एग्जेक्ट संख्या तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लगभग राजस्थान में जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके 18 परसेंट हमको 156(3) के तहत आते हैं। उसमें से 70 परसेंट गलत साबित होते हैं।

हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार कहीं न कहीं से हम आनलाइन एफ आई आर दर्ज करने के लिए राजस्थान में कहीं शुरू करें। इस साल हम किसी न किसी जिले में इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करेंगे और उसके परिणाम देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट। श्रीमती द्रोपदी।

खोड़ा ग्राम पंचायत (पीलीबंगा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

27. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत खोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बना हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान के गांव लुढाणा में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोड़ा का भवन बना हुआ नहीं है। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित है। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोड़ा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने/गुणावगुण के आधार पर ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान के गांव लुढाणा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत खोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब से स्वीकृत है? पिछले दो वर्षों में किस-किस प्रकार के रोगियों का व कितना-कितना पंजीकरण हुआ? अब तक भवन नहीं बनाये जाने के क्या कारण रहे हैं? इस हेतु वित्तीय प्रावधान कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे?

इसके साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय अमरपुरा राठान व गांव लुढाणा के बीच घग्घर नदी है और घग्घर नदी पर पुल नहीं होने की वजह से हर वर्ष बरसात ऋतु में नदी में पानी आ जाता है। लुढाणा ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, जवाब आ जाएगा इसका। बाकी प्रश्न काल समाप्त हो रहा है। जवाब दीजिएगा।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इसका मापदण्ड भी बताएं, मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10.09.2013 से पी एच सी खोड़ा में स्वीकृत हुई थी। इनके पास भूमि का पट्टा, नजरिया भूमि का पट्टा होने के कारण भवन बन नहीं पाया। इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर माननीय सदस्या की भावना के अनुसार हम स्वीकृति जारी करेंगे। गांव लुढाणा, जिसके अन्दर, गांव अमरपुरा राठान, वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र भी इसी वित्तीय वर्ष में खोलेंगे।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से समस्त प्रदेश व विधान सभा क्षेत्र बानसूर के गांवों में खेतों में बने हुए श्मशानों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से मीणा-मीना विवाद के कारण एस.टी. प्रमाण पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह तो आपके हो गया न सारा उधर। इसमें अब क्या है? (व्यवधान) बैठो आप। मतलब, इसका तो....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसका मतलब आप रिजेक्ट करोगे?

श्री अध्यक्ष: करूंगा न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपकी भावना पता लग गई।

श्री अध्यक्ष: अच्छा है, लग गई तो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने कल भी सरकार को रेफर कर दिया और अब आज भी इतने गम्भीर मामले को सरकार को रेफर कर दो....

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, एक बात सुन लीजिये। स्थगन की.....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था नहीं चलेगी। कल भी आपने सरकार को रेफर कर दिया। कुपोषण से जो मौतें होने वाली थीं, वह कुपोषण की बात अर्जेंसी थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके बाद भी आपने सरकार को रेफर कर दिया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) चलेगा, जब तक मैं बैठा हूं। जब तक कुर्सी पर बैठा हूं, मैं चाहूंगा जो चलेगा। (व्यवधान) मैं चाहूंगा जो चलेगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: सरकार चल रही है। सरकार चल रही है। सरकार है और आप भी इस सरकार के दरवाजे पर कई बार जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं सरकार की मेहरबानी पर नहीं हूं लेकिन आप भी जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं है, तो उस सरकार के दरवाजे पर आप हमेशा जाते हैं। यह आपको याद दिलाना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हो, वह कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं दिलाऊंगा। इस तरह अनियमित तरीके से.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसके अन्तर्गत बोल सकते हैं। (व्यवधान) नहीं, कोई अन्तर्गत नहीं है। आपका कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) कोई तरीका नहीं है आपका। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: इनकी आदत में है। (व्यवधान) इनकी आदत में है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ भी अंकित मत करना। मैं कहूं, तब अंकित करना। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के बोलने वाले का एक भी शब्द रिकार्ड नहीं होगा। बिना अनुमति के बोल रहे हैं, एक भी शब्द रिकार्ड नहीं होगा। न ये बोल रहे, जो रिकार्ड होगा।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, मैंने उनको बोलने की इजाजत नहीं दी। इसलिए वे कुछ भी बोल रहे हैं, वह एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: ये भी नहीं बोलेंगे। ये भी अंकित नहीं हों। बिना मेरी अनुमति के किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं सब। अंकित नहीं हों। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई विषय ही नहीं है। पाइंट आफ आर्डर किस पर है? कोई विषय ही नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई विषय अभी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई विषय नहीं है, इसलिए कोई पाइंट आफ आर्डर मैं नहीं लूंगा। बैठिये आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन के सामने कोई विषय नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न, कोई विषय हो, तब ना। (व्यवधान) यह तो इमर्जेंट इंटरवेंशन...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न उठेगा कैसे, मानिकजी? कोई विषय ही नहीं है। (व्यवधान) जब विषय नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठेगा?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: वह भी नहीं है। कोई विषय चले, तब व्यवस्था का प्रश्न उठेगा। व्यवस्था ही नहीं दी है मैंने तो। तब व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठेगा? (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: वह सब हथियार इसके अन्तर्गत चल सकते हैं, बाकी नहीं चल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं गलत परम्परा नहीं डालूंगा। मैं गलत परम्परा नहीं डालूंगा। (व्यवधान) मैं गलत परम्परा नहीं डालूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर में कोई प्रश्न नहीं कर सकता व्यवस्था का। इसलिए आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरा संरक्षण है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरा संरक्षण है। आप विराज जाइये। मेरी व्यवस्था है। मेरी व्यवस्था है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नहीं सुनूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल चल रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: है, लेकिन जीरो आवर में जब कोई विषय सदन के सामने चिंतन के लिए नहीं है, चर्चा के लिए नहीं है, उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह मेरी व्यवस्था है। इसलिए आप विराज जाइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। इसीलिए अंकित नहीं हो। इसीलिए अंकित नहीं हो।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) सदन का सारा समय व्यर्थ जा रहा है। आप जो कुछ भी बोल रहे हों, वह अंकित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सदन को चलने दें तो आपकी कृपा होगी। बाकी सारा समय व्यर्थ जा रहा है। (व्यवधान) बैठिये। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: यहां का बोला नहीं सुनेगी अभी, क्योंकि मैंने अंकित नहीं करने का आदेश दिया है।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: जाओ सड़कों पर। आप हमेशा ही जाते हों। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अपन साथ ही जाते रहे हैं। अपन साथ ही जाते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अपन साथ ही जाते रहे हैं सड़कों पर। (व्यवधान) वह राजनीति है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: शून्य कहां है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: कतई शून्य नहीं है। आप बोल रहे हैं। यह शून्य क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं तो फिर शून्य क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप उनकी समझ को चुनौती दे रहे हैं? आप विराजिये। वे कहीं नाराज हो जायेंगे। आप विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दोनों एक हों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा था, आप समझ नहीं पाये। आप समझ नहीं पाये, वे यह कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। एक नियमित रूप से चर्चा के लिए इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आना पड़ता है, इमर्जेन्ट इन्टरवेंशन से नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमर्जेन्ट इन्टरवेंशन तो एक हमारा वह है, इमरजेंसी में कोई बात उठा लो तो हल्के से, जैसे आप रोज उठाते हों, लेकिन किसी विषय पर गम्भीर चर्चा, वह गम्भीर चर्चा आप स्वयं बताइये कि इस प्रक्रिया में ही आना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के आधार पर ही आयेंगे तो मैं जितना चाहेंगे, उतना समय दूंगा। समय में कभी कंजूसी नहीं करूंगा। आना इस प्रक्रिया में पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसलिए डिस्टर्ब नहीं करें। मैं आगे बढ़ूं, अगर आप डिस्टर्ब नहीं करें, तो?

डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: वह मैं रिजेक्ट कर रहा हूं।

डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: वह मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है। वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनता। मैं रिजेक्ट कर रहा हूं।

डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: वह तो आप सरकार के पास जाओ।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, तो यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। यहां मेरी व्यवस्था के बारे में कोई सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। बैठिये। पहले समझिये। आपको कोई एतराज है, आइए मेरे चैम्बर में। बड़ी देर से मैं बरदाश्त कर रहा हूं। क्या मतलब है यह? स्थगन पर यहां जवाब मांग रहे हैं मुझसे। कोई नहीं मांग सकता मुझसे यहां जवाब। स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरी व्यवस्था मेरी व्यवस्था है। बैठ जाइये आप। बैठ जाइये आप। (व्यवधान) बार-बार उठ रहे हैं। आप भी बैठ जाइये, किरोड़ी लालजी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठेंगे? (व्यवधान) मत बैठो। खड़े रहो। खड़े रहो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, खड़े रहो। खड़े रहो। (व्यवधान) खड़े रहो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई परमिशन नहीं। बैठ जाइये। (व्यवधान) अनुमति नहीं। अनुमति नहीं है, बैठ जाइये। (व्यवधान) करूंगा तो मेरी व्यवस्था चलेगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जीरो आवर के सभी विषय मैं ड्रोप करता हूं।

सदन को मैं दो बजे के लिए स्थगित करता हूं और दो बजे के बाद विधान सभा की नियमित कार्यवाही चलेगी। जीरो आवर का कोई विषय नहीं लिया जायेगा। दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.19 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः अधिसूचनाएं। श्री युनुस खान के स्थान पर, श्री बाबूलाल वर्मा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.14(26)पीडब्ल्यू/2014/ई-40303 दिनांक 28 दिसम्बर, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्राधिकरण (चेयरपर्सन एवं पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2015 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्रीमती अनिता भदेल।

महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1- अधिसूचना संख्याः एफ.16(1)(40)/डी.डब्लू.ई./डब्ल्यू.पी.सी./13/पार्ट-II/41063 दिनांक 7 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण नियम, 2016 विरचित किये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्याः एफ.16(1)(40)/डी.डब्ल्यू.ई./डब्ल्यू.पी.सी./13/पार्ट-II/43044 दिनांक 22 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण नियम, 2016 दिनांक 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त किये गये हैं; एवं

3- अधिसूचना संख्याः एफ.16(1)(40)/डी.डब्ल्यू.ई./डब्ल्यू.पी.सी./13/पार्ट-II/26684 दिनांक 11 अगस्त, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के उपबन्ध दिनांक 17 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपालसिंह शेखावत। वो आ गये हैं। जल्दी आ जाओ। दौड़कर आ जाओ। पान थूकने गये थे शायद।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) (वर्ष 2014-2015) एवं विनियोग लेखे (वर्ष 2014-2015)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2014-2015 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड़ का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

2. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

3. दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

4. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 419-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड़ का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013;

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

5. महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

6. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

7. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

8. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

9. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015; एवं

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13) (वर्ष 2013-14)

3. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(3)(क) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन (क्रम सं. 3 से 5)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिका समिति, 2015-2016 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग से सम्बन्धित याचिका समिति, 2015-2016 का तीसरा प्रतिवेदन;

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

2. याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित याचिका समिति, 2015-2016 का चतुर्थ प्रतिवेदन; एवं

3. याचिका समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित याचिका समिति, 2015-2016 का पंचम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री ज्ञानचन्द पारख।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, साथ ही माननीय सदस्यों की मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा। हो सकता है, हम अलग-अलग विचारधाराओं से हैं, अलग-अलग कारणों से अलग-अलग स्थान से जीत कर आते हैं, पर जीत कर आने के बाद जो सबसे पहले यहां हम काम करते हैं शपथ लेने का, उस शपथ को मैं माननीय सदस्यों को एक बार याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें हम कहते हैं कि "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा एवं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।" लेकिन जो जे एन यू में वाकया होता है, देश की अखण्डता के विरुद्ध वहां राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं, उस समय हम शपथ को भूल जाते हैं और मात्र चन्द वोटों के लालच में ऐसे व्यक्तियों की पैरवी कर बैठते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरी बात सुनो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा है क्या? यह अभिभाषण पड़ा है, इसमें लिखा है क्या यह? पहले आपके महामहिम से लिखवाओ, कैबिनेट में अप्रूवल कराओ और उसके बाद में बातें करो। क्यों माहौल खराब करना चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आप तीन दिन बोल रहे थे, वह इसमें है क्या? आप राज्यपाल के अभिभाषण के समय बोल रहे थे, उस समय यह था क्या? आप क्या-क्या बोलते हो, पता है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश इस बात को लेकर कांग्रेस के युवराज को कठघरे में खड़ा कर रहा है कि उन्होंने वहां जाकर देश-विरोधी गतिविधियां करने वालों की पैरवी की। आपने पूरी पैरवी की है। आप सच्चाई को सुनने की ताकत रखो। (व्यवधान) जिस पार्टी के नेता खुद राष्ट्र-विरोधियों की पैरवी कर लें, उनसे यह उम्मीद कर लें कि वे संविधान के प्रति आस्था रखेंगे? यह बात कोई मजाक नहीं है। यह घटना पूरे देश को हिला देने वाली घटना है और यदि साहस है आप में, बात करते हो आप विचारों की अभिव्यक्ति की...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री भी शपथ लेती हैं, अध्यक्ष भी शपथ लेता है, मंत्री भी शपथ लेते हैं और आप क्या कर रहे हो, यह बताओ। आप अपनी शपथ में रहते हो क्या कोई?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। माननीय विधायक को अपने वक्तव्य को रखने दें। कृपया शांत रहें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोल तो आपकी खुल रही है। पोलें आपकी खुल रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बात करते हैं विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी की। इनकी अपनी पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? बोलने की हिम्मत है क्या उनमें?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये आपके सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, इनको पूछो, आजादी है कि नहीं। पूछे, प्रहलादजी गुंजल को पूछो, आजादी है क्या बोलने की। बात करते हो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आज यहां निचले स्तर पर तो अपनी बात कह सकते हो, पर ऊपर कहने की हिम्मत आप में से किसी की नहीं है। आपके युवराज ने किस प्रकार की बात कही। आप में इतना साहस नहीं कि आप वहां विरोध करते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान) नेता से मिल नहीं सकते आप। आपका तो बताओ। मिल नहीं सकते। ये हालात हैं आपके। बात करते हों।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): रात को तो सोते हो, दिन को उठते हो। आपको कैसे पता है? हम मिलते हैं कि नहीं मिलते, आपको कैसे पता है? बीच में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नहीं चलेगा। यह नवीन तकनीकी नहीं चलेगी। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) डेमोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी में।

(14.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी का श्रेय लेने वाली राजनीतिक पार्टी आपकी अपनी है। क्या हो गया आपको? आज आपका इतना पतन हो गया कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले की पैरवी करने बैठ गये आप!

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, this side.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा उन घटनाओं को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। I wouldn't allow this.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपने अकाली दल को खतम करने के लिए, कमजोर करने के लिए खालिस्तानियों की पैरवी की; उनकी ताकत को बढ़ाया। क्या परिणाम भुगता आपने? पता नहीं आपको? इतना बड़ा खामियाजा उस समय आपकी पार्टी को हुआ था।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, you have a problem, Sir? If you have some problems, I can solve it. अगर ये काम आप करेंगे तो यह आसन क्या करेगा? You will not give. I wouldn't allow any member to give directions to your fellow members.

सदस्य महोदय, आप भी इधर मुखातिब होकर बोलें। अब आपको

(श्री उपाध्यक्ष)

परेशानी तो है, लेकिन आपको इधर मुखातिब होकर ही अपना वक्तव्य देना पड़ेगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य को एक निर्देश और दे दो। ये विपक्षी पार्टी के इधर इशारा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको किसने इजाजत दी? विराज जाएं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ये इधर इशारा कर रहे हैं। हम विपक्षी नहीं हैं। ये इधर इशारा कर रहे हैं बार-बार।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से कोई भी सदस्य बोलेगा, चाहे वह कितना ही वरिष्ठ क्यों न हो, चाहे वह मंत्रिमंडल का सदस्य ही क्यों नहीं हो, अंकित नहीं होगा। Let him finish. He is the first person of the debate. I will really come to it.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): My only point is that गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो इसके अन्दर चीज है, उसका जिक्र तक नहीं है, क्या उस पर भी बोला जा सकता है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, बस केवल इतना, जिससे हम भी फिर बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। गवर्नर साहब के अभिभाषण का दायरा व्यापक है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन भूलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो हमारे देश के नेताओं ने पहले की हैं। लिट्टे को शह किसने दी, और बाद में उसका क्या परिणाम हुआ? एक के बाद एक भूल हम करते जा रहे हैं और अब भी अगर हमने राष्ट्र विरोधियों को शह दे दी तो आने वाले कल में क्या परिणाम होगा, उसकी कल्पना करना भी भयावह होगा। हम तो तारीफ करते हैं कि आपने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवाये थे और आज क्या हालत हो गयी? देश के टुकड़े करने वालों की पैरवी करने का भी हमने काम कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने यहां शपथ ली है इस बात की, देश की एकता और अखंडता की, उसको याद दिलाने के लिए मैंने वापस आज यह बात कही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अभिभाषण पर मेरी बात का सवाल है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में इन दो साल और दो महीनों में प्रदेश में जो काम हुआ है, विकास को जो पंख मिले हैं, उससे आज प्रदेश की जनता इस बात के लिए हमारी तारीफ कर रही है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कुशल नेतृत्व का परिणाम यह है कि इन दो सालों में हमारी सरकार को एक नहीं, अनेक बार देश के स्तर पर सम्मानित किया गया; हमें एक नहीं, अनेक अवार्ड मिले हैं। मैं उन अवार्डस के बारे में भी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा।

'स्वच्छ भारत मिशन' में शौचालय निर्माण में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या हालत थी हमारे गांवों की? हमारी बहन-बेटियां बाहर शौच जाती थीं, जो हमारे लिए शर्मनाक बात थी। कांग्रेस ने साठ साल की आजादी में उसकी चिन्ता नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने जो लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण करके देश में हमारी सरकार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु 'भामाशाह योजना' को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2016 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का गोल्ड मेडल मिला। यह कोई मामूली बात नहीं है। इतने कम समय में इतने सारे खाते खोल कर उन खातों को चालू करवा देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। एक करोड़ नौ लाख परिवारों का नामांकन बहुत कम समय में, यह कुशल प्रशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और साठ लाख से भी ज्यादा भामाशाह कार्ड हमने अब तक वितरित कर दिये। गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं मिलता। भारत सरकार ने हमारे काम का आकलन किया होगा तब जाकर हमारी सरकार को यह गोल्ड मेडल मिला होगा।

स्वास्थ्य विभाग की 'आशा' योजना को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में सिल्वर मेडल मिला है। हैल्थ में भी हम आगे हैं। भारत सरकार के जो मापदंड हैं उनमें हम खरे उतरे और हमको सिल्वर मेडल मिला।

जलग्रहण क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के उपयोग की भारत सरकार द्वारा सराहना की गयी और बैस्ट प्रैक्टिसेज आफ जी.आई. का पुरस्कार भी हमारी सरकार के कार्यकाल में हमको मिला। वरना जलग्रहण के काम पहले कैसे होते थे, पता है आपको; नाम मात्र पैसा लगता था लेकिन उपयोग कुछ

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं। पर हमारे कुशल प्रशासन की वजह से हमने वे काम कर दिखाये कि भारत सरकार को भी हमारी सराहना करनी पड़ी, वरना भारत सरकार इन योजनाओं को पहले बंद करने वाली थी कांग्रेस के शासन में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल पड़ता है, पानी, चारे की कमी रहती है, पशुधन को बचाना भी यहां मुश्किल काम है, लेकिन राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन का दुग्ध उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। यह मामूली बात नहीं है। जहां चारा नहीं, जहां पानी नहीं, जहां पशुपालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उसके बाद भी हमने देश में दुग्ध उत्पादन में चौथा स्थान प्राप्त किया और दिसम्बर, 2015 में इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा आर सी डी एफ को उद्योग रत्न और उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह मामूली बात नहीं है। यह सब हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के कुशल प्रशासन का, उनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि हमको एक के बाद एक सम्मान मिले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस महानरेगा के लिए कांग्रेस यह प्रचार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको बंद कर देंगी; विधान सभा, लोक सभा चुनाव में इस बात का प्रचार भी किया गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो महानरेगा बंद कर देगी, पर हुआ क्या, पहले की तुलना में ज्यादा काम। पहले की तुलना में ज्यादा प्रावधान किये हमने और महानरेगा में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु देश के तीन जिलों का चयन किया गया। जिन तीन जिलों को सम्मानित किया गया, उनमें दो जिले राजस्थान के हैं पाली और डूंगरपुर। यह मामूली बात नहीं होती। आंकड़े उठाकर देख लें, पहले कितना काम मिलता था और आज कितने श्रमिकों को हम काम दे रहे हैं। हमने भारत सरकार से सम्मान प्राप्त किया, देश में तीन में से दो जिलों में।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को भिन्न भिन्न फील्ड में 11 पुरस्कार।

ये मामूली बातें नहीं होती। कुछ काम करते हैं तो उसका आकलन होता है और आकलन करने पर जब खरे उतरते हैं तो सरकारें मजबूर होती हैं सम्मानित करने के लिए, सरकारें मजबूर होती हैं पुरस्कार देने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण अवार्ड, 2015 में राजस्थान का चयन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किया गया। कैसी है राजस्थान की स्थित! जहां पांच साल में चार साल अकाल पड़ता होता हो, जहां पीने के पानी की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, वहां हमने मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में गेहूं उत्पादन में भी कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर लिया। यह सारा कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने अवार्ड गिनाये हैं, हमारी सरकार अपने काम की बदौलत ही ये सारे अवार्ड प्राप्त कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही नहीं, और भी कई सारे अवार्ड हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जब इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला, कैसे हालात में कांग्रेस इस प्रदेश को छोड़कर गई थी, यह सबको पता है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब उन्होंने समस्याएं देखीं, जब काम की आवश्यकता को महसूस किया, तो उस समय ही वादा कर दिया कि हमारा साथ दो और हम आगामी पांच सालों में जो आपकी कई वर्षों से समस्याएं खड़ी हैं उनसे आपको मुक्ति दिलायेंगे और राजस्थान का चहुंमुखी विकास करेंगे। उसी का परिणाम है कि जो-जो वादे उस समय किये, हम एक-एक वादे को लगातार पूरा करते जा रहे हैं। जितना विशाल जनादेश हमको मिला, उसके अनुरूप हम लगातार विकास के नये आयाम प्रदेश की इस धरती पर लगातार खड़े कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात, हमने विकास में कोई राजनीति नहीं की। पहले मैंने भी देखा है, पहले कोई काम होता था तो उसमें वोटों की जोड़-बाकी लगाते थे कि यहां अगर हमने स्कूल दी तो हमारी पार्टी के कितने वोटों का इजाफा होगा; इस गांव-ढाणी का अगर हमने विद्युतीकरण किया तो हमारी पार्टी को कितना फायदा होगा; इस गांव को हमने सड़क दी तो हमको इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा। वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता की जहां-जहां जैसी-जैसी आवश्यकता थी, जरूरतें थीं, चाहे उसने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, उन आवश्यकताओं का, उन जरूरतों का, एक-एक काम हम लगातार करते जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। हमारे बहुत सारे युवा भी हैं जो यहां रोजगार चाहते हैं लेकिन उनके पास रोजगार के इतने अवसर नहीं, तो मजबूरन दक्षिण क्षेत्रीय

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रांतों में जाना पड़ता है। हमारी सरकार ने आते ही इस बात के लिए सबसे पहले कदम उठाये कि हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं बाहर के प्रांतों में नहीं जाना पड़े और 'रिसर्जेंट राजस्थान' के नाम पर हमने एक औद्योगिक वातावरण प्रदेश की धरती पर तैयार किया, उसकी कल्पना करके उसको तैयार किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमने इन सालों में 3 लाख 21 हजार करोड़ के निवेश के कुल 295 एम ओ यू किये हैं। यह ऐसे ही नहीं होते हैं। प्रयास तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी किये थे, उन्होंने भी बाहर के उद्यमियों को आमंत्रित किया था कि आप यहां उद्योग लगाओ, लेकिन क्या हुआ? किसी भी उद्यमी ने पूर्ववर्ती सरकार पर कोई विश्वास नहीं किया और यहां उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं हुए।

मैं आपको पाली का उदाहरण देता हूं। पाली में पिछली सरकार के कार्यकाल में एम ओ यू हुआ था, वरुण इंडस्ट्री को 454 करोड़ की स्टील फैक्टरी लगाने का; जमीन भी चिह्नित हो गई, लेकिन जो सरकारी तंत्र के काम, काज का तरीका था, जमीन चिह्नित होने के बाद भी वह व्यक्ति वहां से उस उद्योग को बिना चालू किये, छोड़ कर चला गया। अगर वह 454 करोड़ पाली की धरती पर लग जाते, तो हो सकता था कि कई लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन सरकारी तंत्र को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। आज सारे हिम्मत कर रहे हैं। पाली मिल भी 300 करोड का निवेश करना चाहती थी पाली में अपने उसी प्रोजेक्ट में, पर उस समय का जो सरकारी तंत्र था, उसकी जो उदासीनता थी, अनेक चक्कर लगाने के बाद भी जब सरकार की ओर से उसको स्वीकृति नहीं मिली तो उसने गुजरात में जाकर इन्वेस्टमेंट किया।

आज जो बाहर के उद्योगपति हैं, उनके मन में हमारी सरकार के प्रति इतना विश्वास पैदा हो गया कि एक नहीं, 295 एम ओ यू हमारी सरकार के साथ उन्होंने किये हैं और जब इसका परिणाम इस धरती पर दिखने लगेगा तो इस प्रदेश की बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, उससे काफी हद तक हमको मुक्ति मिल जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारा युवा जो सरकारी नौकरी के ऊपर ही अपनी आशा या नजर लगाये बैठा है, उसके पास कोई और हुनर नहीं है, कोई कौशल नहीं है कि वह अपना खुद का रोजगार कर सके; हमारी सरकार ने इस बात का भी पूरा प्रयास किया, हमारा युवा सरकारी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नौकरी पर आश्रित नहीं रहे, क्योंकि नौकरी में एक परसेंट व्यक्ति भी नहीं लग पाता है; अगर 50 पोस्टें हैं तो 50 हजार आवेदन आते हैं; हमारी सरकार ने सोचा कि हमारे युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करें और उसको वह कौशल, वह हुनर दे दें जिसके माध्यम से वह अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सके। इन दो सालों में प्रदेश के 6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर हमने उनको रोजगार के साथ जोड़ा है, हमने उनको उद्यम के साथ जोड़ा है और यह क्रम लगातार बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोई कौशल, हुनर लेना चाहता है, तो हमारी सरकार ने इतने रास्ते खोल दिये हैं कि क्या सीखना चाहते हो, वह हर चीज सिखाने के लिए हमारी सरकार की एजेंसियां बिलकुल तैयार बैठी हैं। पांच साल में हमने जो इस बेरोजगारी को खतम करने का, सरकारी नौकरियों के माध्यम के साथ-साथ इसके माध्यम से भी और 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से हम इस बेरोजगारी की समस्या को निश्चित रूप से इस प्रदेश में खतम कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी तंत्र को भी ठीक करने का, उसको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया। कई सारे ऐसे काम जो हो जाने चाहिये थे, वे अकारण नहीं हो रहे थे। सरकार ने पहल की 'न्याय-आपके-द्वार' और उसका परिणाम क्या रहा, 'न्याय-आपके-द्वार' में 21 लाख 43 हजार 54 प्रकरणों का निस्तारण करके हमने उस गांव के व्यक्ति को, उस किसान को, इतनी बड़ी राहत दे दी जिसके लिए वह वर्षों से तहसील या एस डी एम कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। कई काम उसके जो वर्षों से अटके हुए थे, चंद घंटों में उसके वे काम हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से भी हमने 85,115 प्रकरणों का निस्तारण किया। यह हमारे कुशल नेतृत्व का, हमारी मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि जनता का कोई काम किसी भी कारण से देरी से नहीं होना चाहिए; जो काम होने लायक है, वह निश्चित रूप से समय पर, उसके घर पहुंचकर ही करना है, करना पड़े तो करना चाहिए।

उसके बाद शुरुआत की 'मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल' की। इसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी कि कोई साधारण-सा व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर यदि कोई किसी को पत्र लिखेगा तो उसका समाधान हो जाएगा। इस बात का विश्वास किसी को नहीं था। हम तो खुद देखते थे कई बार हम भी लैटर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लिखते थे, पत्र लिखते थे, तो भी समस्या के निस्तारण में वक्त लग जाता था; पर कैसा सिस्टम किया। अगर 'मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल' में कोई भी प्रार्थना-पत्र आ गया तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण होकर, उससे इस बात की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी कि तेरा काम हो गया और उसके दस्तखत लिये जाएंगे । एक नहीं, लाखों ऐसे निस्तारण इस प्रदेश की जनता ने महसूस किये हैं और आज आम व्यक्ति को लग गया कि मेरी समस्या है, कहीं नेता के पास या किसी अधिकारी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। 'मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल' में एप्लिकेशन दे दो, अधिकारी खुद उसके घर पर आएगा, उसकी समस्या का समाधान करके, उसके दस्तखत कराने के लिए, और यह हम रोज देख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में क्या हुआ, नहीं हुआ, इसकी गवाही तो प्रदेश की जनता देगी लेकिन विकास का सबसे बड़ा पैमाना है, मापदंड है, वह होता है सड़कों का। पिछली सरकार के कार्यकाल में सड़कों की कैसी दुर्दशा हुई थी, दुर्गति हुई थी मुझे पता है। मैं विधायक था उस समय। जो सड़कें बन गईं, क्षतिग्रस्त थीं, नवीनीकरण की बात करते थे; सड़कें टूटी हैं बीस, नवीनीकरण मिलता था हमको दो या तीन का। नई सड़कों की बात तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने सड़कों के क्षेत्र में इन दो सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, हम यह नहीं कहते कि सारी सड़कें ठीक हो गई हों, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले कल में ये सारी सड़कें, जिसके लिए हम पिछली सरकार के कार्यकाल से मांग करते आ रहे थे, काफी ठीक हो गईं और बाकी भी इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों को चौड़ा करना, उनका नवीनीकरण करना, ये सारे काम कोई मामूली नहीं हैं। बहुत सारे काम हमारी सरकार के कार्यकाल में सड़कों के इस बार चालू हैं। राज्य में पहली बार 2015-16 में 1549 किलोमीटर लम्बाई के छह नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये; छह नये 1,549 किलोमीटर, और इसमें लम्बी राशि खर्च होगी। हमारी जो एम.डी.आर. सड़कें थीं, मुख्य जिला सड़क, उसको भी 4,168 को राज्यीय राजमार्ग में कन्वर्ट किया है। इतनी सुविधा मिलेगी जनता को इसमें और नाबार्ड के माध्यम से तो हमने अभी 605 करोड़ की लागत से सड़कों के नवीनीकरण का काम करके खतम कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी इस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बार जो राशि हमको मिलने वाली है, वह प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। जैसा माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, पहली बार इस प्रदेश में 1,618 करोड़ की राशि से 1,481 ढाणियों को डामर से जोड़ने का काम होने वाला है, जिसकी भारत सरकार के सड़क मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और उसका लाभ हम सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको ही मिलेगा, प्रदेश की पूरी जनता को मिलेगा।

उससे भी बढ़कर गौरव पथ; कभी गांव के व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि मेरे यहां भी सीमेंट कंक्रीट की इतनी मजबूत रोड बनेगी। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, हमने मांग भी नहीं की थी इसकी कभी कि हमको गौरव पथ दो, पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री की सोच कि शहरी क्षेत्र में तो हम एक के बाद एक गौरव पथ बनाये जा रहे हैं, शहर और गांव की सड़कों में रात-दिन का अंतर; शहर में सड़कें चमाचम, गांव में कीचड़ से लथपथ। पहल की सरकार ने खुद और गौरव पथ की सौगात इस गांव की जनता को दी। काफी जगह बन गईं, और काफी जगह बनने वाली है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो निश्चित रूप से...।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कोई क्षेत्र ले लो, हमारी सरकार ने इन दो सालों में प्रदेश की जनता के लिए जितना कुछ किया यह गवाही हर व्यक्ति गांव में बैठा, शहर में बैठा, दे देगा। मैं पाली का कह दूं, हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या थी प्रदूषण की; पाली में थी, बालोतरा में थी, जोधपुर में थी, सांगानेर में थी। किसान और उद्यमी दोनों आमने-सामने खड़े रहते थे, टकराव होता था। इंडस्ट्री चले तो खेत खराब होते थे, इंडस्ट्री बंद करें तो हज़ारों मजदूर बेरोजगार। पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस टकराव को खतम करने के लिए कि इंडस्ट्री भी चले और किसान की जमीन भी खराब नहीं हो, पहली बार राजस्थान को माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से चार जेड.एल.डी. की स्वीकृति भारत सरकार की टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने दी है, जिसमें बालोतरा में काम चालू हो गया, पाली में काम चालू होने वाला है और जोधपुर, सांगानेर में भी होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है। वरना यहां उद्योगपति उद्यम लगाने के लिए हमेशा भयभीत रहता था, क्या पता, कब बंद हो जाए। लेकिन यह जेड.एल.डी. के बाद में निश्चित रूप से जहां एक तरफ उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं किसान को जो नुकसान होता है, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात कह दूं। मुझे पता है, आपने भी इशारा कर दिया, माननीय उप सचेतक जी की पर्ची भी आ गई है। हमारे श्रम मंत्रीजी बैठे हैं, उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मनरेगा के कर्मचारियों के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लिए, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी योजना भवन व अन्य निर्माण कामगार योजना में नरेगा के श्रमिकों को जोड़कर, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उनमें भी उनको लाभान्वित करने का जो काम किया है, प्रदेश के बीस लाख से तीस लाख से ज्यादा श्रमिकों को इसमें लाभ मिलने वाला है और लाभ भी अगर आप देखें ना, तो कल्पना के बाहर की कोई योजना ऐसी नहीं होगी जिसमें इस प्रकार से किसी वर्ग को लाभान्वित किया जा सकता है।

तो हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम करने के लिए तत्पर है और निश्चित रूप से परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जो हमने वादे किये थे सुराज संकल्प यात्रा के दौरान, उन पर तो हम खरे उतरेंगे ही, उनसे भी बढ़कर काम करके बताएंगे। जय हिन्द। जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के हम सभी सदस्य पिछले दो दिन से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस कर रहे हैं, अपने विचारों का प्रकटीकरण कर रहे हैं और प्रदेश का आम अवाम भी चाहता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सार्थक बहस करे।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका, यह कोई साधारण पुस्तिका नहीं; यह प्रदेश की प्रगति का आइना है, जिसमें विकास की गति और भावी योजनाओं की प्रगति के दिग्दर्शन होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सत्ता पक्ष में हैं, अभिभाषण का पक्ष करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे लेकिन अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है तो जिम्मेदारी बनती है प्रतिपक्ष में बैठे मेरे भाइयों की कि वे अभिभाषण में कमी निकालें, सरकार की अगर कोई कमजोरियां हैं, खामियां हैं तो उनको तर्क और तथ्यों के आधार पर इस सदन में रखें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चौदहवीं विधान सभा के अब तक अधिकांश सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गये। सत्र के आहूत करने पर जो करोड़ों रुपया बरबाद होता है, केवल हमारा ही नहीं, प्रदेश की जनता का दिल दुखता है। क्या इसलिए हमें निर्वाचित करके भेजा गया?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

प्रतिपक्ष के मेरे भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अन्यथा नहीं लें, हम राजनीति में बरसों से हैं। जब इस हाउस में नहीं आये थे, अख़बार उठाकर पढ़ा करते थे, हरिदेवजी जोशी के टाइम या शिवचरणजी माथुर के टाइम, जब प्रतिपक्ष के नेता भैरों सिंहजी शेखावत थे, ऐसा लगता था कि पैरेलल सरकार भैरोंसिंह शेखावत की राजस्थान में चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता के नाते, सरकार के खिलाफ क्या बोला जा सकता है, केवल हवा में बात नहीं करते थे, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ सदन में रखते थे और हुकूमतों को घुटने टेकने पड़ते थे।

हम चाहते हैं, हम तो शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप भी ऐसा प्रतिपक्ष बनो कि हमें कहीं झुकना पड़ जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल आपके नेता राहुलजी को लेकर, मैं कोई अन्यथा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप उत्तेजित मत होओ; केवल राहुलजी को लेकर, राहुलजी ने क्या किया, पूरे देश को ज्ञात हो गया। राहुलजी की आलोचना केवल हम ही नहीं कर रहे, पूरे हिन्दुस्तान का बुद्धिजीवी, पूरे हिन्दुस्तान का मीडिया, पूरे हिन्दुस्तान के राजनीतिक दल, सबने आलोचना की है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सदस्य, विराजें। इसको आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए था। आपको इसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं इस पर आगे बोलूंगा, बाद में बोलूंगा लेकिन अभी तो केवल इतना ही चाहता हूं कि आम अवाम की भावनाओं का आदर करते हुए, हम आपस में मिलकर ऐसा चिंतन, मनन, मंथन करें, ऐसा स्वरूप उभर कर आए कि देश भर के जितने भी सदन हैं, हमारी तरफ देखें कि कैसी एकजुटता, कैसा समन्वय, कैसा सामंजस्य है और सब प्रदेश की प्रगति को दिल से चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, मेरे

(श्री भवानी सिंह राजावत)

प्रतिपक्ष के भाइयों ने भी पढ़ा है, साफ झलक रहा है कि प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सफलता के शिखर पर पहुंच रहा है; प्रदेश विकास के स्तर पर गुजरात के बराबर आकर खड़ा हो रहा है। 2003 से 2008 तक वसुन्धराजी का राज था, वह इस राजस्थान का स्वर्णिम शासन काल था। उसके बाद 2008 से 2013 तक राज आया मेरे सामने बैठे भाइयों का, अशोकजी गहलोत के हाथों में राजस्थान की जनता ने कमान दी। हम चाहते थे कुछ बदलाव करते, कुछ परिवर्तन करके इस प्रदेश की तकदीर बदलते, लेकिन 2008 से 2013 तक इनका राज रहा, उस राज में राजस्थान के माथे पर फिर कंगाली का कलंक लगा। राजस्थान पतन और कंगाली के कगार पर खड़ा हो गया। लेकिन आज वसुन्धराजी के हाथों में जब कमान आई है, प्रदेश की जनता ने अपनी तकदीर की बागडोर वसुन्धराजी के हाथों में सौंपी है, उसके बाद फिर राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगा है। आपने जिस अर्थव्यवस्था को रसातल में डाल दिया था, उस अर्थव्यवस्था को रसातल से धरातल पर लेकर आई तो दो साल में वसुन्धरा राजे लेकर आईं; कंगाली के कलंक को धोकर खुशहाली का चंदन राजस्थान के माथे पर लगाया तो वसुन्धरा राजे सिंधिया ने लगाया। आपने कभी नहीं चाहा कि राजस्थान प्रगति करे, राजस्थान उन्नति करे। आपके दिलोदिमाग में कभी यह बात नहीं आई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में, 'देखिए', 'रिसर्जेंट राजस्थान' में जिस तरह का पूरे हिन्दुस्तान में तहलका मचा। लोग सोचते थे, राजस्थान रेगिस्तान है; राजस्थान था मरु प्रदेश; रेत के टीलों में चलते हुए ऊंट, पानी के लिए भटकती हुई महिलाएं, मटके सिर पर लेकर, यह राजस्थान की तस्वीर देश और विदेश में थी, लेकिन वसुन्धराजी ने इस धारणा को बदल दिया। जब निवेश के लिए आतुर हुए देश विदेश के उद्यमी आये, बड़े औद्योगिक घराने आये, 3 लाख 21 हजार करोड़ के निवेश पर जो एम ओ यू हुआ, हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में आज तक इतना बड़ा एम ओ यू नहीं हुआ। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, 1 लाख 62 हजार करोड़ के निवेश का एम ओ यू हुआ था, लेकिन तत्काल शासन परिवर्तन हुआ और बदलने के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर चरमराकर टूट गया। पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, तो एम ओ यू करने वाले पूरे उद्यमी राजस्थान की धरती से पलायन कर गये। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, जो एम ओ यू हुए हैं, वे यथार्थ के धरातल पर उतरेंगे और

(श्री भवानी सिंह राजावत)

राजस्थान में औद्योगिक क्रांति आएगी; रोजगार के द्वार खुलेंगे, रोजगार सृजन होगा। लाखों की संख्या में नौजवानों को, इस 'रिसर्जेंट राजस्थान' के एम ओ यू के आधार पर ही ढाई लाख बेरोजगार नौजवानों को राजस्थान की धरती पर रोजगार मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सब योजनाएं कैसे सफल हो रही हैं? ये बंद कमरे में बैठकर योजनाएं नहीं बनी हैं। जिस तरह का माननीया मुख्य मंत्रीजी ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया, पूरे राजस्थान के चप्पे-चप्पे को छान रही हैं, पूरे सम्भागों में जा रही हैं, लोगों की भावनाएं ले रही हैं, कहां उद्योग होना चाहिए, कहां बांध बनना चाहिए, कहां एनिकट बनना चाहिए, कहां अस्पताल खुलना चाहिए। पहले की सरकारें सचिवालय में बैठी रहती थीं, सचिवालय में बैठकर जन-भावनाओं के विपरीत निर्णय लेती थी लेकिन यह सरकार, मुख्यमंत्री-आपके-द्वार, मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान में जा रही हैं। ये मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, आदरणीय गृह मंत्रीजी, गुलाबजी बैठे, आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब बैठे, पूरे मंत्रिमण्डल के जितने भी सदस्य हैं, कालीचरणजी बैठे, मेरे भाई राजपाल सिंहजी बैठे हैं, ये जा रहे हैं; गांव की चौपाल पर, चारपाई पर बैठकर, गरीब की पीड़ा को, व्यथा को सुन रहे हैं और गरीब की पीड़ा में उसके आंसू पोंछ रहे हैं, यह है जनता की सरकार, यह है जन-जन की सरकार और निर्णय भी जन-भावनाओं के अनुरूप लिये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय भी जन-भावनाओं के अनुरूप लिये जा रहे हैं।

अब जब जन-सुनवाई की तो 3 लाख 7 हजार 373 परिवेदनाएं आईं और उनमें से 99 प्रतिशत, यानी कि 3 लाख 5 हजार 996 परिवेदनाओं का निराकरण हुआ। आप भी कर सकते थे। अगर आप ऐसा करते, तो एक कोने में सिमट कर नहीं बैठते, मेरे भाइयों। आप भी हमारी जगह आ सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया, आपने जनता की कभी नहीं सुनी।

आप देखिये, या तो इस राजस्थान की धरती पर 1977 में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी, उस सरकार के मुख्य मंत्री तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्यमंत्री बने। वे कौनसी योजना लेकर आये थे, वे अन्त्योदय योजना लेकर आये थे। उस अन्त्योदय योजना को पूरे देश ने अपनाया। अब राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे योजना लेकर आई हैं, भामाशाह योजना,

(श्री भवानी सिंह राजावत)

समृद्धि योजना। वह केवल एक-दो के लिए ही नहीं, तीन करोड़ लोगों का नामांकन हो गया; एक करोड़ से ज्यादा परिवारों के तीन करोड़ से ज्यादा लोगों का नामांकन हो गया। समृद्धि योजना में चाहे वह पेंशन हो, चाहे वह नरेगा का पैसा हो, वह सीधा खाते में जमा हो जाएगा। पेंशन वाले व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा, दर-दर जाकर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह क्या अद्‌भुत योजना है, दो हजार रुपये सरकार खाते में जमा करा रही है।

उससे ज्यादा तो मैं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य बीमा इसमें आया है वह स्वास्थ्य बीमा कोई साधारण बीमा नहीं है, उस स्वास्थ्य बीमा में कायापलट हो जाएगी; तीस हजार से लेकर तीन लाख तक की सहायता गरीब को मिलेगी। 50 साल राज किया आपने राजस्थान की धरती पर। आपने पिछले राज में निःशुल्क दवाइयां, आपने निःशुल्क दवाइयों की दुकानें खोलीं। क्या दवाइयां मिलती थीं उनमें, पैरासीटामोल, लेरिगो, सूमो, ओमेज, ब्रूफेन, सेरिडान; ये दवाइयां मिलती थीं, केवल 10-15 दवाइयां। अब डेढ़ सौ तरह की दवाइयां और उनमें भी महंगी दवाई। हार्ट की दवाई प्लाविक्स, इकोस्प्रिन, एटिजोला, बी.पी. की मेटेक्सल, ये सब महंगी दवाइयां आज सरकारी दवा की दुकानों पर मिल रही हैं। (व्यवधान) चिन्ता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सुन लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आ जाएं सड़कों पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सड़कें हमारी जीवन रेखा हैं, सड़कें हमारी वे धमनियां हैं जिनमें विकास का लहू बहता है। सड़कों का हमारा अतीत गौरवशाली नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि मेरे सामने बैठे कांग्रेस के लोगों ने 50 साल से ज्यादा राज किया इस राजस्थान में और हिन्दुस्तान में, लेकिन कभी नहीं सोचा कि इन धमनियों में विकास का लहू बहे, सड़कें बन जाएं। जमाना था राजस्थान में सुखाड़ियाजी के टाइम पर, बरकतुल्लाह खानजी के टाइम, जब कई जिले भी नहीं जुड़े थे, तहसीलें नहीं जुड़ी थीं। ऊंटों पर नेता गांव में जाते थे। सड़कें नहीं थीं। बरसात में कट जाते थे जिले। आपस में शहर कट जाते थे, कस्बे कट जाते थे। इस पीड़ा को भी अगर किसी ने

(श्री भवानी सिंह राजावत)

समझा, तो पहली बार 1977 में जब भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, ऐतिहासिक निर्णय लिया कि राजस्थान का हर पंचायत हैड-क्वार्टर सड़कों से जोड़ा जाएगा। सड़कें पंचायत से जुड़ने लगीं, गांव जुड़ने लग गये। उसके बाद तो देश के करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट-अटल बिहारी वाजपेयीजी जब देश के प्रधान मंत्री बने, कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप लोग कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आ जायेगी। गांव में सड़कों का जाल बिछ गया। सिक्स लेन, फोर लेन, एक्सप्रेस हाई-वे, मेगा हाई-वे, यह सड़कों का जो इतिहास बनाया, क्रांतिकारी सूत्रपात किया तो हमने किया। अब तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानों का कचरा निकालकर सुन लो, कभी आप सोच नहीं सकते थे कि गांव में सी.सी. रोड बन जाएंगे, गांव में नालियां बन जाएंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका विधान सभा क्षेत्र भी गांवों का, मेरा भी है, बैठे हुए अधिकांश सदस्यों का है; हम गांव में घुसते थे, दो-दो फीट कीचड़ में गांव में जाते थे। लोग गालियां देते थे। वसुंधराजी ने जब यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा हो, चाहे बाद की यात्रा हो; उससे पहले भी, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने, जब एक बार सांसद थीं, 75 किलोमीटर की पदयात्रा झालावाड़ में की। मैं साथ था। उसके बाद 65 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उस समय कहती थीं कि यह गांव का कीचड़ कैसे मिटेगा। अगर मेरे हाथ में ताकत आई तो मैं गांव के कीचड़ को मिटा कर रखूंगी। आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन हजार गांवों में गौरवपथ का काम शुरू हुआ है। शहर स्मार्ट हो रहे हैं, तो गांव भी स्मार्ट हो रहे हैं। गांव की सूरत शहर की तरह बदलती जा रही है। अभी 7,876 करोड़ की सड़कें इस राजस्थान की धरती पर बन गयीं। आप तुलना कर लो, जमीन-आसमान का अंतर है, आपके राज में और भारतीय जनता पार्टी के इस राज में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल राजस्थान को विरासत में मिला हुआ है। राजस्थान की लगभग 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर। 343 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि के योग्य है लेकिन इसके बावजूद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1.6 प्रतिशत पानी राजस्थान में मानसून का आता है, वह भी आधा कहीं नदी-नालों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। भू-जल स्तर 1,500 फीट नीचे चला गया। किसी ने नहीं सोचा। लेकिन पहली बार अगर सोचा तो

(श्री भवानी सिंह राजावत)

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने सोचा कि बरसात के बहते हुए पानी को बचाया जाये, जल स्वावलम्बन योजना राजस्थान में लाई जाये। पूरा हिन्दुस्तान, चाहे महाराष्ट्र भी लेकर आया है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से 27 तारीख को इसका आगाज हुआ और आगाज होने के बाद, चाहे आपने साथ नहीं दिया हो, लेकिन इस राजस्थान के उद्यमियों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, सबने सहयोग दिया। अब आने वाले समय में देखना, राजस्थान पंजाब की तरह हरियालीमय राजस्थान हो जायेगा। राजस्थान में नदियों में जाते हुए पानी को रोका जाएगा; एनिकट बनेंगे, बांध बनेंगे, तालाब बनेंगे और राजस्थान में हरियाली छा जाएगी। यह है योजना जो पीढ़ियां याद करेंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अभी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्रीजी की सोच है लेकिन केन्द्र में बैठी हमारी सरकार ने अभी 60 हजार करोड़ रुपये भूमिगत जल-स्तर ऊपर आये, इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। आपका भी राज था दिल्ली में, आपका भी राज था राजस्थान में, आपने कहीं 6 हजार करोड़ भी मंजूर नहीं किये। लेकिन हम चाहते हैं, इस राजस्थान में कभी अकाल नहीं पड़े, इस राजस्थान की एक-एक इंच भूमि सिंचित हो, इसके लिए जल स्वावलम्बन योजना और दूसरी योजनाएं लेकर आये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा योजना की बात करना चाहूंगा। इनके राज में भी फसल बीमा योजना थी लेकिन उस योजना का केवल 27 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलता था। अब जब लगने लगा कि हिन्दुस्तान में किसान आत्म-हत्याएं कर रहा है और कब से कर रहा है, जब से ये हुकूमत में बैठे हैं। इन 10 सालों में तीन लाख किसानों ने आत्म-हत्याएं कीं, इसलिए कीं कि प्राकृतिक आपदा में किसान तबाह हो जाता है, प्राकृतिक आपदा में किसान बरबाद हो जाता है। फसलें चौपट हो जाती हैं। प्रधान मंत्रीजी ऐसी फसल बीमा योजना लेकर आये हैं; सुन लो, प्रतिपक्ष के नेता डूडी साहब, ऐसी योजना है, किसान खेती करेगा, बीज बोएगा, फसल उग आयेगी; अगर ओले पड़ जाते हैं तो उसको केवल दो प्रतिशत प्रीमियम पर पूरा मुआवजा मिलेगा। फसल काट कर अगर वह ट्राली में भी लेकर जा रहा है और वहां भी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

अगर आपदा आ जाती है तो उसको मुआवजा मिलेगा। ट्राली लेकर भामाशाह अनाज मण्डी में जा रहा है और अनाज मण्डी में ढेर कर दिया, वहां भी अगर ओले पड़ गये तो उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। अब किसान की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी; हिन्दुस्तान का एक भी किसान अब आत्महत्या नहीं करेगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है कि यह क्या योजना आ गयी, हमारा तो सब कुछ लुट गया लेकिन हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से उसको सम्बल देना चाहते हैं। इसलिए यह फसल बीमा योजना, यह राजस्थान की धरती पर, हिन्दुस्तान की धरती पर आई है।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आज मेरे सामने बैठे प्रतिपक्ष के भाई, कांग्रेस के नेता अस्तित्व की और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व तो मैं इसलिए कहूंगा, वैसे तो विधान सभा में इनका सब कुछ चौपट हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर ये कार्य शैली अच्छी रखते, कार्य-प्रणाली जनता के बीच में जाने की रखते, तो उसके बाद हुए लोक सभा चुनाव, जिसमें इनका पूरा सफाया हो गया; पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव, सब चुनावों में इनका सफाया हो गया। आज अब भी अगर सर्वे करवा लिया जाए तो अभी की सीटों से भी 10 सीटें कम कांग्रेस की आ रही हैं, क्योंकि ये प्रतिपक्ष की भूमिका पूरी अदा नहीं कर पाये।

जहां तक वर्चस्व का सवाल है, अभी भी धड़ों में बंटे हुए हैं। अब भी कह

(15.00 बजे)

नहीं सकते कि हमारा मुख्य मंत्री कौन होगा, अशोकजी गहलोत होंगे या सचिनजी पायलट होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा नेतृत्व मजबूत हाथों में राजस्थान की लोकप्रिय जन-नायिका आदरणीया वसुन्धराजी राजे के हाथों में है। अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और वे ही मुख्य मंत्री बनेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता बदलो।

राहुलजी गांधी का जहां तक सवाल है, मेरे भाइयों, राहुलजी गांधी जे.एन.यू. में किससे हाथ मिलाने गये थे? किसकी पीठ थपथपाने गये थे? जो नारा लगा रहे थे- 'अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं'; 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद'; पाकिस्तान जिंदाबाद'; 'कश्मीर को आजाद करो।' मैं आपको कहना

(श्री भवानी सिंह राजावत)

चाहता हूं कि आज यह हिन्दुस्तान की आम-अवाम की आवाज है, अगर कोई देशद्रोही है, देशद्रोही का केस लगा दिया था, गुलाबजी कटारिया बैठे हैं, घनश्यामजी तिवाड़ी बैठे हैं, किसने लगाया था? 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया तो उसका विरोध किया था। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी संविधान में, इसलिए बोले थे, लेकिन 19 महीने जेल में डाल दिया। तो अगर कोई अब भी देशद्रोहियों की जाकर हिमाकत करेगा, हाथ मिलाएगा, पीठ थपथपाएगा, तो चाहे वह सीताराम येचुरी हो या कन्हैयालाल हो या राहुल गांधी हो, +++

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदस्य महोदय, आप इतना अच्छा वक्तव्य दे रहे थे, ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। I will take care of it.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन को अपना कार्य तो करने दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। आसन यह निर्देश देता है कि किसी इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का, जो यहां अभिव्यक्त किया गया है, वह लिखित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): और मैं भी अपने शब्द वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अपने से पहले से संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की बहुत-बहुत प्रशंसा करवाई, उसको सफल बताने का प्रयास किया, उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांति बनाए रखें। No conversation. I can spell your name and I know you.

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण के जो अंतिम शब्द थे, +++ वह मैं वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): शुरू करें, साहब?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अपनी पहले से चल रही संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की बहुत-बहुत प्रशंसा करवायी और उनको सफल बताने का प्रयास किया और जो खाका उन्होंने योजनाओं का बताया और कोशिश की कि हमने एक सफल अभियान चलाया और सफल कार्यक्रम बनाया, लेकिन जो 166 पैरा है इसके अन्दर, 75 पेज पर, यह बिलकुल असत्य का पुलिंदा है और मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय से कहलवाया कि राजस्थान 'ईज-आफ-डूइंग' बिजनेस' में छठे नम्बर पर है, यह कोई उपलब्धि नहीं है। झाड़खंड और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित आदिवासी-बहुल राज्य आप से भी कहीं आगे हैं तो यह कोई आपकी ऐसी चीज नहीं लगती कि आपने छठे नम्बर पर स्थान प्राप्त किया है।

राजस्थान ही देश में एक हमारा रेगिस्तानी राज्य है और इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, वह आप नहीं दिलवा पाये। केन्द्र में

(श्री रमेश)

आपकी पार्टी की सरकार है, आप कोई विशेष पैकेज नहीं ला पाये हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और बिहार को भारत सरकार ने 5 लाख करोड़ तक पैसा दिया हैं।

आज राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, वह बड़ी दयनीय है। ढाई लाख करोड़ के करीब कर्जा राज्य सरकार पर हो गया है, बिजली को मिलाकर के, और जो पहले से हमारे समय की चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन पर भार बताकर या गलत बताकर उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।

उसके बाद में आप रोजमर्रा पेट्रोल पर, वैट पर आप दरें बढ़ाये जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने 1 फरवरी, 2016 को एक हजार वस्तुओं पर 0.50 परसेंट वैट बढ़ाया। आपका बजट आ रहा था, बजट में उस चीज को लेते लेकिन आप लोगों ने जनता को बेवकूफ समझकर धीरे से वैट बढ़ा दिया। तो इससे घरों में लगने वाली टायल, फर्नीचर, किराने का सामान, कृषि, मशीनरी, मेडिकल, आदि सब महंगे हो जाएंगे। जबकि हम तुलना करें अदर स्टेट से, तो यहां पर जो वैट है, अन्य राज्यों से एक प्रतिशत अधिक है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 'बेवकूफ' शब्द का प्रयोग किया है, यह असंसदीय शब्द है।

श्री उपाध्यक्ष: अब कुछ कार्य तो आप आसन पर भी छोड़ दो।

श्री रमेश (सपोटरा): तो केन्द्र सरकार के द्वारा कराए गए नवीन सर्वे के अनुसार अभी राज्य में केवल मात्र 9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास ही एल.पी.जी. कनेक्शन हैं और 89 प्रतिशत परिवार जो हैं, वे जलाऊ लकड़ी पर ही निर्भर हैं। तो राज्य की इससे वित्तीय स्थिति का सीधा-सीधा आकलन हो जाता है, खुलासा हो जाता है कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, कैसी गरीबी है। यहां पर 73 परसेंट परिवार रोज 100 रुपये, 170 रुपये में गुजारा करते हैं और राज्य के 34 लाख परिवार के पास अपने घर हैं लेकिन उनमें से 21 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनके एक कमरे में कच्चा घर है और 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक पक्का कमरा है। तो राज्य की स्थिति इतनी भयावह है, जिसकी हमारे पूर्व माननीय वक्ताओं ने बड़ी-बड़ी बातें की हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं को साकार बताया है, सफल बताया है।

यहां पर माननीय चिकित्सा मंत्री विराजमान हैं। अभी इन्होंने 'भामाशाह योजना' में 320 प्राइवेट हास्पिटल्स को जोड़ने की बात कही है। तो

(श्री रमेश)

इसमें कितने बड़े हास्पिटल्स हैं, कितने छोटे हैं, ये जो जोड़ पाएंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता, जो हमारी टोकन मनी पर संचालित हास्पिटल्स हैं, बड़े-बड़े उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। यदि छोटे-मोटे लोगों को, इन्होंने हास्पिटल्स को जोड़ भी लिया तो जिस प्रकार शिक्षा में आर.टी.ई. में फर्जीवाड़ा करके प्राइवेट स्कूलों ने करोड़ों रुपये कमाये, तो इसी प्रकार यह पैसा भी, जो फर्जीवाड़ा होगा, इन हास्पिटल्स में होगा और सरकार आम आदमी और गरीब का इलाज नहीं करवा पाएगी। इसका उदाहरण भी लग रहा है आप लोगों को कि एस.एम.एस. में स्थिति क्या है गरीब लोगों की, बैड की, एक-एक कमरे में कितने-कितने लोग भरे पड़े हैं।

नि:शुल्क दवा योजना में हर साल 400 से 500 करोड़ रुपये की दवा खरीद होती है लेकिन फिर भी मरीज को निजी दुकानों पर जाना पड़ रहा है। जहां तक अपन जांच की बात करें, तो इनकी जो जांच है, दवाइयों की, वहां पर लैब्स में 65 में से 45 पद रिक्त हैं और 3,800 सैम्पल अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। नकली दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं और अभी जो चैक हुई हैं, उन दवाओं में 26 से अधिक दवाइयां अमानक पाई गयी हैं, जिनमें महंगी एंटीबायोटिक्स तक शामिल हैं।

अभी इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में 3 लाख 50 हजार सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क देने की जो बात कही है, सात जिलों में, सरकार इसकी जांच करवाए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब किस लेवल पर हुआ है, इसकी जांच थर्ड पार्टी से करवाएं।

अभी प्रदेश में 25 कुपोषण से मौतें हुई हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे साफ-साफ सिद्ध हो रहा है कि लोगों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है और अनाज नहीं मिलने के कारण कुपोषणता बढ़ रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजस्थान में गरीब लोगों को, पी.डी.एस. सिस्टम फेल है, सरकार की अन्य योजनाएं फेल हैं, चाहे नरेगा हो, चाहे अन्य हों। लोग भूखे मर रहे हैं। तो कुपोषण बढ़ रहा है और इस पर सरकार का कोई कण्ट्रोल नहीं है।

इसी प्रकार से, सरकार मिलावट रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। हमारे द्वारा संचालित मोबाइल वैन योजना थी, उसको पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया है। जब दीपावली का समय आता है तो उस समय सघन

(श्री रमेश)

अभियान चलाया जाता है और मिलावटियों को पकड़ने के लिए, दूध हो, मिठाई हो, तेल हो, जो भी खाद्य सामग्री हैं, उनकी जांच करवाई जाती है। फिर अगर ऊपर से दबाव आ जाए तो उस आदेश को वापस भी ले लिया जाता है। क्योंकि सरकार, यह आम आदमी की सरकार नहीं है, यह गरीबों की सरकार नहीं है, यह उद्योगपतियों की सरकार है और व्यापारियों की सरकार है। इसलिए खूब मिलावट करो, लोगों को खूब जहर खिलाओ, लेकिन मिलावट पर कोई अंकुश लगाने वाली सरकार नहीं है।

अभी कटारिया जी चले गये, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे अपराध की बात कर रहे थे, आंकड़ों के जाल की बात कर रहे थे कि जादुई आंकड़ा हमारा कैसे चलता है और कैसे हम आंकड़े कम कर देते हैं। पिछले वर्ष, साल के अंत में, जयपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं, सात थानों में मात्र सात केस दर्ज हुए। जबकि जयपुर के जो सात थाने हैं, वहां पर एवरेज एक हजार से लेकर पन्द्रह सौ मुकदमे दर्ज होते हैं, मंथली, जिसमें वैशाली नगर में 1,196 मुकदमों में से एक मुकदमा दर्ज हुआ। इस प्रकार जादुई आंकड़े सरकार बता रही है, जबकि प्रतिदिन 5 हत्याएं, 10 दुष्कर्ष, 80 चोरियां और 17 नकबजनी, 15 अपहरण हो रहे हैं। यह आपकी जो क्राइम रिपोर्ट है, वह बता रही है। 2013 से 2015 की हम तुलना करते हैं तो डकैती में 15.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लूट में 15.21 की बढ़ोतरी हुई है, अपहरण में 8.82 की वृद्धि हुई है और बलात्कार में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है और नकबजनी में 7.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार से आम आदमी का इस राजस्थान में जीना बड़ा दूभर हो गया है। आदमी जब बैंक जाता है पैसे लेने, तो पैसे लेकर घर पहुंच जाए, तब ही उसको सुकून मिलता है; नहीं तो उसके भय बना रहता है कि कहीं कोई गोली नहीं मार दे, कहीं मुझे मार नहीं दे। तो इस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना है।

आज स्थिति यह है कि ए.सी.बी. के जो केस थे, उनमें एफ.आर. लगाने की संख्या बढ़ गयी है, उनकी परसेंटेज बढ़ गयी है। जबकि पुलिस विभाग में, ए सी बी में बड़ी सावधानी से, बड़े प्रूफ के साथ भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का खुले आम प्रयास कर रही है और अशोक सिंघवी जैसा भ्रष्टाचारी, उस पर आरोप पत्र, अभियोजन स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है सरकार का, कि भ्रष्टाचार को यह किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है?

(श्री रमेश)

आज आनन्दपाल जैसा अपराधी खुले में घूम रहा है। फेसबुक पर एक माह पहले लिख रहा है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहूंगा। तो सरकार सोती रही। इतना बड़ा गैंगस्टर भाग जाता है और 150 लोगों की टीम उसे ढूंढ रही है लेकिन 6 महीने हो गये, 3 सितम्बर, 2015 को भागा है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। यदि कोई छोटा-मोटा अपराधी होता तो यह सरकार उसको नहीं, उसके घर वालों को अन्दर थाने में बिठा देती, जेल भेज देती, लेकिन उसका परिवार कोई दुबई चला गया, कोई कहीं चला गया। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री कितने एक्टिव हैं कि कहते हैं कि मैं ही आनन्दपाल बन गया हूं। 44 हजार गांव हैं, 70 हजार पुलिस है, मैं क्या कर सकता हूं? कोई आदमी पेड़ से लटक जाए, मर जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? कभी कहते हैं कि भू-माफियाओं ने जयपुर कमिश्नर के लिए कहा कि आप ऐसा मत करो। कह रहे हैं कि अपराधों को पुलिस रोक नहीं पा रही है। यह जो जंग चल रही है, यहां पर जो कमिश्नर थे, यह वहां से शुरुआत हो रही है भू-माफियाओं की और जलसा तक जा रही है। जलसा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों की सांठ-गांठ है। इस प्रकार सरकार अपराधियों से, अधिकारियों से मिली हुई है और इस राजस्थान में पूरी जमीन को लैण्ड बैंक बनाकर, कहां-कहां अनियमितताएं करनी हैं, कहां-कहां भ्रष्टाचार करने हैं, तो इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बना दिया है।

मैं आगे बात करूंगा, भवानी सिंहजी ने कहा कि हमने निवेश लाने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया। बांग्लादेशियों की संख्या जयपुर में निरन्तर बढ़ रही है, उनके कोई सबूत नहीं हैं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं कर पा रही है, न कोई नीति बना पा रही है।

राजस्थान में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है, पहले अतिवृष्टि हुई, उसके बाद ओलावृष्टि हो गयी। किसान की खड़ी फसल बरबाद हो गयी। राज्य सरकार को उसका मुआवजा दिलाने में सालों लग गये, केन्द्र से अभी तक पैसा नहीं मिला है और इसी कारण 60 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है।

बिजली के क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि हमारे ऊर्जा मंत्री यहां विराजमान हैं, आज प्रदेश में बिजली कम्पनियों की क्या स्थिति है, वह इनको भी पता है और बिजली पर कितना कर्जा बढ़ा है...(व्यवधान) अभी सुन लो। मैं

(श्री रमेश)

वही चीज बता रहा हूं। आप तो शांति रखें। जब हम सरकार में थे, तब बिजली पर कर्जा 72,238 करोड़ रुपये था और इन सवा दो सालों में एक लाख करोड़ कर्जा बढ़ गया है। इन सवा दो सालों में 28 हजार करोड़ रुपये कर्जा बढ़ा है और इन सवा दो सालों में तीन से छह परसेंट की छीजत हुई है। इसको भी यह सरकार नहीं रोक पाई है। सबसे ज्यादा इन सवा दो सालों में इन्होंने बिजली खरीदी है। (व्यवधान) मंत्रीजी हां, बताइये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय विधायक महोदय, घाटा हमने कम किया है। आपका जो वार्षिक घाटा 15,645 करोड़ का था, उसको पिछले दो सालों में हम 9 हजार करोड़ तक लेकर आ गये हैं। धीरे-धीरे इस घाटे को कम करते जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश चल रही है। आपने जो साढ़े 15 हजार करोड़ का घाटा, जो वार्षिक घाटा था, इसको हम इस साल में 9 हजार करोड़ तक लेकर आ गये।

एक माननीय सदस्य: सदन में असत्य नहीं बोलना चाहिये।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, आप वैसे ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन मैंने जो बात कही है वह आपके इंडेक्स से ही कही है, बुक से ही कही है। मैंने मेरे हिसाब से नहीं कहा है इस बात को। या तो आपको जानकारी नहीं है। नहीं तो, आपके जो चीफ इंजीनियर हैं, सी एम डी हैं, एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उनसे पता कर लेना कि 72,238 करोड़ रुपये नवम्बर, 2013 में हमने छोड़ा और उसके बाद आज आपकी जो बी.ई. है, 98 हजार करोड़ के लगभग, जिसको आपने 9 हजार करोड़ बताया, उसको पार कर गया है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 77 हजार करोड़ का घाटा आप छोड़कर गये थे।

श्री रमेश (सपोटरा): 72 हजार।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 77 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर गये थे।

श्री रमेश (सपोटरा): आप देखना। मार्च-टू-मार्च 74 हजार है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घाटा नहीं है, घाटा है, पर हम घाटे में कमी लाये हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपको जानकारी नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपसे ज्यादा जानकारी है।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं बता रहा हूं ना। आप इंडेक्स मंगवा लो बिजली विभाग से। अभी पता लग जाएगा आपको।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैंने मंगवा लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): आपको जानकारी नहीं है। यह चीज मैं आपको फिर बताता हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में भी गया था। आपके क्षेत्र में भी मैं गया था।

श्री रमेश (सपोटरा): वह भी बता रहा हूं मैं। क्षेत्र की तो बात छोड़ो। मेरे क्षेत्र की बात करोगे तो मेरे यहां बिजली की छीजत है 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत। धौलपुर में 65 प्रतिशत, झालावाड़ में 55 प्रतिशत, अलवर में 48 प्रतिशत।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 60 प्रतिशत आपके है।

श्री रमेश (सपोटरा): बारां में भी 50 प्रतिशत है, जबकि जो आपके छीजत के आंकड़े हैं, 3 से 6 प्रतिशत आप बता रहे हो। आपका जयपुर डिस्काम का 3 प्रतिशत, अजमेर का आपका 6 प्रतिशत है और जोधपुर का 3 प्रतिशत आप बता रहे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक मिनट। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आप यह तो मान रहे हैं कि जब सरकार आप छोड़कर गये थे, तब डिस्काम्स का एक साल का 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा चल रहा था। यह सही है न?

श्री रमेश (सपोटरा): 15 हजार करोड़ की बात ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका ही डैटा बोल रहा हूं। इसका मतलब, 5 साल के राज में 15 हजार करोड़ से ज्यादा को गुणा करो 5 पांच साल से, कितने हुए? 75 हजार करोड़ का चूना तो आपने लगा दिया 5 साल में ही। लगा दिया न? उस 15 हजार करोड़ से जीरो तो रातों-रात होता नहीं। उस 15 हजार करोड़ रुपये का जो साल का घाटा डिस्काम्स सह रहा था छाती पर, राजस्थान की जनता पर, उसको 9 हजार करोड़ रुपये कर दिया। 9 हजार करोड़ से ढाई साल में पैसा तो बढ़ेगा ही। इसमें कहने की बात है ही नहीं। सवाल यह है कि 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का जो घाटा राजस्थान की जनता की छाती पर हर साल डाल रहे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

थे, उसको 9 हजार करोड़ रुपये कर दिया। इसके लिए धन्यवाद तो देओ आप इनको।

श्री रमेश (सपोटरा): जो मंत्रीजी बोल रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने जो बात बतायी है कि 15 से हम 72 हजार पर आये, तो हमने कितनी परियोजनाएं जनरेट कीं? एक बात तो यह है। आप दूसरी बात सुन लें। 28 हजार करोड़ का जो घाटा सवा दो साल में, तो बाकी पौने तीन साल में आप इसको कहां ले जाओगे? यह बताइये। आपके शॉर्ट टर्म लोन की बात करें, हमारे समय में 56 हजार करोड़ था, अब 63 हजार करोड़ हो गया है। 7,794 करोड़ का शार्ट टर्म में आपका लोन बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। लोंग टर्म लोन की बात करें तो आपका 16 हजार था, उससे 17 हजार पर पहुंच गया। इसमें 476 करोड़ बढ़ा है, मंत्रीजी, यह भी। आपका लोन बढ़ गया, लोन 81 हजार करोड़ हो गया है बिजली का, यह तो आपको पता है न और मार्च के एंड तक 82 हजार करोड़ हो जायेगा।

फिर आप बात करते हों, तो बिजली में जो कम्पनियां हैं, छबड़ा की कम्पनियां हैं, आपकी कालीसिंध की जो कम्पनियां हैं, हमारी जो थर्मल पावर है, भाई, इनको क्यों बेचना चाहते हैं? आप इसका जवाब देना, क्यों बेचना चाहते हों? अभी तो हमने शुरुआत ही की है कालीसिंध की तो। वी.जी.आर. कम्पनी को ठेका मिला था कालीसिंध बनाने का, थर्मल का, उसमें भी अनियमितताएं हुई थीं। वह भी आपके समय में ठेका दिया गया था। यह भी जानकारी प्राप्त कर लेना, आपको नहीं हो तो।

इसके बाद में, उसका जो प्रोडक्शन है, जिसमें जो घाटा चल रहा है, साढ़े पांच सौ से पांच सौ करोड़ पर आया है। इसी प्रकार, छबड़ा की इकाइयों में भी घाटा कम हुआ है। क्योंकि जो कमीशनिंग में लेट हुए और बिजली उत्पादन समय पर नहीं हो पाने के कारण हमारा यह कर्जा बढ़ा, लेकिन आने वाले समय में..., मंत्रीजी, मेरी बात सुन लो, फिर जवाब देना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अभी आप मेरी बात सुन लो। यह घाटा, कालीसिंध में सात हजार करोड़ का लोन था, दो हजार करोड़ की स्टेट की इक्विटी थी। यह काम जो आपके तीन साल में पूरा होना था, वह आपके कार्यकाल में आप पूरा नहीं कर सके, वह अभी जाकर इस काम को हमने पूरा किया। सरकार की, मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उन्होंने आते ही कालीसिंध पर, इस प्रोजेक्ट को, जो डिले प्रोजेक्ट आपके, जो आपको लोन का पैसा मिला उसको आपने बिजली खरीदने में और कोयले खरीदने में डाल दिया। इससे उसका जो पैसा है, उसका जो ब्याज है, उस ब्याज के कारण आज कालीसिंध फेल हो रही है। अगर आपने टाइम पर कमीशन कर ली होती तीन साल में, तो यह 2011 में शुरू हो जाती। 2008 में हमने शुरुआत की थी, 2011 में चालू हो जाती तो आज कालीसिंध प्रोफिट में होता। आपके कारण यह कालीसिंध का प्रोजेक्ट आज है, इसमें ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्री जी, आपके थोड़ा-सा जानकारी में मैं आपको बता दूं कि हमारे राहुल गांधी जी ने इसका कालीसिंध का उद्‌घाटन किया था, आपसे पहले हो चुकी थी और उस समय पानी नहीं था। यह मैं आपको जानकारी बता दूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यही दुर्भाग्य की बात है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तब तो नुकसान होना तय ही था। जिसने उद्‌घाटन किया ...(व्यवधान) तब तो नुकसान होना तय ही था।

एक माननीय सदस्य: जिस दिन राहुल ने चालू करा ...(व्यवधान) नुकसान होना तय था। उनकी कुंडली में लिखा है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस परियोजना की नींव भी आपकी सरकार में रखी गयी थी। (व्यवधान) आपको जानकारी होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: वह चालू ही नहीं होना था। उस समय तो चालू हुआ ही नहीं था।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी अपनी जानकारी ठीक कर लें, जानकारी पूरी नहीं है। आप जो बात कर रहे हो, नहीं, पहले सुन लो आप। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप मेरे साथ आकर बैठ जाएं, आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी-अपनी जानकारी ठीक कर लें। विराज जाओ। अब बिजली से, you have to conclude. You have already run out of time.

श्री रमेश (सपोटरा): हां, बिलकुल।

एक आंकड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे समय में हमने जो बिजली खरीदी 21,449 करोड़ और इन्होंने अभी सवा दो साल में ओवर-आल जो बिजली खरीदी है 29,670 करोड़ की। अब तक का राजस्थान में इतिहास भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा बिजली खरीद हुई है इन सवा दो सालों में। क्योंकि हमारी जो परियोजनाएं हैं, उनको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया; बाहर से बिजली खरीद रहे हैं।

और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मंत्रीजी, आपको एक और बता दूं, आपका जो राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी जिसकी बात करते हो और प्रथम पुरस्कार पाते हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में है तो आर.आर.ई.सी. में है। आप ध्यान रखना, पता करवा लेना। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार भी अधिकारियों ने किया है, सबसे ज्यादा; हमारे समय में भी किया है और आपके समय में और ज्यादा हो रहा है। यह और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। इन्होंने भूमियां दी हैं, 72 हजार बीघा सोलर एनर्जी में भूमि दे दी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आगे मैं चलता हूं। बिजली की ज्यादा बात हो गयी। अभी कल-परसों मैं पढ़ रहा था, प्री-पेड मीटर खरीदने में उसके साथ आप 100 मीटर केबल भी, डोरी भी दे रहे हो। तो यह कौनसा नया सिस्टम आ गया? उसके दाम बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो? इसकी जांच कराओ। इसमें करोड़ों रुपये का घपला है। आप इसकी आडिट करवाएं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): डिब्बा दिया था उसका। क्या आडिट कराओ? डिब्बा आपके टाइम पर दिया। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आपको जानकारी नहीं है। नगरपालिकाओं में वहां पूछना निवाई में जाकर के।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा, बिजली का टापिक समाप्त।

विद्यालयों की स्थिति क्या हो रही है, आज शिक्षा की स्थिति क्या हो रही है कि राज्य के सैकड़ों संख्या में निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. में फर्जी प्रवेश पत्र बताकर अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की राशि हड़प ली। आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आप ढाई साल में ट्रांसफर पालिसी लाने वाले थे, अभी तक नहीं ला

(श्री रमेश)

पाये। न कोई विजन डाक्यूमेंट की बात कर रहे हों। लागू करेंगे, यह आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि हम पालिसी लायेंगे, पालिसी आयी नहीं है। अभी आप केवल बातें ही कर रहे हों।

आपके राज्य में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों के व्याख्याताओं के 46 हजार पद स्वीकृत हैं, उनमें से 22 हजार पद रिक्त हैं। इस कला, वाणिज्य के भी यही हाल हैं। खाली पद आपसे भरे नहीं गये और 1,012 इस सत्र में आपके ताले लग चुके हैं। आपके 1,000 प्रिंसिपल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सर, अब आप कन्क्लूड करें। You have already taken…

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, मैं पहला व्यक्ति हूं। मैं इधर से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): थोड़ी जानकारी ठीक कर लें कि आपके समय 42 परसेंट पद खाली थे, अब केवल 11 परसेंट रह गये हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने कोई भर्ती नहीं की। चार हजार स्कूलों में आर.टी.ई. के प्रावधानों को नहीं माना है। आप मेरी सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य महोदय, निवाई से पधारने वाले सदस्य महोदय। मैं सरकारी उप मुख्य सचेतक को निवेदन करूंगा कि आपको डिसिप्लिंड रखें।

श्री रमेश (सपोटरा): प्रतिनियुक्ति के पद थे वे तबादलों से भर दिये। एक ही व्यक्ति, एक ही जगह पर चार-चार प्रिंसिपल लगा दिये। फिर उनको धीरे-धीरे ठीक करते रहे। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो मेरिट है वह प्राइवेट से आती है।

मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री इस स्टेट का बहुत बड़ा, शायद दूसरे नम्बर के दर्जे का आपका मिनिस्टर है, जो उसकी गिनती होती है, उसने अपने विधान सभा क्षेत्र को जिले का दर्जा, जिले का लाभ देने का सर्किल बना दिया और जिले से सबसे ज्यादा पैसा उनके विधान सभा क्षेत्र में दे दिया। यह पद का दुरुपयोग है। यहां उन्होंने शपथ क्या ली, ये काम क्या कर रहे हैं? और कोई मापदंड नहीं हैं। यदि कोई दूसरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस प्रकार का काम किया हो तो हमें बताएं।

इन्होंने खूब घोषणा भी की कि 20 हजार किलोमीटर की सड़कों का

(श्री रमेश)

विकास होगा पी पी पी माडल पर और राज्य की 6 प्रमुख सड़कों को जोड़ कर बनाया जाने वाला ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर, कहां है, भैया? रोजाना 15 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कहां हो रहा है, वह भी बताएं। पी पी पी माडल आपका बिलकुल फेल है।

ग्रामीण गौरव पथ की बात करें, पहले से ही उन पंचायत हैडक्वार्टर पर ...

श्री उपाध्यक्षः प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप इनको निवेदन करें, समय की भी सीमा है।

श्री रमेश (सपोटरा): जी। मैं कितना बोला हूं, साहब? आपके कितने बोले हैं? मैं पहला हूं, मुझे अभी से ही टोक रहे हो। क्योंकि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, सरकार की पोल खोल रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैं निवेदन करना चाहूं, अगर आसन की सत्यता पर आपको शंका है तो एक अलग बात है, वरना आप 25 मिनट से ऊपर बोल चुके हैं। आपने 3 बजकर 2 मिनट पर बोलना चालू किया है।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं दस मिनट और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः और अध्यक्षीय आसन से यह निवेदन था कि 15 मिनट प्रत्येक सदस्य को दिये जाएं; जो प्रथम दो बोल रहे हैं, उनको 20 मिनट दिये जाएं। जितना उनको हमने ज्यादा समय दिया, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से आपको भी दे दिया।

श्री रमेश (सपोटरा): तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे हितों की रक्षा करें। हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं, वे बात तो कह नहीं सकते, हम ही कहेंगे। तो हमें इस चीज का थोड़ा-सा सपोर्ट तो करें। ऐसा क्या कर रहे हो आप। आप तो बिलकुल ही ऐसा मत कीजिए, प्लीज।

श्री उपाध्यक्षः आज के अख़बार पढ़ने के बाद में तो ऐसा प्रतीत नहीं होता।

श्री रमेश (सपोटरा): अब 'रिसर्जेंट राजस्थान' की बात आती है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लायेंगे और 295 एम.ओ.यू. किये 3 लाख 199 करोड़ के और 2 लाख 39 हजार 674 को रोजगार देंगे। बड़े वायदे किये। वायदे इन्होंने 2007 में भी किये थे 162 करोड़ वाले लेकिन मात्र 30 हजार का ही निवेश आ पाया था। तो पहले से ही तय हो गया था, जब प्रधान मंत्री नहीं पधारे

(श्री रमेश)

'रिसर्जेंट राजस्थान' में, इतने भव्य आयोजन में, तो उसी समय लग गया था निवेशकर्ताओं को, उद्योगपितयों को, निवेश नहीं आने वाला; फिर भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पर्सनली बुलाया और एक बड़ा भव्य आयोजन किया और 295 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो गये। लेकिन अगर आपने देखा होगा, 295 एम.ओ.यू. हैं, यह राठौड़ साहब जानते हैं और राजपाल सिंह जी भी जानते होंगे, कौन-कौन से एम.ओ.यू. हुए हैं। होटल, रिसोर्ट, भीलवाड़ा में जो फैक्टरियां चल रही हैं, पहले से ही स्थापित उद्योग हैं, या उनको ले लिया ए आर जी, महिमा ग्रुप, जिनका पहले से ही नक्शा पास है। ऐसे एम ओ यू सरकार ने किये हैं। यहां सरकार ने एक काम बड़ा तगड़ा किया है कि इनके माध्यम से हमारे राजस्थान के किसानों की महंगी जमीन एक्वायर करके उद्योगपतियों को देने का प्रयास जरूर किया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय रमेश जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, वास्तव में नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कि एम ओ यू का मतलब क्या होता है?

श्री रमेश (सपोटरा): वह तो मैं बता दूंगा आपको। नहीं तो आप से ही पूछ लेता हूं। दो मिनट रुको पहले। एक मिनट रुकिये आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मीमो आफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है?

श्री रमेश (सपोटरा): हां, एम ओ यू। वह मैं सारी बात आपकी, सुनो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एम ओ यू का मतलब है, मनी अर्जन। मनी अर्जन कर रही है ना सरकार।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बैठ जाइए। दो मिनट। वह मैं आपसे ही पूछ लूं। फिर समय खराब हो जायेगा मेरा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, आपका टाइम नहीं लेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं कुछ नहीं जानता। मैं जो कह रहा हूं, आप तो ज्यादा समझते हो मेरे से, आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत पढ़े-लिखे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, समझने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मीमो आफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर काइंड आफ इन्वेस्टमेंट को मैं आपके कहने से यहां इन्वेस्ट करने की मंशा रखता हूं और जो मंशा रखता है, वह प्रोसेस में चलता है। उस प्रोसेस का कन्वर्जन एम ओ यू है। इसमें कोई आब्जेक्शन वाली बात नहीं है। यह तो अच्छी बात है कि उसका इंटेंशन एम ओ यू करने का है। वह प्रोसेस में, पाइपलाइन में पहले ही आ गया।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, पहले सुन तो लो। 500 करोड़ रुपये खर्च हो गये। किस बात के लिए किया है यह भव्य आयोजन? 500 करोड़ रुपये इस एम ओ यू में खर्च हो गये। हां, यह मैं आपको बता रहा हूं। यहां कौन से लाल पत्थर कैसे लग गये? कौन से टंग रहे हैं? क्या-क्या चीजें हो रही हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 500 करोड़ नहीं लगे। ढाई साल के अन्दर ढाई हजार करोड़ रुपये लगे हैं जयपुर में, यह तो सही है, लेकिन 'रिसर्जेंट राजस्थान' में कौन से 500 लग गये, यह बता दें।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो आपसे पूछ लेता हूं। चलो, 'रिसर्जेंट राजस्थान' की बात बाद में कर लूंगा। आपके जे डी ए में जितना भ्रष्टाचार है, इस राजस्थान में वह कहीं दूसरी जगह नहीं है। जो आया है ना दिल्ली से, जैसे अशोक सिंघवी आया था....

श्री उपाध्यक्ष: Now that's the end of it. Let's conclude it.

श्री रमेश (सपोटरा): इस तरह ही शिखर अग्रवाल आया है।

श्री उपाध्यक्ष: मानसिंह जी। श्री मानसिंह जी।

श्री रमेश (सपोटरा): जो इस राजस्थान में, इस जयपुर में भ्रष्टाचार इन जमीनों में हुआ है, सेक्टर रोडों की बात कर लीजिए, चाहे रिंग रोड की बात कर लीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि निलय कुंज, आपके स्पाइन की उसमें और उसके बाद रिंग रोड में आपके जो बोहरे थे, वे बोहरे बहुत बड़े उद्योगपति बन गये हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही थी। उसमें बोलने के लिए आपने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने कहा कि मैं राजपाल हूं, राजपाल और राजपाल ही रहूंगा लेकिन आपकी चलती नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है...

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने जिस सदस्य का नाम पुकारा है, अब उसी का अंकित होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम के...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, एक मिनट आप विराज जायें। एक मिनट में अब आप कनक्लूड कर लें।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट दे दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो ले लेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): चलो, वह छोड़ा।

युवाओं के कौशल विकास में आप फेल रहे। ना तो प्रशिक्षण केन्द्र लगवाये, ना ही कोई विशेषज्ञ ही थे आपके पास और ना ही आपने कोई इंडस्ट्रीज का दौरा करवाया।

रिफाइनरी में आप क्या कर रहे हों? राज्य में प्रतिदिन 1.70 लाख बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। तो आप रिफाइनरी क्यों नहीं लगा रहे हो? सरकार की मंशा क्या है? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की रिफाइनरी लगाने की मंशा नहीं है।

उसके बाद आप जो जल स्वावलंबन की बात करते हैं, वह आपने 5-6 विभागों को मिलाकर के चलायी। उसकी मानिटरिंग आप वाटरशेड से करवा रहे हो जिसके भ्रष्ट अभियंता हैं। तो आपकी यह योजना कैसे सफल होगी? यह बताइये आप तो। ग्राम पंचायतों का अन्टाइड फंड का पैसा आपने ले लिया, दूसरी ग्राम पंचायत में लगा दिया। आपने पंचायत राज को पंगु बना दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माहेश्वरी जी से, जो कि हमारी पेयजल मंत्री हैं, कहना चाहता हूं कि आपने सवा 2 साल में एक भी काम नहीं किया। अगर किया है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कोई हैंडपंप भी लगाया हो तो। मैं तो कह सकता हूं दावे के साथ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक हैंडपंप नहीं

(श्री रमेश)

लगा है सवा 2 सालों में। आप इसकी जांच करवा लेना। अब आप हमसे ऐसी क्या द्वेषता रखते हैं? या ऐसे कौन से कारण हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 70 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें एक हैंडपंप नहीं लगा है सवा 2 सालों में? आर.ओ. प्लांट आपके बंद हैं। आपने भारत सरकार से 72 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं। आपको 5 साल में क्या मिलेगा, वह भी आपको पता है।

भामाशाह योजना की एक छोटी-सी बात है। हमारे विधायकों को भी पता है कि भामाशाह योजना जो चलाई है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि कुछ इसमें सुधार करें।

आपने अभी निःशक्त जन को दिव्यांग नाम तो दे दिया, लेकिन उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। किसी के हाथ नहीं हैं तो फिंगर प्रिंट नहीं आयेंगे; कोई अंधा है तो उसके रेटिना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके काम करते-करते हाथों की सारी रेखाएं नष्ट हो गयी हैं। उन लोगों के भी आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार ई-मित्र वाला सिस्टम चलाया है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है।

आप सोच रहे हैं कि हमारी भामाशाह सफल योजना है। यह योजना ही आपको डुबोयेगी और धक्का देकर के पीछे ले जायेगी। एक-एक आदमी को 10-10 दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जहां पर अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया है, वहां उनके आधार कार्ड बन ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं, भामाशाह कार्ड; भवानी सिंह जी कहीं चले गये, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस भामाशाह योजना की, भामाशाह कार्ड बनाने की; आपका ई-मित्र वाला चक्कर लगवाता है। कभी रामजीलाल का नाम रमजी कर देगा, कभी रमजियो कर देगा। चक्कर लगा-लगाकर के हजार-पंद्रह सौ रुपये, 2 हजार और गरीब आदमी के 10 दिन खराब हो रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है और आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर रही है जिससे उसको मूलभूत सुविधाएं मिल सकें या हमारा राजस्थान समग्र विकास कर सके। ये हमारे जो मंत्री हैं, जो यहां बैठे हैं, वे बेबस हैं, मूक हैं, या बेलगाम हैं। इनकी किसी की नहीं चल रही है। चलती है एक ही जगह से। जब इस सदन में वह आ जाती हैं ना शेरनी, जिसको कहते हैं लायन, तो सन्नाटा छा जाता है। एक ही काल आती है कि आ गयीं

(श्री रमेश)

मुख्य मंत्रीजी, फिर सन्नाटा हो जाता है। जिसने वाइल्ड लाइफ देखी हो तो कि फिर किसी की आवाज नहीं निकलती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, प्रतिज्ञान किया है, उस शपथ को, उस राजधर्म को ये लोग नहीं निभा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि समय बचा है, लोगों की मदद करें, टेल तक जायें, गरीब आदमी को मूलभूत सुविधाएं दिलवायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंह जी। आप विराजिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी राजपाल सिंह जी ने कहा कि आपने 15 हजार करोड़ रुपये का घाटा किया है। 36 हजार करोड़ रुपये आप छोड़कर के गये थे 2008 में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद इस तरह से प्रारम्भ हो जायेगा। इस तरह से वाद-विवाद प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 72 हजार करोड़ रुपये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता कहें ना अपनी बात।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। बिलकुल हम हमारी बात कहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अपने भाषण के समय सदन में अपनी बात कहें, हम सुनेंगे ना।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये 36 हजार करोड़ रुपये छोड़कर गये और 72 हजार करोड़ रुपये हम छोड़कर के गये थे।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): जब आपका भाषण हो, तब बोल देना आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजें।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। हर माननीय सदस्य को मौका मिलता है अपनी बात को अभिव्यक्त करने का। Where it is not necessary, I will also request the ministers, not to react because हम लोग किसी एक विभाग की यहां अनुदान पर, उसकी ग्रांट पर या उसकी मांग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। These all are matters of statistics. जो भी देखना चाहें, there are websites which will give you the correct figures and there are third party observations also which will give you commentaries. So it rests separate here. Whatever is there, are facts and figures which cannot be fudged by anyone.

श्री मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, प्रदेश की सरकार का जो विजन है, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता से जिस प्रकार का जनादेश प्राप्त करके, प्रदेश की जनता का विकास करने का जो बीड़ा उठाया है, इस अभिभाषण के माध्यम से पूर्णत: परिलक्षित हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, वे इस प्रकार का जो राजस्थान में विकास हुआ है, जिस प्रकार से विकास की गति है, अभी से चकित हो रहे हैं। जिस प्रकार से छोटी-छोटी बातों को लेकर के अपनी जो विचारधारा, जिसको 60 साल से असत्य बोलकर के इस देश और प्रदेश में आम लोगों के साथ ठगी करने का काम कांग्रेस ने किया, उसका नतीजा उनको जो मिल रहा है, वह आज पचा नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम करेंगे तो इस सदन के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। इस सदन के साथ में न्याय तभी होगा जब सच्चाई से हम इस बहस को स्वीकार करें। आंकड़ों की बात, माननीय सदस्य सपोटरा से आने वाले बोल रहे थे, आंकड़े कभी भी झुठलाए नहीं जा सकते, डाटाज को चेंज करने का काम एक-दूसरे के कहने से नहीं होता है। उस चीज को, जो विकास की दर होगी, जिस प्रकार का विकास विभागवाइज है, उसको डाटा के माध्यम से किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के, सबको साथ लेकर के,

(श्री मान सिंह)

आओ-साथ-चलें का नारा लेकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो नारा दिया था, उसको जनता को महसूस कराने के लिए, जिस प्रकार का राज हम देना चाहते हैं, सरकार-आपके-द्वार के माध्यम से, जिले में आपका-जिला-आपकी-सरकार के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया है। आज आम आदमी जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर जब उसके उप खण्ड की सुनवाई होती है, जब प्रत्येक दूसरे गुरुवार को उसके जिले पर सुनवाई होती है तो अपने उप खण्ड से जिले पर वी सी के माध्यम से कलक्टर से सवाल कर सकता है, किसी भी पंचायत समिति का वह दूसरी पंचायत समिति में वी सी के माध्यम से सवाल करता है, कोई भी विधायक कहीं भी बैठकर जिले की सुनवाई में भाग ले सकता है। जयपुर में बैठकर अपने जिले की सुनवाई में जब भाग लेने का काम करता है, तो वह अपने एक-एक जो अन्नदाता है, एक-एक जो उसका राजस्थान का नागरिक है, उसकी समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई का तरीका है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता यह महसूस कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने जो तरीका निकाला है, आज आम आदमी को जयपुर आने के बजाय उसकी जो क्लस्टर जन सुनवाई है, उप खण्ड जन सुनवाई है, कलक्टर के यहां जन सुनवाई है, उसके माध्यम से उसको राहत मिलने का काम हुआ है और इन कांग्रेस के लोगों के पास लोगों ने आना बंद कर दिया। इसलिए यह कह रहे हैं कि, आखिर यह हुआ क्या है, सारे के सारे लोग क्यों बंद हो गये? इसलिए बंद हो गये हैं कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से जनता का सेवक मानकर, जनता को गणेश मानकर उसकी सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके माध्यम से आज सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जन सुनवाई का उसका जो तरीका है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसकी जरूरत थी और राजस्थान की जनता ने उस बदलाव को महसूस किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिस बिजली की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे, पिछले पांच साल में जनता ने जिस प्रकार से बिजली का दुःख भोगा, जिस प्रकार से किसान खेत में और कुएं के बीच में एक दूसरे को भटकता रहता था, बिजली को टकटकी लगाकर देखता रहता था, आज राजस्थान में किसान को सात-आठ घंटे बिजली मिल रही है, घरेलू जो चौबीस घंटे बिजली मिल रही है, किसी प्रमाण की

(श्री मान सिंह)

आवश्यकता नहीं है, राजस्थान की जनता यह महसूस करती है कि उसको बिजली मिल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना है और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से एक व्यवस्था देने का काम किया है, उसको मेरे से पूर्व वक्ता, पाली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने, हमारे सदस्य ने जिस प्रकार से कहा, चाहे विश्व बैंक से जिस प्रकार से ईज-आफ-डूइंग बिजनेस में राजस्थान ने देश में छठा स्थान प्राप्त किया है और जिस प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के संयंत्र में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया है और कौशल विकास के कार्यक्रम में तो जिस प्रकार से राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है, हम सब लोगों को, कांग्रेस के भाइयों, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इस कौशल विकास को आज राजस्थान का युवा जिस प्रकार से रोजगार से जोड़कर देख रहा है और जगह-जगह निजी आई टी आई की लोग, जगह-जगह जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि हमें, हर विभाग की नौकरी में कोपा का कोर्स करने के लिए वह कहता है कि मुझे चाहिए, क्योंकि आज वह जिस प्रकार से अपने आपको जुड़ा महसूस कर रहा है, यह राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि जिस प्रकार से नौजवान को जो वादा किया था कि आपको पन्द्रह लाख नौकरी देने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्र में जिस प्रकार से 85 हजार की नौकरी देकर के, साढ़े छह लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कौशल विकास के माध्यम से हो रहा है, उसको विश्वास होने लगा है कि राजस्थान में आज नौजवान की सुनने वाला कोई है और यह सरकार इस प्रकार से विश्वास प्राप्त कर रही है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस सदन में हम लोगों को अपने कर्तव्य के तहत जिस प्रकार की बहस होनी चाहिए, उस बहस के स्तर को सुधारना चाहिए। केवल यह नहीं होना चाहिए कि अगर आपके नेता का नाम किसी प्रकार की घटना में, मैं नहीं जाना चाहता जे एन यू पर, लेकिन आज भी आपके विचार में, हमारे विचार में यह फर्क है कि हमारा नेता इस धरती का पैदा, भारत भूमि का है और आपका नेता इस भारत भूमि पर पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी और हमारी विचारधारा को हम लोग जोड़ कर जब देखते हैं तो आपकी विचारधारा में इस भारत भूमि के प्रति जिस प्रकार का समर्पण का भाव हमारा है, वह कभी नहीं हो सकता है।

(श्री मान सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार का आज राजस्थान में भामाशाह योजना का जिक्र हो रहा था, भामाशाह योजना राजस्थान के सम्पूर्ण कायाकल्प के लिए, जिस प्रकार से विभिन्न योजनाओं को जोड़कर के, एक गांव की जिस प्रकार से महिला अपने आप को मुखिया महसूस करती है, जिस प्रकार से उसके खाते के अन्दर सारी योजनाओं का जो पैसा आता है, वह यह महसूस कर रही है कि मैं घर की मुखिया हूं, मेरे घर का जो सारा जितनी योजनाओं का पैसा है वह डाइरेक्ट मेरे खाते में आता है। यही भामाशाह कार्ड हमारा डाटा तैयार करने का काम करेगा, यही भामाशाह कार्ड हमारे आधार कार्ड के लिए जिस प्रकार का मजबूत डाटा राजस्थान के विकास में चाहिए, वह काम करेगा।

इस भामाशाह कार्ड के माध्यम से चाहे हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति का हो, चाहे उनकी पेंशन का पैसा हो, चाहे उनका नरेगा का पैसा हो, चाहे उनका और कोई सब्सिडी का पैसा हो, वह सारा का सारा भामाशाह के माध्यम से जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने सीधे लाभ पहुंचाने का यह जो काम किया है, एक महती योजना है। उसमें भी दो-दो हजार रुपये जो उनको सम्मान के रूप में मिला है, उस सम्मान को याद करना, आपने पिछली बार उसको रोक करके डेढ़ सौ करोड़ रुपये को अन्य कामों में लगा दिया था। उसी में राजस्थान की महिला ने सशक्तिकरण को महसूस किया और आपको इस जगह पर पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान की मुख्य मंत्री ने पूरा उस महिला को सम्मान देकर के उसके खाते में दो-दो हजार रुपये देने का काम किया है। उसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस भामाशाह योजना में जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़ा है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इस प्रदेश की 67 प्रतिशत जनता को आपने इसमें सम्मिलित करके उस गरीब को यह महसूस कराने का काम किया है कि आपका इलाज यह सरकार कराएगी; आपका इलाज यह भामाशाह स्वास्थ्य योजना के माध्यम से होगा। यह राजस्थान के गरीब को स्वाभिमान और उसको सम्मान देने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार से डाक्टरों की कमी है और जिस प्रकार से हमारे यहां पर जो संविदा कर्मियों को नियुक्ति

(श्री मान सिंह)

देकर के उनको परमानेंट करने का काम किया है, उसके बाद में राजस्थान के मेडिकल के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से यह विश्वास और राजस्थान में यह वातावरण बनने लगा है कि राजस्थान के अन्दर सरकार ने जिस प्रकार से सात मेडिकल कालेज खोलकर के, जयपुर में भी अलग से कालेज खोलकर, और कालेज आफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई, महाराष्ट्र से जिस प्रकार का समझौता किया है, उसके माध्यम से हमारे जो दो वर्ष का डिप्लोमा उप खण्ड और जिला हैडक्वार्टर के अस्पतालों में आएगा, उससे हमारे डाक्टर्स की कमी को पूर्ति करने का काम होगा। उसके लिए, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव-गरीब में जिस प्रकार का केन्द्र की सरकार ने गरीब के लिए, किसान के लिए जो बजट दिया है, उसी प्रकार आपने गांवों में डाक्टर मिल सकें, उसके लिए व्यवस्था करने का जो काम किया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

इसी प्रकार से, चाहे हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्र की बात करते हैं, मेरे विपक्ष के साथी हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं, राजस्थान की सरकार ने हमारे अल्पसंख्यकों के लिए भी 2014-15 में जिस प्रकार से उत्तर-मैट्रिक और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में जो 41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 131 करोड़ 27 लाख रुपये के जो 408 कार्य स्वीकृत किये हैं, राजस्थान में संतुलित विकास के लिए सबका विकास, छत्तीस कौम को साथ लेकर चलने वाली सरकार ने जिस प्रकार का 2 साल के अन्दर जो विजन दिया है, राजस्थान को आगे ले जाने वाला है।

आज किसान की फसल बीमा योजना की जब हम चर्चा करते हैं तो किसान जब भी फसल चौपट होती थी, ओलावृष्टि होती थी, जिस प्रकार से वह अपने आप को ठगा महसूस करता था, पिछले साठ साल में इस प्रकार का काम नहीं हुआ। मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ अब की बार राजस्थान में रबी और खरीफ की फसल में राजस्थान को जो मिला है, निश्चित रूप से किसान ने यह महसूस किया है कि आज किसान की सुनने वाला कोई है। केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से 50 प्रतिशत की जगह 33 प्रतिशत खराबे पर जो मुआवजा देने की बात की है, निश्चित रूप से किसान ने यह महसूस किया है कि यह पहली बार कोई किसान के हित की सरकार आई है।

इसलिए, मेरे विपक्ष के साथियों, आप अपने गिरीबान में झांककर

(श्री मान सिंह)

देखने का काम करें कि आखिर किस प्रकार से आपके हालात हुए हैं। वह राजस्थान के राज्यपाल महोदय का जिस प्रकार का जो अभिभाषण है, वह अभिभाषण राजस्थान सरकार की गति को बताने का काम कर रहा है। इसको आप समझने का काम करें। केवल टीका-टिप्पणी करने से काम नहीं होगा। इस सदन के अन्दर हम लोग एक उच्च बहस की परम्परा कायम करने का काम करें क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार सदन में आपने हो-हल्ला किया है उसको राजस्थान की जनता देख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2015 तक 13,169 करोड़ रुपये का अल्पकालीन तथा 350 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण किसानों को देने का काम किया गया है। उससे आज किसान यह महसूस कर रहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में भी राजस्थान की सरकार ने विकास करने का काम किया है। उसके लिए वह अपने आपको अच्छा महसूस कर रहा है। सहकारिता को बढ़ावा देने का काम, जो सहकारिता की आवश्यकता है, उसको इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

इसी के साथ में, सड़कों पर जो चर्चा हुई, सड़कों की चर्चा में जो हमारा ग्रामीण गौरव पथ है, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य, गांव के अन्दर आप और हम पैदा हुए हैं, हमने जिस प्रकार का कीचड़ देखा है, आज जिस प्रकार से मां-बहन को गांवों में शहर जैसी सड़क मिल रही है, नालीयुक्त सड़क मिल रही है, वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है। वह राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती है कि उन्होंने जो हमें ग्रामीण गौरव दिया है वह राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम करता है, मां-बहन का गौरव बढ़ाने का काम करता है और सरकार उसके लिए बहुत धन्यवाद की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पिछली सरकार के समय हाड़ौती-मथुरा मेगा हाइवे पर कांग्रेस सरकार ने पुल बनाने का काम किया, 41 करोड़ रुपया प्रदेश की गाढ़ी कमाई का उसमें लगा और उद्‌घाटन से पहले वह पुल ढह गया। आपकी सरकार के पी डब्ल्यू डी मंत्री, आपकी सरकार के मुख्य मंत्री उसका शिलान्यास करके आये, 41 करोड़ रुपये का गंगापुर का मेगा हाइवे का पुल ढह गया। इस प्रकार के काम आपने किये

(श्री मान सिंह)

हैं। वह कंपनी काम को छोड़कर चली गयी। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दुबारा से मेगा हाइवे का काम वहां पर शुरू किया है और वहां की जनता को तोहफा देने का काम किया है। कभी आप मूल्यांकन करेंगे, सटोपरा से आने वाले माननीय सदस्य रमेश जी, आप उस पुल पर होकर गये होंगे, हमारे करौली के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उस पुल पर 10 साल में आपने किस प्रकार से प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लगाने का काम किया है, यह राजस्थान के लिए शर्मनाक बात है।

इस सरकार ने जिस प्रकार से पी डब्ल्यू डी के क्षेत्र में विकास करने का काम किया है, जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है, जो 6 नेशनल हाइवे हमको मिले हैं, मेगा हाइवे के माध्यम से जिस प्रकार सड़कों का विकास हो रहा है, राजस्थान के इतिहास में अनुकरणीय है। राजस्थान अग्रणी पंक्ति में बढ़ेगा और देश में जिस प्रकार पहला स्थान प्राप्त किया है, यह राजस्थान के लिए, हमारे लिए गौरव की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा, जिस एस बी सी वर्ग से मैं आता हूं, हमारे लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने देवनारायण योजना चलायी। उस देवनारायण योजना में जिस प्रकार से बालिका आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की है, 300 बच्चियों के जर्मन राइस पैटर्न पर आवासीय विद्यालय बनाने का काम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है, उस समाज के कायाकल्प को बदलने का काम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया है। वह राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसी तरह से डांग विकास योजना...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 70 गुर्जरों को मारने का इतिहास तो लिखा हुआ है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं नहीं कहना चाहता था, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आज मैं आपके सामने इस बात को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप नहीं करें। आप जो चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, मजबूर होकर मत करो। आप बड़ा हृदय रखिये। आप सकारात्मक बात करिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डांग विकास योजना के तहत पिछली सरकार के समय 800 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। उन सड़कों का कहीं पता नहीं है। हमारे तत्कालीन पंचायत राज मंत्रीजी माननीय गुलाब जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा कि डांग विकास के अन्दर इंटरलाकिंग सड़कें बनेंगी। आज आप डांग विकास की सड़कों को देखेंगे तो हमारा ग्रामीण गौरव पथ और डांग विकास की सड़कें एक तरीके से गांवों का विकास कर रही हैं। उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से सब वर्गों के विकास के लिए काम करने का काम किया है और इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार के बड़े विचार के साथ में, जिस इन्वेस्टमेंट के साथ में राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने का काम किया है, वह बहुत ही स्वागत-योग्य है। राजस्थान अग्रणी पंक्ति पर बढ़ेगा।

मेरा आप सबके माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारे विपक्ष को सद्‌बुद्धि आए। जिस प्रकार से हमारे एस बी सी के आरक्षण का इन लोगों ने विरोध किया था, आज विपक्ष के नेता, जब आप आओगे, तब आपसे सवाल पूछेंगे कि किस हैसियत से आपने विरोध किया था।

इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को आज इस सदन में शेरनी की उपाधि दी गयी है। वास्तव में वे शेरनी हैं। जब अपने बच्चों के ऊपर किसी तरह की आपदा आती है तो शेरनी की तरह उनको खड़ा रहना ही पड़ता है, राजस्थान के विकास के लिए। मां भूखी सो जाती है, लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देती, उसे शेरनी कहते हैं। वह हैं राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी।

आज देश को आजाद हुए 69 साल हो गये। आज गांव के 70-80

(श्रीमती कमसा)

साल के बूढ़े दादा-दादी बैठे हैं, खेतों के अन्दर, ढाणियों के अन्दर आशा लगाये बैठे हैं, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई आकाश में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन आज उनके बेटे-बेटी, पोता-पोती लालटेन में पढ़ने को मजबूर हैं। आज आजादी के बाद में भी ऐसी ढाणियां हैं जहां लाइटें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उनकी सुध आज तक किसी ने नहीं ली। क्योंकि कांग्रेस का राज आता रहा। कांग्रेस को पता था कि इनको अगर पानी, बिजली की सब सुविधा मिल जाएगी तो हमको यहां तक कौन पहुंचाएगा। इसीलिए कहा गया है ''राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम। आपोआप मर जासी, कर-कर खोटा काम।'' इन्होंने उनको किसी तरह का कोई कामकाज नहीं दिया। इसलिए वही कारण था कि बिलकुल कम मात्रा में सिमटकर विपक्ष में बैठे हैं।

आज हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना लागू की है, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। उसके तहत हर गांव को बिजली मिलेगी। आज की तारीख में हर गांव के अन्दर पोल भी खड़े हुए हैं और सर्वे भी हो रहा है कि वहां पर लाइट लगें। कहीं पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि अच्छी चीजें हो रही हैं, जब माताएं-बहनें सुनती हैं कि दुनिया के अन्दर मोबाइल आया है तो वे बहनें विचार करती हैं कि बिजली का कनेक्शन हो जाय तो मैं भी एक मोबाइल लेकर आ जाऊं और चार्ज करके उस मोबाइल में देखूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनका सपना अब साकार होगा जब गांवों के अन्दर बिजली मिलेगी।

हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी जब राजस्थान में 'सुराज संकल्प यात्रा' पर निकली थीं, तब लोगों ने सोचा था; उन्होंने देखा, हर गांव में, हर ढाणी के अन्दर, जब गांव के अन्दर निकलते हैं तो गांवों के अन्दर खड्डे पड़े हुए थे, न सड़क थी और जो डामर की सड़क गांवों में निकलती थी, वहां पर पानी आने की वजह से वे सड़कें सही नहीं थीं। फिर उन्होंने विचार किया कि इन सड़कों का कैसे कायाकल्प किया जाय। ग्राम पंचायतों में सरपंच बनते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, उनको बहुत कम बजट मिलता है। क्योंकि गांव की गलियों को ठीक करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है और किसी मद से वे गांव की गलियां ठीक नहीं हो पाती हैं। वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने एक ही फैसला किया कि पूरे राजस्थान के अन्दर हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौरव पथ बनाएंगे और गौरव पथ बनने से उन गांवों के अन्दर अच्छे रास्ते होंगे। हम कभी शहरों में जाते हैं, शहरों के अन्दर देखते हैं, वहां पर नगर

(श्रीमती कमसा)

निगम है, वहां पर महापौर बैठते हैं, अलग-अलग योजनाएं होती हैं। कोई भी मुख्य मंत्री बनता है तो शहरों के ट्यूर करते हैं और जब उनका ट्यूर होता है तो वे अफसर हाथोंहाथ, रातोंरात, शहर की सड़कों को ठीक कर देते हैं। गांव की कोई सुध नहीं लेता है। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने गांव की सुध ली है और 50 लाख की लागत से हर गांव के अन्दर गौरव पथ सड़कें भी बनी हैं और साथ में नालियां भी बनी हैं। आज ये कहते हैं, कहां गौरव पथ बने हैं? लेकिन अंतरात्मा इनकी भी जानती है कि वास्तव में गौरव पथ बने हैं और बहुत अच्छी योजना है जिससे गांवों का कायाकल्प हुआ है।

पिछली बार पंचायती राज में भी महिलाओं के लिए 50 परसेंट आरक्षण वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने दिया और अब की बार पढ़ी-लिखी महिलाएं और पढ़े-लिखे युवा भाई पंचायत राज में आकर सरपंच बने, पंच बने, लेकिन उन्होंने यह भी विचार किया कि अगर गांव के अन्दर स्कूल नहीं होगा तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे पढ़े-लिखे आगे आएंगे और कैसे वे अपना फार्म भरेंगे? इसी के तहत उन्होंने बहुत अच्छी पहली बार हर ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर स्कूल बनी है और इससे हमें तो बहुत खुशी है,

(16.00 बजे)

महिलाओं को बहुत खुशी है। जब बच्चे दसवीं पास करते थे तो उस पंचायत से उस बच्चे को शहर तक भेज देते थे, जिलों के अन्दर वे पढ़ने जाते थे और लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। अब बच्चियों को एक अच्छा रास्ता मिला है कि वे सीनियर तो अपने गांव में, अपने पंचायत स्तर पर ही कर सकें। इसलिए यह बहुत अच्छा काम किया है कि हर पंचायत में सीनियर स्कूल बनी हैं।

इसके अलावा, जहां पर सीनियर स्कूलें बनना छूट गई हैं, वहां पर कहा गया है कि जहां प्राइवेट स्कूल हैं वहां सीनियर स्कूल नहीं बनेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं चाहूंगी कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वे तो फीस लेते हैं और गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर भी होती हैं तो बस का किराया देना पड़ता है। इसलिए उन प्राइवेट स्कूलों से हमें कोई मतलब नहीं है, गांव का बच्चा तो चाहता है, आप चाहे प्राइवेट स्कूल बन्द करो, पर सरकारी सीनियर स्कूल हर पंचायत में बनें, ऐसा आप प्रावधान करो।

हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने पहली बार पिछली

(श्रीमती कमसा)

बार, नरेगा के अन्दर महिलाएं 100 दिन काम करती थीं उनको एक ड्रेस देने की योजना थी, स्कीम थी, कि उससे महिलाएं आगे आएं और अगर वे 100 दिन नरेगा में काम करती हैं तो उनको एक ड्रेस दी जाती थी। अब मैं चाहती हूं कि जो गरीब महिलाएं हैं, अभी इधर से बोल रहे थे कि घरों में कनेक्शन नहीं हैं, जो गैस कनेक्शन नहीं हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? आप ही तो हो। आपने ही तो कनेक्शन नहीं दिये थे। वे इतने गरीब रह गये थे कि वे कनेक्शन लेने के लायक ही नहीं रहे। परन्तु आज हमारे प्रधान मंत्रीजी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हर बी पी एल महिला, ग्रामीण महिला को गैस कनेक्शन मिलेगा।

अब 5 और 6 तारीख को महिला विधायकों का दिल्ली के अन्दर बहुत बड़ा सम्मेलन भी है और आज मुझे यहां भी बोलने का मौका मिला है और वहां भी हम अपनी बात कहेंगे कि हर महिला को, हर ग्रामीण महिला को एक मोबाइल मिले, चाहे वह 400 का हो, चाहे 500 का हो, पर मोबाइल होना बहुत जरूरी है। आज किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो वह महिला अपनी खुद की बात के लिए थाने में फोन कर सके; अगर गांव के अन्दर पानी नहीं आ रहा है तो पी एच ई डी मंत्री किरण जी से सीधी बात कर सके; अगर गांव के अन्दर बिजली नहीं आ रही है तो पुष्पेन्द्र सिंह जी से बात कर सके और अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है तो हमारी शेरनी सी.एम. साहब से वह महिला सीधी बात कर सके। इसलिए उनको एक मोबाइल भी मिलना चाहिए। मोबाइल के मार्फत् उसको यह भी पता होगा कि आज बच्ची स्कूल गई है, वह निकली है या नहीं निकली, घर पहुंची या नहीं पहुंची और गवर्नमेंट की कौनसी स्कीम है, किस स्कीम के तहत मैं मेरे परिवार का भला कर सकती हूं, मैं क्या कर सकती हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि हर महिला को एक मोबाइल भी मिले। मोबाइल के मार्फत वह अपने घर का पूरा विकास और उन्नति करेगी, क्योंकि आज का युग बदल गया है।

मैं यह भी चाहती हूं कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, तो उनका भी हर पंचायत स्तर पर एक अम्बेड़कर भवन बनना चाहिए और उसमें एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उस लाइब्रेरी के माध्यम से, जो बच्चे स्कूल नहीं गये, जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, जो 60 साल से ऊपर के पुरुष हैं, उनको पता नहीं है कि आजादी कैसे मिली, आज का प्रधान मंत्री कौन है, आज का मुख्य मंत्री कौन है, आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है,

(श्रीमती कमसा)

राजस्थान में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, पंचायत समिति के अन्दर क्या हो रहा है, उसका पता लग सके। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक लाइब्रेरी खुल जाए तो गांव के अन्दर अच्छा विकास होगा और अच्छी बातें होंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने हमारे, पिछली बार हम इसी विधान सभा के अन्दर बैठे थे, ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए क्या किया, तो अगर किसानों की बात किसी ने सुनी होती और किसानों के अन्दर किसी ने झांककर देखा होता तो आज किसानों की इतनी बुरी हालत नहीं होती। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने, यही विधान सभा थी, यहां से हम सबने दो-दो दिन अपने क्षेत्र में जाकर देखा कि किसान किस आपत्ति में है, किस विपत्ति में हैं और वहां की सर्वे रिपोर्ट लाकर यहां पर दी थी; उस समय पहली बार 27 हजार रुपया हर किसान को दो हैक्टेयर पर मिले। यह पहली बार हुआ है और किसान इससे बहुत खुश है। उनका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है लेकिन वह बीज लाकर दूसरी खेती कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके उसके लिए उसको सम्बल जरूर मिला है, और यह पहली बार हुआ है।

आप कहते हैं कि जिस परिवार ने आजादी दिलाई, उस परिवार के बच्चे ने क्या कहा? आप माफी मांगो। किसने आजादी दिलाई, आजादी दिलाई इस पूरे हिन्दुस्तान के बच्चों ने मिलकर। किसी एक परिवार ने नहीं दिलाई, और आप एक परिवार को श्रेय देते हो कि आजादी दिलाई। किसी एक परिवार ने नहीं दिलाई। जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है, हिन्दुस्तान का अन्न खाया है, हिन्दुस्तान का जल पिया है, उन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी की रक्षा करना आज हम सबका कर्तव्य है। उसमें किसी तरह की कोई आंच आती है तो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, हम कंधे से कंधा मिलाकर हिन्दुस्तान के ऊपर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे, यह हमारा सबका संकल्प होना चाहिए।

अंत में, हमारी मुख्य मंत्रीजी का एक ही सपना है कि आओ साथ चलें, राजस्थान का विकास करें। जय-जय राजस्थान। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सम्माननीय राज्यपाल जी के द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, इसमें सबका-साथ-सबका-विकास संकल्प के साथ राजस्थान के चहुंमुखी विकास का जिक्र किया गया है और एक-एक योजना का भी इसमें जिक्र किया गया है। एक है मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना। इसका बहुत बढ़-चढ़कर प्रचार किया गया कि इसके अन्दर जितनी भी पानी की समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे कहीं कोई एनिकट बनता हुआ, कोई बांध बनता हुआ, या कोई विशेष योजना कहीं चल रही हो, या शुरू हुई हो, तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई देती तब तो हम धन्यवाद दे सकते थे, पर मेरे क्षेत्र में तो हुआ नहीं है।

भामाशाह योजना, जिसका भी बहुत बढ़-चढ़कर प्रचार-प्रसार किया गया, लेकिन उसमें अगर एक परिवार में दस सदस्य हैं, एक मुखिया का बन गया पर बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वे सारे वंचित रह गये। तो उनका क्या हाल होगा?

इसके अलावा, बीमा के लिए जो इतने बड़े-बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स लगाकर प्रचार किया जा रहा है, तो जब अस्पताल में पेशेंट जाता है, उसने वह जमा भी करा दिये, पर कई मरीजों के फोन आते हैं कि मैडम, हमने पैसे जमा करा दिये, भामाशाह कार्ड भी जमा करा दिया, फिर भी हमें राहत क्यों नहीं मिल रही है? तो यह तो सरकार के लिए शर्म की बात है।

जैसे अभी कह रहे थे कि सड़कों का जाल बिछ गया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, तो पूरे दो साल के अन्दर एक भी रेवेन्यू विलेज में कहीं पर भी कोई सड़कें बनते मैंने नहीं देखीं। जो गौरव पथ की बात करते हैं, मैं फोटो-सहित इसको दिखा सकती हूं कि माजरा अहीर ग्राम पंचायत का जो रोड बनाया वहां पर डामर सड़क बहुत अच्छी है और उसी के ऊपर सी.सी. रोड बना दी। आधा किलोमीटर भी वह नहीं बनी और उसको फिनिश करके कह दिया कि हमने रोड बना दी है। गांव वालों के बहुत विरोध करने के बाद में तो उसको आगे बनाया और वह भी सड़क के ऊपर बना दिया। तो यह सिर्फ दिखावा है कि देखिये, हम बने हुए रोड के ऊपर रोड बना रहे हैं। इस तरीके से यह कहां तक सही है? अगर इसको सही जगह बनाते, जहां गांवों में सड़क नहीं है, कच्ची जगह है, वहां बनाते तो हम धन्यवाद देते।

इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वे होते हैं जो काम करते हैं और दूसरे वे होते हैं जो श्रेय लेते हैं, और वे आप लोग हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायत में हमारी जन-सुनवाई होती है, कलक्टर साहब जन-सुनवाई करते हैं। गांव की जनता अपने दुःख की एप्लिकेशन लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, कलक्टर तक, पंचायत में जाती है, पर वहां भी कोई जन-सुनवाई होती नहीं देखी। कागजों में होती होगी। वहां से फिर एस डी एम आफिस आती है, एस डी एम आफिस से बी डी ओ ऑफिस आते हैं, कागज को लिये मारे-मारे फिर रहे हैं, लेकिन दो वर्ष के अन्दर किसी समस्या का समाधान हुआ हो तो बता दो। पटवारी के साइन कराने हों तो आप आप आफिस जाइये, तहसीलदार के साइन कराने हों तो आप आफिस आना, आफिस जाएंगे तो आप जन-सुनवाई में आ जाना। यह बताओ कि गांव का आदमी बेचारा जाएगा कहां? 15 दिन जन-सुनवाई में लगा दिये, 15 दिन सरकारी मीटिंग्स में लगा दिये और आफिस में किसी को कोई अधिकारी नहीं मिलता है। गांव का आदमी मारा-मारा फिर रहा है। गरीब आदमी एक काम के लिए आफिसों के चक्कर लगा रहा है।

माननीय भवानी सिंह जी कह रहे थे कि अगला मुख्य मंत्री आपका कौन बनेगा। क्या अभी से आपको महसूस होने लग गया कि जाने वाले हो? इसलिए हमसे पूछ रहे हो कि अगला कौन बनेगा?

शिक्षा की क्वालिटी में सुधार की जो बात की है कि हम नये-नये तरीकों की सुविधाएं देने वाले हैं, जो अभी आंकड़ों की बातें चल रही थीं, यह तो आजकल नेट पर उपलब्ध है। किसी को ज्यादा संशय करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी तौल सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है।

शिक्षा की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम शिक्षा को पहुंचायेंगे, युवाओं को शिक्षित करेंगे, कितने विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महाविद्यालय ही नहीं हैं। किससे शिक्षित करोगे? वह 12वीं पास करके गरीब छात्र गांव में बैठा रह जाता है। वह कालेज की हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है। किसको शिक्षित करेंगे?

माडल विद्यालय खुलवाये। (व्यवधान) इसका जवाब दूंगी। रुकिये, सब्र रखिये, एक-एक सवाल का जवाब दूंगी। माडल विद्यालय किसने बनवाये, हमने बनवाये।

देवनारायण योजना में स्कूटी देना, लैपटॉप देना, बच्चों को छात्रवृत्ति देना, अब सब पर रोक लग गई है। किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। फर्स्ट यीयर और सैकण्ड यीयर करके छोड़ रहे हैं। (व्यवधान) रिकार्ड

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उठाकर देख लीजिए नेट पर। अभी निकाल लेना थोड़ी देर में बाहर जाकर। नहीं, सत्य-असत्य का अपने आप पता लग जाएगा।

आपने क्या किया है? आपको तो नाम बदलने का शौक है। अभी सही कहा कि अम्बेडकर भवन बना दो। कोई पंचायत में धर्मशाला बनवाते; कुछ बनाकर दिखवाते भवन। बड़ा भवन नहीं बना सकते थे तो एक कमरा बनाते। आपने नाम ही चेंज कर दिया, बना-बनाया पिछला मिल रहा है, उसी का नाम परिवर्तन करो, अपना नाम करो। आप नाम नहीं, काम करके दिखाओ। नाम से क्या होगा? सब चीजों का नाम परिवर्तन करना जानते हो। (व्यवधान) सिर्फ नाम का परिवर्तन किया है। 'निर्मल भारत' को 'स्वच्छ भारत' का नाम दे दिया। ये सारी योजनाएं पहले की चली हुई हैं। ग्रामीण आवास योजना, बी पी एल आवास योजना; आपने बी पी एल को दो साल में कितने आवास दिये हैं, बता दें हमें; अगर किसान को अतिवृष्टि में मुआवजा दिया है तो बता दें; बिजली के बिल माफ किये हों तो बता दें; किसानों की अगर बिजली की दर कम की हो तो बता दें आप।

गऊओं की बात करते हैं, गऊओं की बात करते हैं। किसान के पास जाकर देखो, वे कितनी विडम्बना में हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप कैसे कह रही हो कि बिल माफ नहीं किये हैं? ओलावृष्टि वाले किसानों की फसल खतम हुई है, उनको बिल भी माफ हुए हैं और उनको मुआवजा भी मिला है। आपके राज में तो एक रुपया भी नहीं मिला कभी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने कागजों में किसान का बिल माफ किया होगा। कालू लालजी, आपको पता ही नहीं है। आप जाकर देखिये। आप सरकार की पैरवी मत करिये। (व्यवधान) सरकार की पैरवी मत करिये, जाकर देखिये। आपके ही क्षेत्र में जाकर देखिये। किसी किसान से जाकर पूछ लो। (व्यवधान) मैं दिखा दूं आपको।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो खुद किसान हूं, मैं खुद किसान हूं, मेरा बिल माफ हुआ है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं दिखा दूं आपको। आप किसान नहीं हो। आपको पता नहीं है। किसान का बिल कैसे आता है, आपको जानकारी नहीं है।

गउओं की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक महिला से 100 आदमी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हों।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गौशालाओं की बात करते हैं, गौशालाओं को फंड देने की बात करते हैं, जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, मेरे यहां अलवर में है, गूता-शाहपुर है, रामपुर है, बानसूर है, कितना फंड दिया? किसी को नहीं दिया। कम से कम, इतने भक्त बनते हों, तो गोचर जमीन है, उसी को गौशालाओं के नाम करके दिखा दो। आपको मान जायेंगे हम। (व्यवधान) गायों की बात करते हों ना आप, इसमें जिक्र भी किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र भी किया गया है, इसे पूरा करके दिखा दें आप। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): फिर आपकी सारी गायें कहां जायेंगी? सारी गौशाला में हो जायेंगी तो आपकी खुद की गायें कहां जायेंगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप वाली पशु चूरी की बात नहीं की। आप वाली पशु चूरी की बात ही नहीं की इन्होंने।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरी गाय से आपका क्या लेना-देना? आप गौ के भक्त बनते हों ना, आप गौ का नाम लेते हों ना कि हम तो भक्त हैं, तो भक्त के लिए कह रही हूं कि कम से कम इतना ही करके दिखा दो। इस अभिभाषण के अन्दर जिक्र किया गया है कि 180 चारा डिपो खोले गये। कहां-कहां पर खोले गये हैं, उसी की जानकारी दे देना आप। हम मान जायेंगे। (व्यवधान) गरीबों के लिए, सैनिकों के लिए हम भला करना चाहते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके खुद के इलाके में खोले गये हैं। दो की तो मुझे जानकारी है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सैनिकों की विधवाएं दर-दर घूम रही हैं, आफिसों के चक्कर लगा रही हैं। उनकी जमीन जो आबंटित हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। एक कागज के लिए सैनिक की पत्नी चक्कर लगा रही है, कई-कई दिनों से। मैं साथ जाती हूं कलक्टर साहब के पास। उदाहरण दे देती हूं, सरोज है, जगदीश की पत्नी है, वह चक्कर लगा रही है। अगर कर सको तो आप कर दो। दूसरी सुमन है। कितनी महिलाएं हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, अगर गलत है तो। आप करके दिखा दो। करो दावा कि हम करके दिखायेंगे। आपको लिस्ट भिजवा दी जाएगी। (व्यवधान)

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

देवस्थान का जिक्र किया गया है कि प्राकृतिक चीजों की, मंदिरों की हम देखरेख करेंगे। कहां पर किया गया है? कौनसा किया गया है? कोई नहीं करते। सिर्फ कागजों में किया गया है। कागजों में सारा हो रहा है।

बार-बार एक बात दोहराई जा रही है कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति..., उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि भारत देश में जितने भी प्रधान मंत्री बने, सम्माननीय श्री जवाहर लाल नेहरूजी हों, गुलजारी लाल नन्दाजी हों, लाल बहादुर शास्त्रीजी हों, इन्दिराजी हों, अटलजी हों, पी.वी. नरसिम्हारावजी हों, चन्द्रशेखरजी हों, मोरारजी देसाई हों, वी.पी. सिंह जी हों, चौधरी चरणसिंहजी हों, ये कहां पैदा हुए हैं, मुझे बताइये ये। कौनसे देश की पैदाइश हैं ये, बताओ मुझे। ये भारत देश की पैदा हैं; यह भारत देश की संतानें हैं। (व्यवधान) इनको जन्म देने वाली मां भारत देश है और पालन-पोषण करने वाली धरती माता भारत देश की है। यह मैं आपको बताना चाहती हूं। (व्यवधान) और यह जो विकास हुआ है, वे प्रधान मंत्री नहीं रही हैं। कैलाश चौधरीजी, अगर पता नहीं है तो कम से कम इन सदस्यों से पूछ लो, वे प्रधान मंत्री नहीं रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, उन्होंने सरकार नहीं चलाई है प्रधान मंत्री बन करके, उन्होंने देश की सेवा की है। आपके दिमाग की हालत ऐसे हो गई है। आप मंदिर और मां-बाप को भूल गये। सिर्फ, और सिर्फ, राहुलजी, सोनियाजी; राहुलजी, सोनियाजी। आप उनका जाप करते हो, आप उनका उठते-बैठते जाप करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

कौनसा शब्द देशद्रोही है? आपको शर्म आनी चाहिए। यहां पर खड़े होकर आपने शपथ ली थी कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। आपकी गरिमा कहां गई? आपके माइंड की सोच कहां गई? एक कहता है, गर्दन उड़ा दो; दूसरा कहता है, जुबान काट लो। पिछले जमाने में क्या थे आप? किस चीज की दुकान करते थे? किस चीज की दुकान करते थे जो आप ऐसे शब्द बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आपको मर्द कहते हैं। बताइये, कौनसा शब्द बोला? आप यह बतायें, कौनसा शब्द बोला सदन के बीच में? कोई शब्द ऐसा नहीं बोला।

आज इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये। अंग्रेजों ने जिस भारत देश को बरबाद कर दिया था, खाद्य पदार्थ नहीं था, भारत देश की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जनता भूखी मर रही थी; गरीब थे, उस समय अनाज नहीं था; विदेशों से हर चीज आयात की जाती थी। उस समय किसने इस देश को खड़ा किया? बैलगाड़ी से हैलिकाप्टर तक, मेट्रो तक, खड़ा करने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है। (व्यवधान) ट्रंककाल और तार से लेकर मोबाइल तक, आज यहां तक खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी है और देश को धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधीजी हैं। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं।

दूसरा, हमारी प्रधान मंत्रीजी की आप बात करते हैं...(व्यवधान) आप बैठ जाओ नीचे। सुन लो। सुनने की छाती रखो। नहीं है क्या कलेजा? सुनने का कलेजा नहीं रखते तो जा सकते हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): कितने साल राज किया है, यह भी बता दो साथ-साथ में। इतने सालों में यही किया? (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वही बता रही हूं मैं, आप सुन लें। वह इन्दिरा गांधी एक महिला थीं, महिला थी महिला...

श्री ललित कुमार (किशनगंज): देश को कर्ज में देने वाली भी कांग्रेस थी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जिसने देश की सेवा करते वक्त छाती पर गोली खाई, देश के लिए शहीद हुई। वह थी इन्दिरा गांधी।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): आप 60 साल के घोटाले भी तो बता दो। 60 साल में घोटाले किये हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको सहन नहीं हो रहा। सहन नहीं हो रहा। सहन नहीं हो रहा। राजीव गांधीजी थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए गोली नहीं खाई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए गोली नहीं खाई; अपने देश के लिए गोली खाई। तुम्हारे हाथ हिलाने से, जुबान हिलाने से कुछ नहीं होता। भारत देश मानता है इस चीज को। उनके दिमाग से नहीं निकाल सकते आप। (व्यवधान)

दूसरी बात, भारत देश के आपके वर्तमान प्रधान मंत्री अपनी तुलना करते हैं चश्मा रखकर, कि इन्दिराजी जैसा एक्शन लगता है, तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बताओ। (व्यवधान) अपनी तुलना करते हैं। विश्व में पहचान कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई, विश्व में पहचान भारत को कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई। (व्यवधान)

श्री ललित कुमार (किशनगंज): आपके प्रधान मंत्रीजी के घोटाले भी बता दो। कोयला घोटाला आपका। आपके बोफोर्स घोटाले भी तो बता दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कोयला घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी आपकी पार्टी के हैं। यह भी बोल दो, 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, गेहूं घोटाला, खान आबंटन घोटाला। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह आपके लिए बता रहे हैं।

दूसरा, राजीव गांधीजी, जो इस देश को टेक्निकल में आगे लाये...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट विराज जाएं।

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अगर सरकारी मुख्य सचेतक ही अनुशासन को नहीं समझेंगे तो बाकी कौन समझेगा? और अगर आसन मंत्रमुग्ध होकर आपकी गतिविधियों को सुन रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह इससे सहमत है। आसन ने सदस्य महोदय को अपनी बात कहने की इजाजत दी। इतना संयम तो सदन को भी रखना चाहिए कि अपने सदस्य की बात को सुनकर, विचार करके, मनन करके, बाद में जब उनका मौका आये तो उस पर अपनी बात अभिव्यक्त कर दें। अब आप भी सदन को उत्तेजित करने का प्रयास न करें तो उचित रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन भी मुग्ध होता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार मालूम पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप भी विराज जाएं। आसन में भी कोई मानव जीव ही बैठता है। इसलिए मुग्ध होना और मंत्रमुग्ध होना, ये दोनों ही एक मनुष्य की साधारण-सी प्रक्रिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष: मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, हुकूम, आप बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं बोलूंगा। मैंने इतनी तपस्या करके किसी को मंत्रमुग्ध करना सीखा, जिसको शकुंतला जी ने इतनी जल्दी सीख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें भेद आपके व्याकरण में हो सकता है लेकिन इसका बिलकुल सत्य उपयोग हो रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी की जो बात कर रहे हैं, 21वीं सदी का जो नारा जनमानस को दिया, वह सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्रीजी राजीव गांधी जी ने, देश में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

टेक्नोलाजी मिशन, संस्थागत प्रणाली, समझौते, जो भी हमारे देश को जरूरत थी, निवेश के लिए पहले हमारे देश की तरफ लोग आते थे, न कि हमारे यहां से कोई रिक्वेस्ट करते थे। जो आज देश खड़ा है, यह सिर्फ, और सिर्फ, उस परिवार की शहादत से खड़ा है। ...(व्यवधान) फिर सुर में सुर क्यों मिला रहे हो? वह तो खड़ा ही है। सच्चाई यह है। मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि-

सारा लहू बदन का ज़मीं को पिला दिया,

हम पर वतन का फर्ज था हमने पूरा किया।

लेकिन आप की तरह नहीं कि हर जगह-जगह जाकर के हमारे देश का अपमान होता है,

कहीं जाकर के किसी के आगे झुकते हैं।

वो सिर ही क्या जो दर-दर झुके

और वो दर ही क्या, जिस पर सिर ना झुके।

राम-राम साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री झाबर सिंहजी खर्रा।

(अनुपस्थित)

श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा राजे जी द्वारा राजस्थान के चहुंमुखी विकास हेतु गत दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सी.सी. सड़क मय नाली का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ बनाये गये। ये कार्य ऐतिहासिक हैं। वर्षों से गांवों में जमी गंदगी से आम जनता को निजात मिली है। मिसिंग लिंक सड़कें बनाये जाने से, गांव के जुड़ने से, ग्रामीण जनता को बहुत राहत मिली है।

ग्रामीण आवास में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर 12वीं तक विद्यालय किए जाने से आम गरीब जनता के विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। जो पढ़ाई छोड़ चुकी थीं एवं

(श्री फूलसिंह मीणा)

बालिकाएं दूर-दराज पढ़ने नहीं जाती थीं, उनको दुबारा शिक्षा जगत में पुनः जोड़ने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने नई जन जाग्रति लाकर आदिवासी बालिकाओं का उत्थान किया है। एस.टी. विद्यार्थियों हेतु छात्रावास खोले गये, इससे गरीब आदमी का भला हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खजुरी पंचायत थी, उसमें नौवीं स्कूल खुलते ही पहले 35 बालकों ने उसमें एडमिशन लिया।

(16.25 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

उन 35 बालकों में से सिर्फ 30 बालिकाएं थीं जो पढ़ाई छोड़कर घर बैठी हुई थीं। माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री गुलाबचन्द जी कटारिया साहब ने पंचायत पुनर्गठन करके उस खजूरी पंचायत को नई पंचायत घोषित करके उसमें आठवीं तक जो स्कूल थी उसको दसवीं तक करके उन बालिकाओं को पढ़ने का मौका दिया है। यह हमारी मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी योजना थी।

यही नहीं, सरकार द्वारा विभागों सहित चिकित्सा के क्षेत्र में भारी नौकरियां दी गई, जिससे बेरोजगारी दूर होने के साथ ही गरीब जनता को इलाज में सहूलियत होगी।

वन बंधु योजना के तहत समस्त आश्रम छात्रावास एवं खेल छात्रावासों में कक्षा छह से नौवीं व ग्यारहवीं के छात्र-छात्राओं को कठिन विषय की कोचिंग दी जा रही है।

न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत गरीब जनता के प्रकरणों का निपटारा किया गया। माननीय सभापति महोदय, हमारी गांव की जनता गरीब जनता है और आदिवासी एरिया के अन्दर कई प्रकरण ऐसे थे जो वर्षों से चक्कर काटते थे और चक्कर काटते-काटते उनके जूते घिस गये थे। जब हमारी सरकार आई तो उसने वास्तव में यह योजना रखकर के इतने केसों का निपटारा किया, जिसके लिए वह गरीब जनता हमारी मुख्य मंत्रीजी को दुआ दे रही है। वास्तव में छोटे-छोटे प्रकरण भी इसके कारण वहां हल हो गये।

लाज-शर्म के मारे तथा गरीबी के कारण महिलाओं के हित में शौचालय निर्माण हेतु जो सहायता दी जा रही है, इस हेतु मुख्य मंत्री महोदया को मन से धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीब महिलाएं कहीं जंगल में शौच करने के लिए जाती थी, उनकी आबरू के ऊपर खतरा था उससे निजात दिलाने के लिए अगर ऐसी बड़ी सोच रख सकती है तो वह हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी रख सकती है। इसलिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री फूलसिंह मीणा)

राजस्थान के इतिहास में सभी विभागों में पदोन्नतियां दी गईं, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है।

आओ-साथ-चलें, मूल मंत्र के साथ सरकार ने सभी वर्गों, समाजों और समुदायों के हित में ऐतिहासिक कार्य किये तथा कर रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने एवं जन-जन तक गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा कुल 58 लाख से अधिक व्यक्तियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 42 लाख से अधिक सामाजिक पेंशनरों को भामाशाह योजना के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब यह हमारी पेंशन बैंक में आने लगी, हमारे कांग्रेसी भाई ने मुझे कहा कि उन ग़रीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, उस भाई को यह पता नहीं था। उस गरीब की जेब कटती थी। पोस्ट मास्टर जाता था, चार-चार, छह-छह महीने की पेंशन लेकर के जाता था और उसके चार सौ, पांच सौ रुपये तो वह खा जाता था और उसको पूरा पैसा नहीं मिलता था। यह बड़ी सोच रखने वाली हमारी मुख्य मंत्रीजी थीं और हमारे प्रधान मंत्रीजी ने बैंक द्वारा पेंशन योजना जो चालू की है, इससे बहुत बड़ी राहत मिल रही है।

यही नहीं, अभी हमारे उदयपुर जिले में यह शिकायत आयी कि बैंक में पेंशन बराबर नहीं मिल रही है। हमारे प्रभारी मंत्री गुलाबचन्द जी कटारिया साहब मौजूद थे। हमारे एक-एक पंचायत मुख्यालय पर एक कर्मचारी बैठाकर जो वास्तव में विकलांग है, उनको घर बैठे पंचायत मुख्यालय पर पेंशन देने की योजना भी बना रखी है। मैं मुख्य मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वास्तव में उन विकलांगों को घर पर जाकर पेंशन देने की योजना लागू की। पहले जो डाक द्वारा देते थे, वे उनसे पैसे खाते थे, वह बिलकुल बंद हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में वर्ष 2015-16 में सौ करोड़ रुपये का आबंटन किया गया तथा माह दिसम्बर, 2015 तक 270 कार्यों पर लगभग 78 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(श्री फूलसिंह मीणा)

सरकारी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में लगभग 75 हजार आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आबंटन में पारदर्शिता हेतु राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आबंटन नीति, 2015 जारी की गयी है।

सरकार ने पंचायत पुनर्गठन का ऐतिहासिक काम किया है, जिससे विकास की गति में बहुत तेजी आएगी। यही नहीं, सभापति महोदय, वर्षों से इस पंचायत पुनर्गठन का जो काम अधूरा था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सदन को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक पंचायत थी सरूपाल, सरूपाल के अन्दर आज की तारीख में तीन यूनिट बनी हैं जिनमें 12-13 हजार वोटर थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी का और हमारे उस समय के मंत्री माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया साहब का आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में एक पंचायत की तीन यूनिट बनाकर अगर विकास की सोच रख सकती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी की ही सोच हो सकती है।

स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा पंचायत राज, नगर निगम व नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम दसवीं तक की शिक्षा, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय एवं परिवार के खुले में शौच नहीं जाने की अनिवार्यता लागू करने का आदेश 31 जुलाई, 2015 को जारी किया गया। उससे लगता है कि वास्तव में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग हट कर यह पहल की। इससे गांवों में सचिव अनपढ़ सरपंच से दस्तख़त कराकर करोड़ों रुपयों का जो गबन कर जाता था, अब पढ़ा-लिखा अगर हमारा सरंपच और पार्षद रहेगा तो वास्तव में हमारी विकास की गंगा बहेगी, विकास में बढ़ोतरी होगी।

वर्तमान में लगभग एक लाख सत्तर हजार बैरल प्रतिदिन खनिज तेल के उत्पादन से राजस्थान देश के भूमि क्षेत्र में अग्रणी तेल उत्पादन राज्य हो गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के फलस्वरूप राजस्थान ने विश्व तेल मानचित्र पर अहम् स्थान बना लिया है। यह है हमारी राजस्थान सरकार की ऊंची सोच।

(श्री फूलसिंह मीणा)

वास्तव में, राजस्थान के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल नियोजन विभाग का गठन कर कायर्शील किया जा चुका है।

भामशाह योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय योजनाओं को प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु आनलाइन प्रणाली पे-मैनेजर को भामाशाह पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के उपलब्ध प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार मासिक आनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

सज्जनगढ़ बॉयोलॉजिकल पार्क में पूर्व से निर्मित एनक्लोजर में उदयपुर से अन्य वन्य जीवों को स्थानांतरित कर पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। सभापति महोदय, आज उदयपुर ने ऊंचाइयों पर जाने का, वास्तव में, हिन्दुस्तान में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। हमारे बायोलॉजिकल पार्क को पिछले साल ही जनता को सुपुर्द किया गया था और लाखों रुपयों की आय हो गयी है। वास्तव में, जब सीजन आया था तो हमारे उदयपुर की गलियां, होटलें यहां तक कि होटल के मालिक ने घर बैठे लाखों रुपये कमाये हैं। पर्यटन की दृष्टि से उनको मकान नहीं मिले तो उसने घर में ले जाकर ठहराया। रोड्स जाम थीं। यह हमारी सरकार की ऊंची सोच है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी बर्ड पार्क का हमारे वन मंत्रीजी ने जाकर भूमि पूजन किया। यही नहीं, हमारी उदयपुर की झीलों के लिए भी वास्तव में अनेक योजनाएं बनाई गयी हैं। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है।

वास्तव में मुख्यमंत्री जन स्वावलम्बन योजना में आज आम आदमी जुड़ा है। 27 जनवरी, 2016 को इसका शुभारम्भ हुआ। इस योजना से हर आदमी जुड़ा है। यहां तक कि आर्मी वाले सभी हमारे देश भक्त जवान इस योजना से जुड़ कर, श्रम करके, वहां पर श्रमदान करके और हमारी इस योजना के साथ भागीदार बने हैं, चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट हो, पुलिस के जवान हों, चाहे आर्मी के जवान हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, कोई किसी भी संस्था से हों। हमारे उद्योगपति, भामाशाह और आम जनता भी इसके अन्दर अपना हक जता कर, वास्तव में, इस बहुत बड़ी योजना के अन्दर भागीदार बने हैं। चाहे वह कुछ भी हो, जिसके पास पैसे नहीं हों, तो श्रम करके भी वह अपना योगदान करने से पीछे नहीं हटा है।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे कांग्रेसी भाई कहते हैं कि हमने यह किया, वह किया; मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं मैं, गत पांच साल में हमारे वहां की विधायक महोदया ने एक सूखा नाका की पुलिया के ऊपर नाव में बैठकर फोटो खिंचाया था, बड़े-बड़े हैडिंग में मेन पृष्ठ पर वह फोटो आया था कि अगले वर्ष मैं आपको इस पुलिया के ऊपर से गुजार दूंगी। मगर, सभापति महोदय, पांच साल निकल गया, उस पुलिया के ऊपर एक दफा भी विधान सभा में कोई मुंह नहीं खोला, न यू आई टी में उन्होंने बोला और वह पुलिया यों की यों रही। उसमें कितने ही हमारे आम जन डूब कर मर गये, एक्सीडेंट हो गये, कितनी ही गाड़ियां उस नदी में डूब गयीं। जैसे ही हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे प्रभारी मंत्री गुलाबचन्द जी कटारिया के सामने मैंने इसी विधान सभा में यह बात उठाई, वास्तव में तीन करोड़ रुपये की लागत से वह पुलिया बनाकर, आज कम से कम पैंतीस गांवों को उसका फायदा दिलाने वाली, हमारी सरकार में मुख्य मंत्री और हमारी सरकार ने यह काम किया।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, वन उपज मंडी के ऊपर जो हमारी पूंवाड़ आती थी उसके अन्दर टी पी लागू कर रखा था, हमारे आदिवासी एरिया के जो गरीब परिवार जंगल में से वह पूंवाड़ इकट्ठा करके जब शहर में आने की सोचते थे तो टी पी के डर के मारे वे गुजरात में चले जाते थे और लाखों रुपये। गुजरात में उसका सरकार को फायदा होता था; मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हमारी मुख्य मंत्री महोदया का और प्रभुलाल जी सैनी साहब और माननीय प्रभारी मंत्री गुलाबचन्द जी कटारिया साहब का कि इस टी पी को बंद करके उन आदिवासी परिवारों को बहुत बड़ा फायदा दिया। वह पूंवाड़ा 6-7 रुपये किलो जो बिकता था, वह इस वर्ष में 60-65 रुपये किलो बिका है। इससे बड़ा और मैं क्या बता सकता हूं? उन गरीब परिवारों को इतनी बड़ी राहत मिली और उसको परिवार चलाने में पैसे का फायदा हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया हमारी यात्रा के दौरान जो आयी थीं, तब यह घोषणा की थी कि मैं वन उपज मण्डी को बनाकर यहां पर आदिवासियों का भला करूंगी। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि वन उपज मण्डी के लिये 8 करोड रुपये वहां भेजकर हमारे प्रभारी मंत्री गुलाबचन्द

(श्री फूलसिंह मीणा)

कटारिया जी द्वारा भूमि पूजन करवाई गई। आदिवासियों के लिए आज दिन तक, 60 साल तक, मेरे कांग्रेसी भाई बोलते हैं, आदिवासियों का किसी ने भला नहीं सोचा। हमारे आदिवासियों के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मण्डी में जो दुकानें लगाई हैं, दुकानें बनेंगी, उसमें हमारे आदिवासियों का भी हिस्सा रख कर आदिवासियों का बहुत बड़ा भला करने की सोची है।

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है तथा आगे भी रहेगा। इसी शुभकामना सहित, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः सुश्री कीर्तिकुमारी जी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सुराज की कल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया न्याय-आपके-द्वार बहुत सार्थक हुआ। गांव में जब न्याय के लिए पहुंचे तो ग्रामीणजन बहुत उत्साहित थे और उन्होंने जिस तरह से बढ़-चढ़ कर भाग लिया, कई छोटी-छोटी बातों के पीछे अधिक धन, समय, श्रम खर्च हो रहा था, उस सबका निपटारा हुआ। सरकार-आपके-द्वार, आपका-जिला-आपकी-सरकार, 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल जैसे अभिनव कार्यक्रमों से प्रदेशवासियों की वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान हुआ है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, जैसा राज्यपाल महोदय ने फरमाया, हमारी सरकार हमारे वादों पर सौ प्रतिशत सफल साबित होती जा रही है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिनकी भावना थी आओ-साथ-चले। आपने भामाशाह योजना जो विश्व की अद्वितीय योजना है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रों की सरकारों ने भी इसकी प्रशंसा की है, आपने 15 अगस्त, 2014 को प्रारम्भ की। लैंगिक समानता, वितीय समावेश, परिवार आधारित लाभों को सम्मिलित करते हुए,

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

विस्तृत कवरेज के साथ लागू किया। भामाशाह के कार्ड हमारी सरकार ने 15 दिसम्बर, 2014 से बांटने चालू कर दिये थे। कार्ड के माध्यम से लेनदेन आरम्भ, ई-मित्र केन्द्र पर नामांकन की सतत सुविधा सभी लोगों को हुई। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, एक ऐतिहासिक कदम ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा।

चिकित्सा मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी, शायद दो साल में लगने लगा कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधा भी सरकार की तरफ से कुछ होती है। गरीब लोग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें, निजी महंगे चिकित्सालय में नहीं जाना पड़े, इसके लिए जननी सुरक्षा का लाभ 30 दिन के शिशुओं से बढ़ाकर एक वर्ष तक, राजस्थान प्रदेश में 200 नये जननी वाहन, 227 एम्बुलेंस, चूरू, डूंगरपुर, भीलवाडा, भरतपुर, बाड़मेर, अलवर, पाली मेडिकल कालेजों का शिलान्यास, भारत सरकार के साथ एम ओ यू. ऐसे जन सेवा के कार्य हैं जिनसे राजस्थान प्रदेश की एक विकासशील दिशा बढ़ेगी। राजस्थान में जब डाक्टर्स होंगे तो लोग अच्छा स्वास्थ्य-लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। जी एन एम की पदोन्नति, डाक्टर्स की नई भर्ती, 'आरोग्य राजस्थान' हमारी सरकार की ऐसी-ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश के विकास में निर्णायक साबित होंगी।

यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की बहुत अच्छी सोच 'रिसर्जेंट राजस्थान', जिसकी पार्टनरशिप समिट हुई नवम्बर में, 11 बड़ी कंपनियों से अनुबंध कर आगामी वर्षों में हजारों युवाओं को रोजगार और प्रदेश में कौशल विकास। यह कहते हैं कि सुराज तब होता है जब अच्छा व्यापार हो और इस चीज के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे आर्थिक प्रबंधन को, हमारे व्यापारियों की खुशहाली को, हमारे युवाओं के रोजगार को समझा।

एक छोटी-सी रोजमर्रा की, मैं कहूं कि हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उचित मूल्य की दुकानों, गोदामों, थोक विक्रेताओं तथा के वी एस एस को डैटा बेस को 1 अप्रैल से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। ई-मित्र के माध्यम से राशन कार्ड आनलाइन जारी किये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया। नवीन अथवा डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाने व राशन कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने-घटाने, त्रुटि सुधार का कार्य ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। यह जन हित की सरकार ही आमजन की परेशानी को सोच सकती है।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

जल स्वावलम्बन की सोच हमारी मुख्य मंत्रीजी का भागीरथी प्रयास है। हमारा प्रदेश कम वर्षा का प्रदेश है जहां पर औसत से कम वर्षा होती है। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा-महाराजाओं ने भी हमारी जो सांस्कृतिक इंजीनियरिंग प्रणाली थी, उन्होंने भी वर्षा का जल संचय करके रखा था। इसी इंजीनियरिंग प्रणाली और संस्कृति को हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने समझा और उनकी सोच, दौड़ता जल बहने लगे, बहता जल रेंगने लगे, रेंगने वाला जल स्थिर रहे और स्थिर जल भूमि में नीचे उतरे, राजस्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। जल है तो कल है; बिन पानी सब सून। राजस्थान में जल संचय होगा, राजस्थान हरियाला और खुशहाल होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करके, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अब लगने लगा है कि कहीं कोई सरकार होती है या सरकारी विद्यालय भी होता है। हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने जितना काम पिछले दो वर्ष में किया, उतना शायद पहले की सरकारें नहीं कर पाई थीं। थर्ड-ग्रेड टीचर्स की भर्ती 'रीट' के माध्यम से और आठवीं की परीक्षा देना चालू करना, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने वास्तव में बच्चों की अच्छी शिक्षा की सोच रखी।

ऊर्जा में सिंगल फेज लाइट प्रदेश में 24 घंटे है; थ्री-फेज लाइट में सुधार है और आगे भी सुधार होने की सम्भावना है। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा हमारे गरीब घरों में लट्टू जलेगा और राजस्थान में हर घर में, जैसा हमारी सरकार चाहती है, बिजली उपलब्ध होगी।

संवेदनशील प्रशासन पिछले दो सालों से लगा है; पुलिस भी तत्पर है, पुलिस सहयोग की भावना के साथ में खड़ी है। राजस्थान में भ्रष्टाचार व अपराध में कमी हुई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब ओलावृष्टि हुई थी तो राम रूठ गया था लेकिन राज नहीं रूठा। हमारी मुख्य मंत्रीजी इतनी तत्पर थीं कि ओले धरती पर गिरे, उसके पहले इन्होंने दिशा-निर्देश देना चालू किया और ओलावृष्टि में किसानों के हितों के लिए वाजिब मुआवजा दिया। इस बात को किसान कभी नहीं भूलेगा।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

स्वच्छ भारत मिशन में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। पशु गौशालाओं में, पर्यटन में, पंचायती राज में हमारी सरकार ने बहुत काम किये। हमारी कई बड़ी पंचायत समितियां, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माण्डलगढ़ बहुत बड़ी पंचायत समिति थी, आपने बिजुलिया पंचायत समिति बनाकर ग्रामीण विकास के हित में एक नई दिशा प्रदान की। नई खनिज नीति हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित होगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाए ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): नई खनिज नीति हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएगी।

कृषि के क्षेत्र में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने खेत पर कृषक की मृत्यु होने पर जो राशि बढ़ाई, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वे इस सब चीज को समझ रहे हैं कि अब सरकार ग्रामीण लोगों के लिए सोच रखने वाली सरकार है।

पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से जो गौरव पथ बने, जैसा गौरव पथ नाम दिया गया है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के गौरव पथ हमारी सरकार ने बनाये हैं और गांवों में खुशहाली आई है। ग्रामीणजन आभारी हैं कि एक अच्छी सरकार आई जिसने उनकी गलियों के गौरव पथ बनाए, साथ में नालियां भी बनाई। हमारी मिसिंग लिंक्स के लिए मैं मंत्रीजी और मुख्य

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी और पेच-वर्क के जो काम हमारे हुए हैं वे बहुत अच्छे हुए हैं।

केन्द्रीय बजट ग्रामीण विकास, किसानों के हित का बजट है, जिसमें मनरेगा और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए अच्छा धन आबंटित किया गया।

सभापति महोदय, मैं एक बार गर्व से कहना चाहती हूं सदन में कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा महामहिम ने फरमाया, वह प्रतिबिंब, बिलकुल दर्पण है कि जनता हमारी खुशहाल है।

सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ, जय भारत; जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

चूंकि मैं हर बार कहता हूं, हमारा विधान सभा क्षेत्र पोकरण है और वह पोकरण भारत का शक्ति स्थल है, जिसका नाम पूरे विश्व में विख्यात है, पूरा विश्व इसको याद करता है। उस पोकरण से हम आते हैं। उसकी सीमाएं अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि अखंड भारत में वह हमारे साथ था, पर विभाजन में वह क्षेत्र हमारे से कट गया। इसलिए हम सीमा पर आते हैं।

मेरा इस पवित्र सदन में खड़ा होकर एक ही निवेदन है कि मानव जीवन खुद बहुत अमूल्य है और मानव जीवन अमूल्य है, उससे भी अधिक अमूल्य यह है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आठ करोड़, लगभग सात करोड़ पैंसठ लाख राजस्थान की अवाम के इस पवित्र मंदिर में हमें आने का मौका मिला। यह आस्था का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में हम खड़े होकर, वह कर्म करें, वह भाषा बोलें।

हकीकत में मानव जीवन में करनी और कथनी में अंतर होना ही नहीं चाहिए, यह मानव जीवन की मूल अवधारणा है, पर इस अवधारणा पर लोग कम चलते हैं। कम इसलिए चलते हैं कि भारत की आजादी को लगभग 69 वर्ष हुए हैं, इस लोकतंत्र को 69 वर्ष हुए हैं, इस 69 वर्षों में हमने क्या खोया

(श्री शैतानसिंह)

और क्या पाया, थोड़ा-सा उस पर चिंतन करें तो अपने को अपने इस जीवन का खाका सामने आ जाएगा। इन 69 वर्षों में, हमारे एक माननीय संत हैं सोमगिरी जी महाराज, वे कहते हैं कि इसी आज के इस दृष्टि पटल पर यदि किसी को दुनिया की गाली देनी हो ना, तो उसको नेता कह दो, उसमें दुनिया की सभी गालियां सम्मिलित हो जाती हैं। ये जीवन अपन ने कमाया है, इन 69 वर्षों में। यह लोकतंत्र की पूंजी है।

तो मेरा सदन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम-से-कम अपने मुंह से कहा हुआ शब्द इतना कठोर और सत्य होना चाहिए कि उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। इतना मेरा निवेदन है आपसे, एक-एक शब्द..., यह जीवन बार-बार नहीं मिलता है। सौभाग्य से इस लोकतंत्र में साठ महीने का समय इस सदन में अपने को आने के लिए मिलता है; वापस चुनके आते हैं तो नया जनादेश होता है। एक बार साठ महीने के लिए अपने को चुनके पब्लिक ने इस सदन में भेजा है। अपनी तरफ आम राजस्थान की जनता की निगाहें हैं। तो अपन पोपुलर हों, यह भाषा, कोई कृत्य नहीं हो, जिससे कि अपनी वाह-वाही बढ़े, राजस्थान की समृद्धि बढ़े, राजस्थान के अवाम की समृद्धि बढ़े। यह अपना मूल चिंतन है। इस चिंतन में विशेष ध्यान दें।

यह राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का दर्पण, सरकार की कार्यनीति, सरकार के कार्यकलाप, पूरा का पूरा इसमें दर्शाया गया है। कल से इस पर वाद-विवाद चल रहा है। मेरे से पहले मेरे सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने यह पूरा जो कार्यकलाप चल रहा है, उस पर विवेचन किया है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, चंद विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, राजस्थान की सरकार ने, हमारी सरकार ने बनते ही जो पंचायतों का पुनर्गठन किया, इससे पहले माननीय भैरोंसिंह शेखावत के काल-खंड में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था और वापस पच्चीस साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय हमारे इस सदन की नेता राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया के आशीर्वाद से वापस पुनर्गठन हुआ। इससे आम जन को उसका फायदा मिला।

दूसरा, कहने को वह बिलकुल छोटा विषय होगा, यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल आदरणीय मनोज जी कह रहे थे कि यह तो भीख मांग कर काम किया जा रहा है, यह

(श्री शैतानसिंह)

भीख मांग कर काम नहीं किया जा रहा है। इस काम में सब की भागीदारी, आम जन की भागीदारी हो और जिस काम में सब की भागीदारी होती है, वह ही काम सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं कह रहा हूं, आज से 69 वर्ष पहले, राजस्थान के इतिहास में, हर गांव में, हर ढाणी में, हर ग्राम पंचायत में नाड़ी का काम, नाड़ी को संरक्षित किया जाता था, तालाब को संरक्षित किया जाता था, उसके आगोर को साफ किया जाता था, उसको खुदाया जाता था, पर 69 वर्षों में सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस राजस्थान का, क्योंकि वे अपने ट्रेडिशनल स्रोत, जो जल के स्रोत थे, लगभग-लगभग समाप्ति की स्थिति में आ गये, पर हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह बहुत बड़ा अभियान लिया है, इस अभियान को अपने हाथ में लेकर और वापस पानी को बचाने का संकल्प लिया है।

पानी कोई कम चीज नहीं है। इसका आप बहुत बारीकी से चिंतन करें तो मैं कहता हूं, हमारी माननीय मंत्री महोदया अभी सदन में नहीं हैं, यह जो पानी आपको नल से टोंटी के तहत मिल रहा है, उस पानी की कीमत कितनी है, इस पर विचार करके देख लें, क्योंकि यह पानी जनता का पैसा है। यह पानी ऐसे नहीं मिलता है। उस पानी की कीमत का विश्लेषण करें, वह पानी कितना महंगा है। एक लीटर पानी, यह कोई कम चीज नहीं है। पानी बचाना हमारा दृढ़ संकल्प है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, इस पानी को व्यर्थ नहीं बहाए। जब व्यक्ति के खुद के लिए पंद्रह लीटर पानी से काम चल सकता है स्नान में, तो वह कम-से-कम पचास लीटर पानी को वेस्ट नहीं करे। मेरा आप सबसे निवेदन है, यह अपना नैतिक दायित्व सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि अपन तो इसी सदन में खड़े होकर के देश की दिशा पर इस राजस्थान की दिशा पर ध्यान देते हैं। इसलिए पानी बचाना, पानी को एकत्रित करना, यह कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। यह आमजन के विकास के लिए, आज खेत में खेत का, खेत को मिले, तो उससे खेत में सिंचाई का काम होता है।

नदियों को आपस में जोड़ने का काम भी हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने किया है, हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने किया है। भारत के पहले के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यह योजना ला रहे थे, पर वह लागू नहीं हुई। कारणवश सरकार रिपीट नहीं हुई और उसकी परिणति अपन देख रहे हैं।

(श्री शैतानसिंह)

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी मैंने डोटासरा साहब को कहा था, मैं एक विषय, एक बात रखूंगा। यह हकीकत है। एक विषयांतर बात है, फिर भी मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। हमारे जोधपुर में घंटाघर, पावटा से घंटाघर जाने के लिए, घंटाघर से पावटा, जालौर गेट जाने के लिए पहले तांगा का उपयोग किया जाता था। तांगे से लोग जाते थे। उधर पश्चिमी राजस्थान में अमूमन अकाल का जोड़ा है, अकाल पड़ता रहता है, तो उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और घोड़े को चराने के लिए हरा घास नहीं मिला। जब सूखा घास ला के डालें तो घोड़ा घास चर नहीं रहा था। तो घोड़ा जब घास चर नहीं रहा था, तो घोड़ा थके; तो घोड़े का मालिक थकना स्वत: है। भई, उसकी मजबूरी है। जिससे उसके परिवार का जीवनयापन होता है और वह जीवनयापन का संसाधन उसका घोड़ा यदि कमजोर होगा, कमजोर होकर बीमार हो जाएगा, तो वह परिवार को पालेगा कैसे ? तो उसका मालिक भी थकने लग गया। तो हमारे

(17.00 बजे)

माननीय डोटासरा जी जैसे कांग्रेस के एक नेता आये कि भैया, आप थक क्यों रहे हो? थकने का तो यह कारण है कि अकाल पड़ गया, हरा घास नहीं मिल रहा है, घोड़ा तो हरा घास खाता है, अब इसका क्या करूं? तो, बस इतनी-सी बात है! हमने तो भारत की जनता को गुमराह करके लगभग 50 साल शासन कर लिया और आप घोड़े को सूखा घास नहीं चरा सकते। मैं चराऊं? ऐसे कैसे चरेगा? मेरे साथ चलो। घंटाघर में गये और वहां से एक हरा चश्मा लिया, चश्मा ले जाकर घोड़े की नजर पर चढ़ाया, आगे सूखी घास डाल दी। घोड़े को हरा-हरा लगा और घोड़ा वह चारा खा गया।

कांग्रेस ने यह काम जरूर किया है, क्योंकि ये चश्मा चढ़ाने के लिए मास्टर हैं। बाकी, हकीकत देखो। मैं आपको किसानों की बात कह रहा हूं, भारत के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? आप किसानों की बात करते हो, बीमा योजना, लगभग 50 साल कांग्रेस ने शासन किया, फिर भी यह किसने शुरू किया? (व्यवधान) किसने शुरू किया? मैं यही तो कह रहा हूं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों को के.सी.सी. का लाभ दिया; बीमा योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू की। इससे भी हटकर, फसली बीमा योजना, नेता प्रतिपक्ष महोदय, फसली बीमा

(श्री शैतानसिंह)

योजना भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम लागू हुई। उससे भी बढ़कर, चूंकि मैं सीमा से आता हूं और हमारे उधर सैनिक भी बहुत हैं, सैनिक भारत की शहादत को प्राप्त हो जाता है, सैनिकों का पार्थिव शरीर अपनी मातृभूमि को प्राप्त हो, उसका अंतिम संस्कार मातृभूमि में हो, यह भी काम हमारे श्री वाजपेयी जी ने किया। उससे पहले कभी भी सैनिक का पार्थिव शरीर अपने घर नहीं आता था, मात्र बीटे आते थे। सैनिक की बाडी कहां रहती थी, क्या होता था, उसके साथ क्या संस्कार होता था, परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं। ठीक है, सैनिक कर लेते होंगे, पर उसको अपनी मातृभूमि की धरती प्राप्त नहीं होती थी। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या-क्या काम नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ राजस्थान के कामों के बारे में और बताऊं। जब सभी ग्राम पंचायतों पर रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैं विधायक बना और हमारी एक स्कूल में गया। पोकरण से 12 किलोमीटर पर एक लावां स्कूल है, वहां की बच्चियों ने मुझे रोककर आंसू भरी आंखों से कहा कि एम एल ए साहब, हमारे यहां लावां की स्कूल को आप 12वीं स्कूल कर दो तो हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा हम बच्चियों को शिक्षा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां स्कूल नहीं है और पोकरण आना-जाना हमारे वश में नहीं है। वह मामला लेकर जब मैं यहां आया और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के सामने यह बात रखी तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, अपन सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर सभी स्कूलों को सीनियर स्कूलों में क्रमोन्नत कर देंगे। यह कोई छोटा काम नहीं है। स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए विधायक के जूते की तीन-तीन जोड़ियां घिस जाती थीं, फिर भी नहीं होता था। यह काम एक साथ हुआ तब लोगों को लगता है अपने आप; अपने आप नहीं हुआ है, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी का साहसिक कदम है कि लगभग साढ़े पांच हजार स्कूलों को क्रमोन्नत किया। यह भी एक बहुत बड़ा काम है।

एक माननीय सदस्य: मास्टर लगे कि नहीं लगे ?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): मैं मास्टरों का उदाहरण दे दूं, आप कह रहे हैं मास्टर लगे कि नहीं लगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल है सेकण्डरी स्कूल हुए लगभग 6 साल; पिछले कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी के लास्ट समय में स्कूल को क्रमोन्नत किया गया था और पांच साल के कार्यकाल में,

(श्री शैतानसिंह)

महानुभाव कह रहे हैं ना कि मास्टर लगे या नहीं, उन्होंने पांच साल में एक भी मास्टर नहीं दिया, 6 साल में एक भी शिक्षक उस स्कूल में नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन से। क्योंकि हम तो उस क्षेत्र से आते हैं जहां शिक्षा का अभाव है, दूर दराज की ढाणियां हैं, वहां पढ़े-लिखे लोग कम हैं, मास्टर नहीं था। हमारी सरकार बनते ही, आज मेरी उस स्कूल में दस अध्यापक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मास्टर सभी स्कूलों में हैं। सभी सेकण्डरी और सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में लगभग 70-80 प्रतिशत मास्टर हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था दी। मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं कि काफी ग्राम पंचायतों में आदर्श विद्यालय बनाये हैं जिसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे होगी।

ये कह रहे हैं ना कि मास्टर, आप लोगों के ऐसे कर्म हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक प्रेरणा से, जहां 5 पोस्ट थीं, पैसे लेकर नगर के पास में, 5 पोस्ट के अगेंस्ट में 15 शिक्षक लगाए, ऐसे काम तो जरूर इन्होंने किये। (व्यवधान) यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करनी और कथनी में अंतर है।

वोट जीतकर जब इस पवित्र सदन में आ जाते हैं तो वहां वोटों को नहीं देखा जाता है, वहां राष्ट्र के भाव को देखा जाता है, जनता के हित को देखा जाता है। जनता ने अपने हित के अधिकार को पोषित करने के लिए वोट दिया है; किसी के आगे-पीछे घूमने के लिए वोट नहीं दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।

अब मैं एक विषय, मेरे अंकल यहां बिराजमान हैं, माननीय सुरेन्द्र पाल सिंह जी टी.टी., श्रम विभाग की एक चर्चा करता हूं। भारत में अधिकांश लोग मजदूर हैं, लगभग 80 प्रतिशत लोग मजदूरी का काम करते हैं, श्रम का काम करते हैं। नरेगा में 90 दिन जो काम करता है, मजदूरी का काम करता है श्रम मंत्रालय द्वारा उन सभी को नियोजित किया गया, श्रम कार्ड बनाये गये। श्रम कार्ड से, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने और हमारे अंकल ने यह योजना 1 जनवरी, 2016 से दी है, आदमी के जीवन में तीन बातें मूल होती हैं, उनकी अभिलाषा तीन बात के लिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर आदमी का यह सपना होता है कि मेरे को दो जून की रोटी मिले, तन ढकने के लिए

(श्री शैतानसिंह)

कपड़ा मिले और रहने के लिए छत मिले। नियोजित मजदूर हैं, उनको डेढ़ लाख तक के अनुदान की योजना; नियोजित मजदूर हैं, उनको अपना घर बनाने के लिए, उनके पट्टा है तो पट्टे पर डेढ़ लाख तक, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। यदि काम करते हुए मजदूर के साथ कैज्युअल्टी हो जाती है तो उस मजदूर को 9 लाख 75 हजार रुपये, लगभग 10 लाख का लाभ मिलता है। उसकी बच्ची अगर 18 वर्ष की हो गई है, शादी करते हैं तो 55 हजार, और अगर शादी नहीं करते हैं तो भी उसके खाते में 55 हजार रुपये आ जाते हैं, स्वावलम्बन के लिए; शादी जब चाहे उस समय करे। तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मजदूरी करने वाली महिला को प्रसूति हो जाती है तो लड़के पर 20 हजार और लड़की पर 21 हजार तक का अनुदान मिलता है। ये योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं।

मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा, इस विषय से हटकर मेरा सदन से एक निवेदन है, अपन सभी सदन में विराजमान हैं, भारत की जीवन-रेखा है जिसको अपन गाय कहते हैं, गाय माता है, उस गाय माता के विषय में मैं थोड़ी-सी चर्चा करूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन विराजमान हैं। हमारा सुराज संकल्प पत्र बना उसमें गाय पर चर्चा, गाय के लिए अपन गो मंत्रालय बनाएंगे, गो मंत्रालय तो बना दिया पर खाली गो मंत्रालय बनने से गाय सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। इसलिए पूरे सदन से मेरा हाथ जोड़कर, करबद्ध निवेदन है कि अपना सबका नैतिक दायित्व बनता है कि गाय माता बचे। इसके लिए इस चिंतन को विशेषकर देखें। खेतों में जो रासायनिक खाद उपयोग में ली जाती है, वह रासायनिक खाद मन राज़ी करने के लिए, किसान की फसल अच्छी हो सकती है पर वह अनाज मानव जीवन की सुरक्षा, मानव जीवन के जीवनयापन के लिए अच्छा नहीं है। आज राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर में सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित लोग हैं। उसकी देन मात्र यह रासायनिक खाद ही है। सरकार से निवेदन है, चूंकि सदन की नेता और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री देवी परायण है, भगवान में आस्था रखती हैं, देवी में विशेष आस्था रखती हैं, मेरा माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि गाय माता में 36 करोड़ देवी-देवताओं का वास है, इसलिए गाय कैसे बचे, गो वंश कैसे बचे, यह पूरे सदन को चिंता करने का विषय है। अपने पूर्वजों ने गाय को बचाने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करता हूं कि असंख्य-असंख्य ऐसे लोग, पन्नराजजी, डूंगर पीर, ऐसे कई लोग, पाबूजी, हड़बूजी, वीर तेजाजी, जो

(श्री शैतानसिंह)

इस गाय को बचाने के लिए जुझारु हुए हैं और अपना जीवन सौंप दिया है। अब शीश कटाने का समय तो नहीं है पर इस सदन में अपने को भी गाय पर चिन्तन करने का, अपन सब का नैतिक दायित्व बनता है। गाय ऐसी जीवन-रेखा है जिससे जीवनयापन, गाय बच गई तो अपना जीवन सुधर जाएगा। गाय में इतनी ताकत है कि 36 करोड़ देवी-देवता इसमें निवास करते हैं। अपन यदि वास्तु पर विश्वास रखते हैं, वास्तु-शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, अगर किसी घर में वास्तु का दोष होता है और उस घर में यदि गाय होती है तो वास्तु का दोष उस पर लागू नहीं होता है। यह अपने शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गाय बचाने के लिए जितना कुछ हो सके, वह करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत की गाय, भारत की असली नस्ल की गायें, लगभग 65 हजार से अधिक गायें ब्राजील ले गया। एक ब्राजील देश, जिसमें भारत की उन्नत किस्म की गायें हैं, थारपारकर, ये गायें अब ब्राजील गयी हैं। ब्राजील में, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी चुनाव नहीं हैं। आप चुनाव से बाहर बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चुनाव से मत लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गाय पर निबन्ध लिख लो ना।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): चुनाव से मत लो। गाय अपन सबके परिवार का पालन करती है। (व्यवधान) इसलिए मैं यह गाय पर कह रहा हूं। चुनाव की बात नहीं है। आप अपने नजरिये को चुनाव से नहीं देखें। चुनाव सब कुछ नहीं है। इसलिए इसको चुनाव से नहीं आंकें। गाय बचाने के लिए इसको चुनाव से नहीं आंकें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अपनी बात को सीमित करें।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): गाय को आर्थिक आधार से जोड़ा जाये। मेरा निवेदन है सदन से कि गाय को भले नरेगा से जोड़ें, पर कैसे भी करके गाय बचायें। गाय से उत्पन्न होने वाली जो सामग्री है, जैसे गाय से गोमूत्र, जो गो-अर्क मिलता है, गाय से गोबर होता है, उसको, रासायनिक खाद न उपयोग करके, आर्गेनिक खाद को उपयोग में लें। इसके लिए अनुदान दें।

(श्री शैतानसिंह)

सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से चिन्तन करे, मेरा इतना ही निवेदन है क्योंकि इस गाय के लिए अपन ने संकल्प सुराज में संकल्प लिया है और उसमें अधिकांश लोग इस सदन में विराजमान हैं। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस विषय को गम्भीरता से लें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री पूरणमल सैनी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आज मैं बोलूंगा।

श्री सभापतिः आपके बाद में।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम दोनों का नाम है। आज ये नहीं बोलेंगे।

श्री सभापतिः आज एक ही नाम है आपका।

श्री सुखराम विश्नोई।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, नहीं। एक में तो पूरणजी नहीं बोल रहे हैं। मेरा नाम दे दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सुखरामजी, एक मिनट बैठिये आप। (व्यवधान) बसपा की तरफ से एक नाम मनोज कुमार के नाम से दिया हुआ है।

श्री सभापतिः आपकी सूची में नाम नहीं है। (व्यवधान) श्री मनोज कुमारजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापतिः माननीय सुखरामजी, पांच मिनट बैठिये। इनके बाद में आपका नाम आ जाएगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर वाद-विवाद पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आंकड़ों के आधार पर सरकार का प्रस्तुतिकरण बड़ा ही सुन्दर दिख रहा है। क्योंकि आंकड़े लिखने वाले ही आंकड़ों की कहीं बात आती है तो किसी भी सूरत में आपके

(श्री मनोज कुमार)

अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण नहीं करते। अगर करते भी हैं तो गलत रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।

हमें इस पवित्र सदन में यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा को छोड़कर, हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार जन-प्रतिनिधि एवं सरकार के आदेशों की पालना कैसे हो; अगर नहीं हो तो हमारा यह पवित्र सदन स्वयं को कैसे मजबूत कर सकता है, इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आज राजस्थान के मंत्रीगण अपने वक्तव्य में जो अधिकारियों के लिए कहते आ रहे हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायकों की क्या स्थिति हो सकती है। एक भी अधिकारी-कर्मचारी मंत्रियों की नहीं सुनता; एक अधिकारी विधायक की नहीं सुनता। इसलिए इस पवित्र सदन में हमारे खोये हुए लोकतंत्र की शक्तियों को मजबूत करने के लिए, सर्वदलीय सद्‌भावना के साथ जन-प्रतिनिधियों के कार्यों की अधिकारियों और कर्मचारियों से पालना कैसे कराई जा सकती है; नहीं करने पर किस जन-प्रतिनिधि द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है, हमारे इस सदन में इस पर गम्भीरता से विचार करने की बात है।

आज आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उन आंकड़ों के धरातल पर जाकर हम देखते हैं तो एक भी आंकड़े की पालना आपको नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा कि विधायकों और सांसदों के द्वारा लिखे गये पत्र, जो सर्कुलर इस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि तीस दिन के अन्दर उसकी हर सूरत में पालना की जाये, लेकिन आज भी हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक गण, हमारे सांसदगण की एक-एक साल से चिट्ठियां पैंडिंग पड़ी होंगी, जिनका अधिकारी और कर्मचारी जवाब देना उचित नहीं समझते। इसलिए ये आंकड़े और सर्कुलर पूर्ति जरूर करते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के माननीय मंत्रियों द्वारा जो वक्तव्य दिये गये, वे हमारे लोकतंत्र की कमजोरी साबित करते हैं। माननीय युनुस खानजी ने एक दिन कहा कि हमारे लाइसेंस लेते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, हमारे विभाग में आपको यूं ही मिल जाते हैं। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने कहा कि कमिश्नरेट तो भू-माफियाओं का अड्डा हो गया है। माननीय राजकुमारजी रिणवां के शब्द हैं कि मेरे पास तो पत्रावलियां ही नहीं आती हैं। माननीय राजपालसिंहजी ने कहा कि हमारे विभाग में

(श्री मनोज कुमार)

भ्रष्टाचार भरा है। माननीय राजेन्द्रसिंहजी ने कहा कि हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। वसुंधराजी ने कहा कि पटवारी और ग्राम सेवक हमारे अटल सेवा केन्द्र पर रहेंगे, लेकिन 'भास्कर' का खुलासा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो पटवारी और ग्राम सेवक अटल सेवा केन्द्र को खोलने तक का काम नहीं करते।

इस तरीके से हमारे जन-प्रतिनिधियों का, हमारे लोकतंत्र का सरकारी तंत्र काम नहीं करेगा तो इस लोकतंत्र का, इस सदन का और हमारा एक तरह से अपमान है, साथियों। ब्यूरोक्रेसी जन-प्रतिनिधि की परवाह नहीं करती। हमारा यह पूरा सदन संकल्प ले और गम्भीरता से विचार करे कि कैसे सख्ती की जा सकती है। इसका निर्णय किया जाए ताकि सदन में दिये जाने वाले वक्तव्य, लिखित दस्तावेज के जो सार्थक आंकड़े दिये जा रहे हैं उनका परिणाम निकल सके, वरना आप और हम बंट कर इस जनता का भला नहीं कर सकते। क्योंकि इस सदन में आने के बाद भी हम उस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम से आंकड़ों की पूर्ति करने का काम करते हैं। इसलिए जनता का हित नहीं हो रहा है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए इन आंकड़ों से बचने की जरूरत है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं कि आप तो इस सदन के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। जब भी आपके कैबिनेट की मीटिंग हो, उस समय आप विचार करिये कि हमारे लोकतंत्र का क्या हाल हो गया है। हमारे मंत्रियों को मजबूर होकर इस तरीके के स्टेटमेंट बाहर जाकर देने पड़ रहे हैं। इसलिये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे अभिभाषण के आंकड़ों पर गौर न करते हुए, इस लोकतंत्र की पवित्रता पर, इस सदन की ताकत पर विचार करने की जरूरत है।

आज अभिभाषण में आंकड़े शिक्षा के दिये गये, पंचायत मुख्यालय पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात तो जरूर कही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या नाम लिखने से पूर्ति हो गयी? वहां एक भी विद्यालय में, जहां विज्ञान का विषय है, लेबोरेटरी नहीं खुली, एक भी विज्ञान विषय के वहां अध्यापक नहीं लगे। एक भी भवन का निर्माण नहीं हुआ। जो पहले की व्यवस्था में थे, वे जर्जर अवस्था में हैं। इसलिए इन पर,

(श्री मनोज कुमार)

अब विद्यालयों की क्रमोन्नति के साथ-साथ, हमारा मूल मंत्र इनको क्रमोन्नत करने का है। शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसलिए उस शिक्षा पर विचार करें, न कि क्रमोन्नति पर विचार करें।

राज्य सरकार कह रही है कि गरीब छात्रों को हम विद्यालयों में शिक्षा दिला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहां उपस्थित सभी सदस्यगण से कि क्या किसी भी सरकारी विद्यालय में, आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, उस ग्रामीण क्षेत्र में एक भी विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे छात्र, वे गरीब बच्चे, 8-8 घण्टे तक बिना लाइट, बिना पंखे, वहां बैठकर घुटन महसूस करते हैं। हमारे अध्यापक जो अपने घरों में कूलर और ए.सी. में रहने वाले हैं, वे लोग वहां पढ़ाने की मंशा रखते हैं, वे पढ़ा नहीं सकते। वे बच्चे इस गर्मी के मौसम में पढ़ नहीं सकते। इसलिए विद्युतीकरण से जोड़ने का काम सरकार दृढ़ संकल्प के साथ ले।

सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है कि विधायक कोष से आप उनको विद्युतीकरण से जोड़ सकते हैं। विधायक कोष बड़ा लिमिटेड है। सरकार सबसे पहले एक काम करे, विधायकों का कोष बढ़ाने का। उसके बाद हमसे मांग करे कि हम हमारे विधायक कोष से इनको जोड़ने का प्रयास करें।

अब विद्यार्थी मित्रों की बात, शिक्षा के नाम से जोड़ना चाह रहे हैं; 24,165 विद्यार्थी मित्रों को निकालकर कुछ विद्यालयों की हालत आपने यह कर दी कि वहां लाक लग गये और वे विद्यालय संचालित नहीं हैं।

द्वितीय श्रेणी अध्यापक की वेतन विसंगति, इस शिक्षा में बार-बार उन्होंने आन्दोलन किया है, लेकिन आप लोग आज तक उनकी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं कर पाये। इस अभिभाषण में उन द्वितीय श्रेणी अध्यापकों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए सरकार उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में गौर करे।

राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में हमारे डा. भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता थे, उनके नाम से एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने एक पत्र, लॉ डिपार्टमेंट, भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक विधि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी लेकिन इस सरकार ने डा. भीमराव अम्बेडकर के उस विश्वविद्यालय का नाम भी हटाकर, डा. भीमराव अम्बेडकर के, उस महान् व्यक्ति का नाम मिटाने

(श्री मनोज कुमार)

का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आप उस विश्वविद्यालय का, किसी भी विश्वविद्यालय का राजस्थान में डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से उनका नामकरण करने का काम करें।

आदर्श ग्राम पंचायत के बारे में इस पुलिंदे में नहीं लिखा आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि आदर्श ग्राम पंचायत मुख्य मंत्री के नाम से घोषणा की गयी थी और राजस्थान में जब मुख्य मंत्री, पहला नागरिक होने के नाते आप लोगों ने उसके नाम से एक पैसे का काम, 31 मार्च आने वाला है, 31 मार्च तक आपने एक पैसा आदर्श ग्राम पंचायत में खर्च नहीं किया, तो कौनसी आदर्श ग्राम पंचायत? कौन मानने वाला है आपकी बात? जो मुख्य मंत्री के नाम से आदर्श ग्राम पंचायत और उसमें एक पैसा खर्च नहीं कर पाए, तो आम जनता और आम कर्मचारी की बात क्या हो सकती है? प्रथम नागरिक के नाम से घोषित आपने इसमें एक भी शब्द आदर्श ग्राम पंचायत के लिए नहीं लिखा।

आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से, ग्राम पंचायतों को खुले से शौच-मुक्त करने की जो सरकार घोषणा कर रही है, अपने आपको कि स्वच्छ भारत, हम खुले में शौच-मुक्त करके करना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के उस क्षेत्रफल में जाकर, उस धरातल पर जाकर देखिए कि राजस्थान की जनता, 30 प्रतिशत लोग गोचर भूमि और कृषि भूमि पर बसे हुए हैं। अगर खुले में शौच-मुक्त की भावना रखते हों तो सबको शौचालय से जोड़ने का काम करिए, नहीं तो 30 प्रतिशत जनता आज भी शौचालय से विहीन है और शौचालय-विहीन होने का मतलब है कि आपके उस खुले में शौच-मुक्त की भावना निरर्थक है और खुले में शौच-मुक्त की भावना आपकी बेकार है। इसलिए कहना चाहता हूं कि उन सबको जोड़ने का काम आप करें।

'जल स्वावलंबन योजना' आपकी शुरू ही नहीं हुई, उससे पहले तीन दिन पहले हमें कहीं पढ़ने का मौका मिला कि 30 प्रतिशत कार्यों की आपने उसमें कटौती कर दी। क्योंकि आपने जून के महीने का नाम लिया था कि जून के महीने में हम 'जल स्वावलंबन' के कार्यों को पूर्ण कर देंगे, लेकिन वह पूर्ण आप नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों ने 30 प्रतिशत उस काम में कटौती करके, आप जनता के साथ छलावा और कपट करने का काम कर रहे हैं।

आप सड़क, 'गौरव-पथ', 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क', बहुत बड़ी घोषणाएं

(श्री मनोज कुमार)

कर रहे हैं आप गौरव पथ का नाम लेकर कि ग्रामीण लोग सड़क पर चलने का विचार रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक गांव में एक किलोमीटर गौरव पथ बनने से पूरे गांव का उद्धार नहीं होता है। सभी जन-प्रतिनिधि हों, आप सब जाते हों गांवों में, उस गांव के किसी एक रास्ते पर अगर गौरव पथ बन गया तो उससे और बड़ी समस्या पैदा हो गयी। गांव में पंचायतों के द्वारा वहां साइड में खुर्रे बने हुए थे। वह गौरव पथ आपका ऊंचा हो गया और ऊंचा होने से उस साइड के जितने भी रास्ते हैं, वहां पर जिस दिन बरसात हो जाएगी, उस दिन आप जन-प्रतिनिधियों को गांव के लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। उस गौरव पथ के कारण आपकी हालत ऐसी हो गयी है। क्योंकि, गौरव पथ में, 10 गौरव पथ, ...(व्यवधान) आपको मैं, आप कोई सदन में, सरकार को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके की गौरव पथ की बात कर रहे हैं, मैं तीन बार गौरव पथ की जांच के लिए लिख चुका हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 गौरव पथ बने हैं और 10 के 10 गौरव पथों में नालियां नहीं बनी आज दिन तक और पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी कहते हैं कि हमने इनका पैसा काट लिया है, पैसा रोक लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस मकान के चारों ओर दीवार बना दो, छत नहीं बनाओ, तो क्या वह मकान बन जाएगा? इसलिए अगर नाली नहीं बनी तो आपके गौरव-पथ का औचित्य ही खतम हो जाएगा। आपने अपने अभिभाषण में लिखा है, 2,154 पंचायतों की स्वीकृति थी लेकिन आप मात्र 1,782 ग्राम पंचायतों में ही बना पाये हैं, उन्हीं ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बना पाये हैं और आप फिर घोषणा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी घोषणा थी दो हजार की और एक हजार में ही सिमट गयी।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी सड़क आपके जिले में, एक भी सड़क बता दें जो नई बनाने का काम इस सरकार ने किया है; एक भी सड़क बता दें जिसका सुदृढ़ीकरण किया हो; एक भी सड़क बता दें जिसे चौड़ी करने का काम किया हो। मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि चूरू से तारानगर जाने वाली सड़क पर महीने में चार बार आप गुजरते हों, कभी-कभी मेरा गुजरने का काम भी पड़ता है, उस सड़क पर आप जा नहीं सकते। हालत ऐसी है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, हमारी उस सड़क पर जरा गम्भीरता से गौर करें।

सिद्धमुख नहर परियोजना का नाम, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं कि सिद्धमुख नहर परियोजना का या तो हमारी का नाम बदल

(श्री मनोज कुमार)

दीजिए, नहीं तो हमें उस सिद्धमुख में उसका कहीं न कहीं फायदा देने का काम करें। सिद्धमुख नहर परियोजना का हर बार नाम लिखते हैं लेकिन आज तक, मैं कहना चाहता हूं कि 1981 से लेकर सिद्धमुख नहर का 25-30 साल में एक भी कार्य, 23 खाले स्वीकृत थे लेकिन एक भी इसमें घोषणा नहीं। हर बार सिद्धमुख नहर का आप नाम लिखते हैं। इसलिए आप सिद्धमुख नहर में पानी पहुंचाने का काम करें। एक सवाल से मैंने जवाब मांगा, उसमें सरकार ने लिखा है कि 2,808 हैक्टेयर खालों का निर्माण शेष है। 20 साल में आप उनका नहीं कर पाए। तो मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर इस सरकार से कि या तो हमारी सिद्धमुख् नहर परियोजना का नाम हटा दीजिए, या वहां पर कुछ करके बता दीजिए जिससे मेरी राजगढ़ की जनता को उसका लाभ मिल सके।

आज चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना का कमांड एरिया घटा दिया। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घटाने का काम किया है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट केनाल का कमांड एरिया शुरुआत में 19.68 लाख हेक्टेयर था, उसको घटाकर 16.17 लाख हैक्टेयर कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने तारानगर में खुली घोषणा की है कि इसको हम, कमांड एरिया को वापस शामिल करेंगे लेकिन आज दिन तक ढाई साल में नहीं कर पाये। जनता तारानगर में सड़कों पर है और अब की बार आप जब भी जाएंगे तो आपको भी उसका मुकाबला करना पड़ेगा, माननीय मंत्री महोदय। इसलिए हमारे उस कमांड एरिये को वापस कमांड घोषित कराएं राज्य सरकार से।

पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदया को भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में पानी की हमारी गम्भीर समस्या है। इसको मध्यनजर रखते हुए हैंडपम्प ठीक करवाने की बात, आंकड़े आपने दिये हैं; प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का अगर आंकड़ा निकालें तो दो हजार से ढाई हजार हैंडपम्प हर वर्ष में आपने चालू करने के आंकड़ें बताये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि धरातल पर जाकर आप देखिये, एक भी हैंडपम्प ठीक करने का काम नहीं हो रहा है। एक-एक साल का बजट ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खाते हैं। इनका भौतिक सत्यापन करवाने का काम सरकार करे जिससे पता चले कि इसमें हैंडपम्प ठीक हुए हैं, या नहीं हुए हैं; कहीं आंकड़ें ही तो पूर्ति नहीं हो रहे हैं।

(श्री मनोज कुमार)

मैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, हमारे चूरू जिले में, मैंने प्रभारी माननीय मंत्री महोदय की मीटिंग में भी रखा था, दस-दस लाइनें मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी हैं जो सरकार ने, पांच-दस साल तो हो गये, लाइन तो डाल रखी है लेकिन आज तक उनका मिलान नहीं किया गया, और जांच के लिए मैंने रखा था लेकिन आज दिन तक अगर आपको भी जांच मिली हो तो, माननीय मंत्री महोदय, नहीं मिली। इस तरह के हालात में हम कैसे मान सकते हैं? आपकी सरकार और प्रशासन कैसे चलता है?

माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय को भी याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2006 से राजगढ़-बूंगी जलदाय परियोजना आज तक चल रही है। दोनों सरकारें आकर चली गयीं, कांग्रेस और बी.जे.पी., लेकिन 2006 से लेकर आज तक, 2016 तक, आप उस योजना को चालू नहीं करवा पाए। माननीय मंत्री महोदय ने मुझे यहां सदन में कहा था, मैं कहता हूं कि कम से कम सदन में तो असत्य मत बोलो, सदन में कहा था कि 31 जुलाई तक इस राजगढ़ शहर को हम पानी पिला देंगे। 31 जुलाई के बाद मैंने एक क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब मिला कि नवम्बर तक हम पानी पिला देंगे। 31 जुलाई भी गयी, नवम्बर भी गया और मार्च आ गया, आज तक आपकी उस योजना का लाभ राजगढ़ की जनता को नहीं मिल पाया।

अब मैं कहना चाहता हूं, एक और घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने घर-घर कनेक्शन के लिए रखी थी और माननीय मंत्री महोदय ने यहां सदन में घोषणा की थी कि हम पचास प्रतिशत उपभोक्ता से पैसा लेकर आपको घर-घर कनेक्शन देने की गाइडलाइन्स जारी कर देंगे और मैंने माननीय मंत्री महोदय को इसी सदन में कहा था कि आप तुरन्त 15 दिन के अन्दर-अन्दर गाइडलाइन्स जारी करें लेकिन आज दिन तक माननीय मंत्री महोदय वह गाइड-लाइन्स जारी नहीं कर सके। हमारे वहां पी.एस.पी. से लोगों के कनेक्शन हो रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर यहां सदन में भी घोषणा करो तो कम से कम उसकी पालना करने का प्रयास करें, नहीं तो जनता के साथ यह घोर अन्याय है।

पानी चोरी पूरे राजस्थान की गम्भीर समस्या है। पानी चोरी को रोकने का प्रयास किया जाए, इसके लिए कठोर कानून बनाए जाएं। क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पानी चोरी होता है,

(श्री मनोज कुमार)

इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि इसको कठोरता से लिया जाए, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इसके लिए कठोर कानून बनाए जाएं जिससे जनता को इससे राहत मिल सके।

चिकित्सा विभाग की बात करूं, चिकित्सा क्षेत्र में मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का जरूर धन्यवाद करूंगा कि 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' आपका एक सराहनीय कदम है और चूरू जिले में आप एक मेडिकल कालेज लेकर गये हैं और उसका कार्य भी आपने शुरू करवा दिया। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे चूरू जिले में आपने मेडिकल की सौगात दी। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स की भारी कमी है, इसमें सुधार करने की माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, जरूरत है। आप डाक्टर्स की, व्यवस्था पूर्ण करें क्योंकि चूरू जिले में रहते हुए भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर्स की भारी कमी है। मैंने बार-बार आपको लिखित में दिया है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे वहां राजगढ़ में जो-जो डाक्टर्स की कमी है, उनकी पूर्ति करने का प्रयास करें। इस राजस्थान में भी डाक्टर्स की व्यवस्था करवाने का प्रयास करें।

बिजली विभाग की बात, बिजली विभाग अपूर्ण आंकड़े दे रहा है, घाटे की बात कर रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी घोषणाओं पर ध्यान दो। कृषि भूमि, किसानों के पास घरेलू कनेक्शन है और सरकार ने यह घोषणा की है कि उन किसानों के, जहां कृषि कनेक्शन हैं, उनको हम घरेलू कनेक्शन, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। लेकिन आज भी किसानों को आप घरेलू कनेक्शन नहीं दे पाये और किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। छह घण्टे की लाइट के अलावा उनको लाइट नहीं मिल पा रही है।

मीटर खरीद में घोटाला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के लिए जो समय निश्चित कर रखा है, वह आपने अकेले ने पूरा कर दिया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो मिनट में ही पूरा कर रहा हूं। दो मिनट में पूरा कर दूंगा।

अब मीटर खरीद में दो-चार दिन पहले पढ़ा कि 6,700 रुपये में खरीदने वाला मीटर आपने 9,500 रुपये में खरीदा। इस घोटाले को भी उजागर

(श्री मनोज कुमार)

करिये और इसकी जांच कराने का काम करिये। जनता पर जो भार बता रहे हों, जो कर्ज बढ़ता आप बता रहे हों, उसमें दो ही कारण हैं। आपकी छीजत सबसे बड़ा कारण है और दूसरा कारण आपके घोटाले, जो बिजली विभाग में हो रहे हैं। इसलिए घोटालों और छीजत पर नियन्त्रण कर लीजिये तो आपके घाटे पूरे हो जाएंगे और जनता को राहत मिल जाएगी।

ई-मित्र कियोस्क जो आपके बनाये जा रहे हैं, उनके लिए आप कह रहे हों कि ई-मित्र से उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए उनको हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ई-मित्र वालों की जो चोरी और धांधली हो रही है, ई-मित्र पर उपभोक्ता पैसा जमा कराकर आता है और वे रसीद देने का काम करते हैं लेकिन दो-चार-छह महीने बाद पता चलता है कि पैसा जमा ही नहीं हुआ, और उपभोक्ता का कनेक्शन काटने डिपार्टमेंट चला जाता है। इस चोरी की गारण्टी सरकार की होनी चाहिये। ई-मित्र कियोस्क को अनुमति सरकार ने दी है। इसलिए उपभोक्ता की जिम्मेदारी नहीं, जिस कियोस्क से ई-मित्र में बिल जमा कराया जाता है, उस बिल की गारण्टी की, सिक्योरिटी की व्यवस्था सरकार करे और उपभोक्ता पर न डाले।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की अगर बात करें तो इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जैसा जवाब दे दिया, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। वह गलत क्लोज कर देते हैं तो भी हो जाता है। मेरे पास, चाहें तो मैं एक-दो उदाहरण लेकर आया हूं कि 12 फरवरी को क्लोज कर दिया बिजली डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसका कनेक्शन आज तक भी नहीं हुआ। इस तरीके से इस पर नियन्त्रण करें, इस पर ध्यान दें और इसकी मानिटरिंग सही तरीके से की जाए।

सरकार बड़े-बड़े वायदे कर रही थी कि लोगों को 15 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आंकड़ों के अनुसार, इस अभिभाषण में आपने आंकड़े दिये, उसमें 2 वर्ष 6 माह में मात्र 80,465 लोगों को नौकरी दी है। इसमें 24,165 विद्यार्थी मित्रों को बाहर कर दिया; 1 हजार ए.एन.एम. को बाहर कर दिया। सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ढाई साल में अगर 80 हजार लोगों को आपने नियुक्ति दी है तो बचे ढाई साल में आप और 80 हजार लोगों को ही रोजगार दे पाएंगे। आप 15 लाख को कहां से देंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री तरुण राय कागा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, एक मिनट में, बस। एक मिनट, अंतिम।

श्री सभापति: आपका समय पूर्ण हो गया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि मेरे चूरू जिले के हालात बड़े सूखे की ओर हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री तरुण राय कागा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान में चूरू जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए; उसको करना चाहिये। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चूरू जिले में जो सूखे के हालात हैं, उस पर ध्यान दें और चूरू जिले को अकालग्रस्त घोषित करें।

श्री सभापति: आसन ने दूसरा नाम पुकार लिया, माननीय सदस्य, इसलिए आपकी बात अब अंकित नहीं होगी। इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करें। आसन ने दूसरा नाम पुकार लिया है। आपकी बात अब अंकित होगी नहीं।

श्री तरुण राय कागा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारी पार्टी के नेता श्री मोहन लाल जी गुप्ता ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा ....(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :...वह बहुत ही काबिले-तारीफ और ध्यानाकर्षण करने वाला था। उसके बारे में हम लोगों ने हमारे इस प्रदेश की जनता को बहुत राहत प्रदान करने वाला एक मसौदा और दस्तावेज, यह हमारे राजस्थान की आम जनता के लिए सौगातों भरा एक दस्तावेज है। इसके लिए हमारी पार्टी के ही एम एल ए श्री प्रहलाद जी गुंजल साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन पेरा किया। उसमें सारी बातें, सारी अवाम कल से, दो दिन से लगातार देख रही है, पूरी टकटकी लगाकर विधान सभा की तरफ देख रही है।

(श्री तरुण राय कागा)

हमारे साथी जो आंकड़ों के मकड़जाल में फंसकर कुछ टीका-टिप्पणी और बातें कह रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं और किस तरह से कर रहे हैं, मुझे यह मालूम नहीं है। हमारे दो दिन का यह बहुत बड़ा आकर्षित और एक मनोरंजन जो हुआ है, मैं तो हमारे पक्ष को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छे सार्थक सुझाव दिये हैं, लेकिन जो कुछ अनर्गल बातें कही गयी हैं, या पक्ष के बारे में जो बातें कही गयी हैं, वे बेबुनियाद हैं।

आप देखिये, हमारे इस अभिभाषण में जो बातें हुई हैं, वे कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। दो साल में हम लोगों ने जो नये-नये आयाम तय किये हैं, नई-नई योजनाएं लाये हैं, नये-नये जो अभिनव प्रयोग किये हैं, वे तारीफे-काबिल और जनता के हितकारी हैं। यह हम नहीं कहते, हमारी जनता, आप तो फील्ड में जाते हैं, तब ये बातें कहती है।

हमारी जो स्वावलम्बन योजना है, जिसको हमने खुद के बलबूते पर किया है, इसमें आपने कहा, कटौती; कटौती कहां? यह जनता की भागीदारी है; हम लोगों की भागीदारी है; इस सरकार की भागीदारी है; हमारे एम एल ए की भागीदारी है। हमारा जो मजदूर तबका है, गांव में पंचायतों में बैठा है, आप लोगों ने अगर भागीदारी निभाई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आम पब्लिक की भागीदारी है, जिससे यह योजना बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। इसमें कोई शक नहीं है, न कोई दो-राय है। हमने देखा है, हमने 27 तारीख को खुद ने देखा है, इन कार्यों का उद्‌घाटन किया और नजदीकी से देखा और लोगों का जो आकर्षण देखा, हमारी महिलाओं, बच्चों और मजदूरों का जो आकर्षण देखा, बहुत ही नायाब और लाजवाब था। इसको देखते ही दिल में खुशी हो रही थी। मैं कहता हूं कि इसमें हमारी आम पब्लिक की भागीदारी है। इसमें कोई कटौती नहीं, हम तो इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम अपनी तनख्वाहें दे रहे हैं, हम अपना शेयर दे रहे हैं, हम आपस में इसमें पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है और आप देखिये-

'इब्तिदाई ही इश्क है, रोता है क्या,
आगे आगे देखिये, होता है क्या।

यह आप देखिये। हमने तो अभी योजना शुरू की है। इस योजना का जो नतीजा आपको मिलेगा, इसका जो फल मिलेगा, जनता इसका उपभोग करेगी तो हमारा जो डेजर्ट, मरुधर, मैं जिस इलाके से आता हूं...(व्यवधान) एम एल ए साहब, मेरी बात सुनो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट सुनो तो सही। आप एक मिनट सुनो तो सही। मैं आपके शेर का जवाब देता हूं। एक तरफा इश्क में क्या होता है, जूत पड़ते हैं न। उस एक तरफा इश्क में जूत पड़ते हैं, वह काम होगा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है... (व्यवधान) मैंने वहां जाकर बहुत नजदीकी से देखा है। हमारा सूखा इलाका है। यहां जयपुर या अड़ोस-पड़ोस का इलाका नहीं है। (व्यवधान) यह तो डिफरेंट है। अभी तो, आप देखिये, हमारे उस इलाके में यह योजना काल्पनिक समझ रहे हैं कि यह कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा, लेकिन हमने जाकर नजदीकी से देखा। (व्यवधान).

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, यह करंट नहीं है। आपका सताया हुआ कष्ट है इनको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कह रहे हैं कि आगे आगे देखिये, इश्क में होता क्या है। एक तरफा इश्क में जूत पड़ते हैं, वही होगा, और कुछ नहीं होगा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है-

'न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है,
बुरा है वो, जिसकी नीयत बुरी है।

हमारी इस सरकार ने किसान कलेवा योजना तैयार की है। हमारे किसान लोग मंडियों में जाया करते थे, भूखे पेट या एक बाजरी का टुकड़ा और उसके साथ प्याज का टुकड़ा तौलिये में बांधकर ले जाया करते थे। अब आज देखिये, उन मंडियों में हमारा किसान बिलकुल खुशी-खुशी से जाता है और वहां जाकर अपना अनाज बेचने के बाद थोड़ी-सी भी भूख लगती है तो पांच रुपये निकाल कर अपनी पेट की ज्वाला को मिटाता है, उसकी संतुष्टि करता है। यह कभी सपने में देखा था? हम किसानों की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। यह एक बहुत बड़ी कारगर योजना है। यह हमारा बहुत बड़ा मंसूबा है। जिस तरह से हमारी संवेदनशील सरकार है, इसको यह जानती है।

अब आपने देखा होगा, अभी हमारे कोई सदस्य कह रहे थे, पिछली बार हमारे यहां ओलावृष्टि से या वर्षा से फसल चौपट हो गयी तो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे सदन को स्थगित करके सारे एम एल एज को अपने-अपने क्षेत्रों में भेजा कि वहां अपने क्षेत्र में जाकर देखो, क्या समस्या है।

(श्री तरुण राय कागा)

हम लोग गये वहां। हम सब लोगों को लेकर, जो वहां के हालात थे, वहां की जो स्थिति थी, उनके साथ-साथ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पैसा मिल गया क्या? उनको पैसा मिल गया क्या? (व्यवधान) आपके मंत्रीजी से पूछो, मुख्य मंत्रीजी से पूछो, जो वादा करते हैं। मोदीजी 15 लाख रुपये की बात करते हैं, मुख्य मंत्रीजी 15 लाख नौकरियों की बात करती हैं, 15 लाख से नीचे कोई बात नहीं करते हैं आप असत्य बोलने में एक्सपर्ट हैं। अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ढाई हजार करोड़।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ऐसा है, आपको हजम नहीं होती हो तो मैं इसी विधान सभा की डिस्पेंसरी से हाजमोला की गोलियां आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप चिंता मत करो। हजम करो। हजम का माद्दा रखो। (व्यवधान)

वादा नहीं, उसको मूर्त रूप दिया गया। दूसरों के जैसे छलावा नहीं है। हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। हाथी के दांत दिखाने और खाने वाले अलग ही हैं। आपकी जैसे नहीं हैं। हम जो कहते हैं, वह करके बताते हैं।

उसी के बाद में, आप देखिये, हमारे उसी नहले पर दहला प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने मारा, जो हमारे 30 से 33 किया करते थे, 50 प्रतिशत से आगे बढ़कर के....। अभी आप देखिये, कितना मुआवजा मिला है, हमारा किसान कितना खुश है, कितनी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है। वे बहुत आराम से हमारे गांव वाले गीत गाते रहते हैं।

आप आगे बढ़कर के हमारे नौजवानों को देख लीजिए। आप हमारे आंकड़े तो देखिये, आंकड़ों में तो आप भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन हमारी 'राजस्थान कौशल आजीविका योजना' नयी लाये हैं। उसमें हमारे कितने बेरोजगारों का आकर्षण हुआ है। वहां जाकर उनको प्रशिक्षण है और हमारे जैसे इलाके में, दूरदराज के इलाके में भी यह आई.टी.आई. के केन्द्र खुलना, वहां का प्रशिक्षण होना, यह कम बात नहीं है। यह हम सपना भी नहीं देख पाये थे। हमारे जो हमने ख्वाब देखे थे, जो हमारे दिल में उमंगें थीं, ऐसे ख्वाब की ताबीर हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने की है। यह हमारे सपने, नहीं तो, चकनाचूर थे।

(श्री तरुण राय कागा)

इसके साथ-साथ, आप देखिये, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन हमारे इलाके में डोडे के नशेड़ी हुआ करते थे। हमारे वहां का प्रचलन था, रवायत थी, वहां की हमारी संस्कृति, तहजीब थी। किस तरह से उन नशेड़ी को बचाएं। मैडम से मिले, सरकार से मिले, हमारे सारे जन-प्रतिनिधियों से मिले। तो उसमें, आप बताओ, हमने उसको किस तरह से टैकल किया, हमारी सरकार ने किया, एक 'नया सवेरा' योजना लाये। आप देखो उसके ऊपर हमने कितना खर्च किया है, यह आपको भी पता होना चाहिए। 10,557 परमिटधारियों को हमने 6 करोड़ 59 लाख देकर के उनको नशे से विमुक्ति प्रदान करायी है । यह कोई कम बात नहीं है। आपको पता है, नशा कितना खराब है, किसी को सत्ता का नशा, किसी को बाहुबल का नशा, किसी को किस का नशा, लेकिन हमको तो डोडा का नशा था। वह डोडा था, यह डोडा, हमारे लोगों का गोडा ही बरबाद कर दिया था, उसके लिए यह योजना 'नया सवेरा' हमारी राज्य सरकार लेकर के आयी है आज की तारीख में।

इसके साथ-साथ में मैं राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसी मामले की, नशे की तरह से विभिन्न प्रकार की निःशुल्क, दो-चार पैरासीटामोल को छोड़कर के, इन्होंने कितना दवाइयों का इजाफा किया। इसके लिए भी ये तारीफ के काबिल हैं। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ, लगते-लगते, इनके मेडिकल डिपार्टमेंट में भी हमारे बाड़मेर में मेडिकल कालेज खोलकर के हमारे सब लोगों को सौगात दी, जिसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं और हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। हमारे बाड़मेर में बिलकुल ही एक जरूरत थी।

आप देखिये, अभी हमारे माननीय सदस्य हैं पोकरण वाले, जिस तरह से अणु का विस्फोट करके पोकरण एक पूरे मानचित्र पर है, लेकिन बाड़मेर जिला भी हमारे पूरे विश्व के मानचित्र पर हमारे तेल के उत्पादन में अग्रणी है। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जिसका हम आपको भी, कई लोगों को और भारतवर्ष को भी उसका लाभांश दे रहे हैं। इसके लिए आपको हमको धन्यवाद देना होगा। हम उस इलाके से आये हैं। (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, अभी गलत नहीं कर रहा, मेवारामजी से पूछ लो। मेवारामजी इस बात पर खुश हैं। पार्टी से बात नहीं, मैं आम जनता की ही बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं।

(श्री तरुण राय कागा)

हां, आप देखिये, हमारी सरकार कितनी दर्दमंद है, कितनी पीड़ासंति है। कितनी सरकारें आयीं, गयीं; भैरोंसिंहजी के बाद भी कितनी सरकारें आयीं, कितनी गयीं, लेकिन जो यह पंचायती राज पुनर्गठन का मसला था वह बिना कफन के किसी फाइल में दफन हो गया था।

(17.45 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे बुजुर्ग नेता और हमारे मार्गदर्शक गुलाबजी कटारिया साहब को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा, जो राजस्थान में एक नया सूत्रपात करके, यह पंचायतों का पुनर्गठन करके हमको जो तोहफा अदा किया है वह बहुत बड़ा लाजवाब है। इसमें यदि हम दाद नहीं दें, क्या कहें? (व्यवधान) अब उसका आप सब को मिला है। वह किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं किया है। हां, हमारे कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसमें यह नहीं है, यह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फलां नहीं है, सब हो रहा है। देखो, हर चीज है, जैसे गरीब भी गरीब होवे है न तो भी वो बींदणी रै वास्ते घाघरो ले आया करै, चूनड़ी लाया करै। थ्हे इकी चिंता मत करो। आप चिंता नहीं करो।

हां, आदर्श गांव की भी चर्चा चली। अब आप देखिये, नयी-नयी जो बातें आती हैं तो उसमें से आपको क्यों पेट में दर्द होता है? आदर्श गांव एक पहली बार गांव बनाया तो सारा फंडिंग हर तरह का उसमें शेयर किया। अब उसकी कम से कम गाइडलाइन तो देखो। मेरे इलाके की बात करता हूं। उसके गांव में आज जाओगे तो समझोगे। यह जयपुर स्मार्ट सिटी तो सिर्फ अभी तक घोषणा हुई है, वह जयपुर जैसा स्मार्ट गांव एक घोषित हो गया, बहुत सुन्दर दिख रहा है। पहली बार लोग उसकी तारीफ करते हैं।

हां, अभी एक बात है, हालांकि तारीफ की ही बात करने के साथ, मैं बीच में मेरी एक नयी बात आपको सुनाना चाहूंगा। सभापति महोदय, इजाजत हो तो मैं मेरी बात को उसी हिसाब से करूं? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी इजाजत चाहूंगा; गुस्ताखी हो तो माफ करना। अभी मैं पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान की यात्रा पर था, उस जगह मैंने एक नयी चीज देखी। मेरा जो चौहटन विधान सभा क्षेत्र है, चौहटन से हमारे जो सीमा के बिलकुल इर्द-गिर्द है, वहां कोयलों की इतनी खानें हो गयी हैं, बिलकुल हमारे बार्डर के सटे हुए गांवों से। वह चाइना का कोई ठेका है, वह इतना उस इलाके से, हमारे चाइना

(श्री तरुण राय कागा)

से लाये हैं। पाकिस्तान वालों की अगर इज्जत-आबरू बच रही है तो उसी से, कोयलों से हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे राजस्थान से सटा हुआ इलाका, मेरे साइड में उल्ली तरफ जो इलाका है उसमें मेहरबानी करें; इसका जो भी है, खोज करके, इसको भी वहां खालों का करें तो हमारे उस क्षेत्र में, हमारा राजस्थान बड़ा मालामाल हो सकता है। आप सरमायेदार हो सकते हैं। हम इसके लिए दौलतमंद हो सकते हैं।

अभी शिक्षा की बात कह रहे थे, हमारे देवनानी साहब और सराफ साहब भी यहां होंगे, या नहीं होंगे, कोई पता नहीं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें थीं, उन सब ग्राम पंचायतों को, मेरे विधान सभा क्षेत्र की, छाती ठोक करके, डंके से, बिलकुल सीना चीर करके, मुंह फाड़ करके कह देता हूं, उन सब पंचायतों को आदर्श स्कूलें घोषित कीं। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

हां, अभी किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैं उनका नाम नहीं जानता, न ले सकता, न कहना भी चाहिए, लेकिन स्टाफ की कमी जरूर हो सकती है। इतना बड़ा है, शादी होती है, कहीं किसी से कोई कुछ गलती हो जाती है, वह अलग बात है, बाकी हर शंका का, सारी, पूरी किल्लत पूरी हो रही है।

इसके साथ-साथ मैं हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी कहूंगा कि हमारा वह पश्चिमी इलाका है, बार्डर का इलाका है, तीन बार मैं इसके बारे में कह चुका हूं, आप वहां कालेज खोलिये। लोगों की वहां बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे-बच्चियों की जरूरत है। अगर आप कालेज खोलकर के हमको शिक्षा की नयी रोशनी से साथ में शामिल करेंगे तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, अदरवाइज नहीं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, हमारी नहीं होगी तो हम कहां करेंगे? क्यों करेंगे? हमारी नहीं कहोगे तो हम लिखाया करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं।

अब पी एच ई डी की बात, आपने हमारा इलाका देखा है। हमारे से कई लोग पूछते थे कि आप लोगों की, रेगिस्तान वालों की, बार्डर वालों की, बाड़मेर जिले वालों की, आंखें बड़ी-बड़ी क्यों होती हैं? इस पर हमारे लोग कहते थे कि आकाश की ओर, बरसात की ओर, झांक-झांक कर हमारी आंखें बड़ी-बड़ी

(श्री तरुण राय कागा)

हो जाती हैं। जन्म से ही हमारा यह सिस्टम था। लेकिन मैं माननीया किरण जी माहेश्वरी को अर्ज करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, ये काबिले-तारीफ हैं कि उन्होंने हमारे इलाके में काफी पेयजल की योजनाएं दी हैं। मैं चौहटन विधान सभा क्षेत्र में मेरे मुख्यालय की बात करूं वहां 40 साल पुरानी योजनाएं थीं। वहां बस्तियां बढ़ गयीं सारे इलाके में। उसको किसी तरीके से, अहमद की टोपी महमूद के सिर पर और महमूद की टोपी अहमद के सिर पर, करके हो रहा है। इनके सहयोग से वहां नई योजनाएं चलायीं। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि वहां ज्यादा फंड दें ताकि हमारे चौहटन मुख्यालय का नक्शा भी सुंदर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक शिकायत है, हमारे नर्मदा नहर के पाये एक ही हैं। मैं पहले भी सदन में तीन बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। मैं आपसे वादा निभाने की अर्ज करूंगा। मेरी जनता की तरफ से, उनकी नुमाइंदगी करने से मेरा फर्ज भी बनता है। अर्ज और फर्ज, दोनों के ऊपर आप हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ायेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा सारा मर्ज ही दूर हो गया। मैं आपको इसलिए यही कहूंगा कि हमारे यहां नर्मदा नहर योजना है, उसमें पानी की...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं बोलना है?

एक माननीय सदस्य: नहीं, बोलना है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है, सदस्य का समय एक घंटे के लिए नहीं बढ़ाया गया है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मेरे लिए कितना बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे जो समय दिया गया है, उसके लिए शुक्रिया।

हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री, सड़क मंत्रीजी भी यहां हाजिर नहीं हैं लेकिन मैं उनको हाजिर और नाजिर समझकर के अर्ज करूंगा कि उन्होंने भी गौरव पथ, हमारे तो गौरव इतना नहीं है, ना तो गौरव है, ना गर्व है, ना घमंड है; हमारे तो सिर्फ सीधे-सादे आदमी हैं। हमारे वहां गौरव पथ की कोई जरूरत नहीं है। एक सड़क की जरूरत है हमारे मुख्यालय में, जहां पहाड़ियों का पानी आता है वहां पर, वह एक बना दी; बाकी मैंने खुद ने डिजायर करके कैंसिल करा दीं। वैसे तो 12-12, 15-15 हुई हैं, मैंने उसमें यही सुझाव दिया है कि आप सीमेंट की नहीं, हमें डामर की दीजिए, लेकिन जो हमारी एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर की मिसिंग लिंक हैं, जो गांव, जो ढाणियां जुडी हुई नहीं हैं, उनको जोड़ा जाये। यह मैंने कहा है। मैं कहता हूं कि वह मेरी मांग पूरी भी होगी। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसको मान भी लिया है। हालांकि नवीनीकरण और दूसरी सड़कों का जाल भी हमारे इलाके में बिछ चुका है। हमारे यहां बेहतरीन स्थिति है सड़कों की, बेहतरीन हालात हैं, जिसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं।

हमारे राजस्व मंत्री हमारे इलाके के, हमारे जिले के हैं, वे भी यहां नहीं हैं कोई बात नहीं, उनके लिए भी मैं यह कहूंगा कि हमारे इलाके में काफी कुछ जो पटवारियों की किल्लत थी, या स्टाफ की कमी थी, उनको भी पूरा किया है। उनको भी मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। यह भी उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो पटवार सर्किल हैं, उनको हिसाब से दें।

पंचायती राज विभाग की मैं बात कर चुका हूं। बिजली की बात थी, हमारे यहां बिजली के बहुत अच्छे हालात हैं। जी एस एस हैं, 132 केवी चौहटन का भी, पहले कहा। अभी हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जो दीनदयाल उपाध्याय योजना में विद्युतीकरण का भेजा है, इसमें भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे बाड़मेर जिले को लगभग 500 करोड़ रुपये की सौगात दी है। इसके लिए प्रधान मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मुख्य मंत्री वसुंधराजी का धन्यवाद और हमारे मंत्रीजी को भी धन्यवाद। उसमें से जो हमें बंटवारा मिला है, उसके

(श्री तरुण राय कागा)

बारे में हमने जो कैलकुलेशन किया है, हिसाब लगाया है, तो हम अगर ढाणियों में भी हैं तो हमारी ढाणियां भी उस रोशनी से जगमगायेंगी। भारत सरकार ने हमारे बार्डर के इलाके को बिजली में जिस तरह से तोहफा दिया है, उससे पाकिस्तान वालों को यह पता नहीं लगेगा कि यह बार्डर है, या क्या है। यह ही पता नहीं लगेगा। इस तरह की यह स्थिति हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, मैं उसके अनुमोदन के साथ-साथ तहे दिल से उसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल जो हमारे प्रदेश में संविधान-प्रमुख भी हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने सवा 2 साल के शासन में राज्य के पिछड़ेपन के कलंक को हटाकर राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा। यह अभिभाषण राजस्थान के विकास का दर्पण है। इस दर्पण में राजस्थान की खुशहाली झलक रही है। अभिभाषण के प्रत्येक पृष्ठ में राजस्थान की सरकार के 2 वर्ष के विकास की शानदार कहानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करती हूं और साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करती हूं कि राज्य सरकार के 2 वर्ष होने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया और राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी योजनाएं लागू की गयीं, जिन पर मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि राज्य में सुराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप अवसरों में आशातीत वृद्धि हो रही है। साथ ही राज्य की जनता माननीया मुख्य मंत्रीजी का दिल से आभार व्यक्त कर

(श्रीमती द्रोपती)

रही है कि हमारी अपनी माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी राजस्थान की जनता के दिल छू लेने वाले कार्य राज्य सरकार द्वारा करवा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 29 फरवरी, 2016 को सदन में पढ़ा गया था, उसमें राज्य सरकार की 2 वर्षों की महत्वपूर्ण योजनाओं को कटिबद्ध किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कार्यों की विपक्षी पार्टियों के विधायक भी तारीफ करते हैं, परंतु वे मजबूर हैं कि बोल नहीं सकते हैं। राज्य सरकार का न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम इसका उदाहरण है। 18 मई से 30 जुलाई, 2015 तक चलाये गये न्याय-आपके-द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान में हनुमानगढ़ जिले में ही जमीन से जुड़ी हजारों समस्याओं का समाधान हुआ। ग्राम पंचायतों में न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में 224 राजस्व कैम्पों में राजस्व से जुड़ी 44,114 समस्याओं का निस्तारण किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरदारपुरा खालसा में 19 मई, 2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में एक ऐसा मामला सामने आया जो पिछले 35 वर्षों से अटका पड़ा था। श्री लादूराम मेघवाल के बेटे मांगीलाल ने बताया कि उसके दादाजी 35 वर्षों तक जमीन का खाता-विभाजन नहीं करवा सके। उसको माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरदारपुरा खालसा में ही प्रशासन ने खुद आकर यह कार्य किया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक कार्य हैं जो कांग्रेस की सरकार के समय से अटके पड़े थे, उनमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रयासों में सफलता मिली। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गये। और राजस्थान में जय जयकार हो रही है।

(18.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब न्याय की बात आती है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी का नाम आता है। न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्थान प्रदेश में लाखों लोगों को न्याय मिला है। इसका एक उदाहरण पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी में 25 जून, 2015 को लगाये गये राजस्व लोक अदालत कैम्प में एक ही दिन में 209 नामांतरण और 83 खाता-विभाजन किये गये, जो अपने आप में रिकार्ड है।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता के अटके पड़े कार्य होते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के गौरव एवं स्वाभिमान के धनी माननीय नरेन्द्र मोदी ने जो नारा दिया था, वह साकार हो रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो अच्छे दिन आने शुरू हो गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक उदाहरण पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के जाखड़ावाली का है जिसमें चार गांवों की भूमि राज रकबा से आबादी भूमि में स्वीकृत हुई है। चक 4 एस टी बी भी, 33 एन डी आर, 54,000 आर डी एवं 11 एम डब्ल्यू एम, ये ग्राम भूमि राज रकबा से आबादी भूमि स्वीकृत हुई हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

जब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सरकार-आपके-द्वार प्रोग्राम बीकानेर सम्भाग में रखा, तो वहां की जनता की बहुत बड़ी समस्या एक ही सामने आई थी, वह थी पीने के पानी की। क्योंकि जून के महीने में यह अभियान चलाया गया था। तो हमारा राजस्थान वैसे भी सूखा और सूखे के कारण वह मुद्दा ज्यादा उठ गया। यह सच है कि मेरे क्षेत्र में भी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मेरा इलाका सेमग्रस्त इलाका है, जिसमें पानी जमीन से रिसाव के तौर पर उपर उठता है और वह पानी फ्लोराइड-युक्त पानी है और उस पानी में शोरे की मात्रा बहुत अधिक मानी गई है। इसके कारण पीने के पानी की पाइपलाइन जो 30-40 वर्षों पूर्व डाली गई थी, उसी पाइप द्वारा पीने का पानी आता है, वह पाइप सीमेंटेड था और इतने अधिक वर्ष होने के कारण वह पाइपलाइन जगह-जगह से टूट गई है। इसके कारण शहर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गांवों में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। जो वर्षों पुराने वाटर वर्क्स बने थे, वे आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े थे। उसका समाधान, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 52 पंचायतों में से 27 गांवों में जो वाटर वर्क्स जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़े थे, उनके नए माडल के रूप में देखने को मिला है, जैसे नया वाटर वर्क्स, नया फिल्टर, नई मोटर, नया डिग्गी निर्माण करवाया गया जो कि अभी जारी है और इनकी लागत 28 करोड़ रुपये की है। गांवों में यह अनूठी पहल की गई है, जिससे गांवों में खुशी की लहर है। गांवों में भी आर ओ फिल्टर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इससे मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का और हमारी मंत्री महोदयाजी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी योजना सफल की है।

(श्रीमती द्रोपती)

इसी समस्या का समाधान करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा जल स्वावलम्बन अभियान 27 जनवरी, 2016 से शुरू किया गया, जिसकी सराहना पूरे देश भर में हो रही है। पानी को कैसे बचाया जाए, ऐसी योजना लागू करके माननीया मुख्य मंत्रीजी वास्तव में बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं और देश भर में वाहवाही ले रही हैं। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि राज्य के चहुंमुखी विकास की पहल की गई है और पानी बचाओ अभियान सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।

जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल के महत्त्व को जानने वाले माननीय प्रधान मंत्री, भाई नरेन्द्र मोदीजी की नदियों को जोड़ने की योजना की कांग्रेस के साथी विधायक भी मन ही मन सराहना कर रहे हैं कि यह बात है तो अच्छी, लेकिन हम मजबूर हैं।

अब तक वाटर-वर्क्स में खुले नाले से पानी सप्लाई होता था, उससे पानी शुद्ध नहीं होता था। अब माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से गांवों के शुद्ध पेयजल के लिए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इन्लेट चैनल रिपेयर के द्वारा नहर से वाटर-वर्क्स तक बंद पाइपों द्वारा शुद्ध पेयजल की सप्लाई दी जा रही है। आर ओ फिल्टर बेस्ड प्लांट से 40-50 प्रतिशत पानी अधिक मात्रा से शुद्ध मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने गांवों में जो गौरव पथ दिये हैं, वे वास्तव में गांवों का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गांव के लोगों का सुना हुआ था कि शहरों में सी सी रोड होती हैं, वे बहुत ही सुन्दर और मजबूत सड़क होती हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गांवों में यह गौरव पथ देकर गांव के लोगों का दिल जीत लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ग्रामीण किसान की बेटी हूं और मेरी पढ़ाई-लिखाई भी गांव में ही की हुई है। इसलिए मैं अच्छी तरह से किसानों की बात को समझती हूं और उनकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयास करती हूं।

इसके साथ ही हमारे राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में जो काम किये जा रहे हैं वे भी सराहनीय है क्योंकि जब से नहरें बनी हैं तब से लेकर गत कांग्रेस के शासन तक सिल्ट सफाई का काम नहीं हुआ था। इन्दिरा गांधी

(श्रीमती द्रोपती)

नहर परियोजना का बजट भी लेप्स हो जाता था। जब से माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। जब पिछली बार विधान सभा चली तो मेरे द्वारा उठाया गया सिल्ट सफाई के प्रश्न का जवाब भी आया और आज तक नहरों की सिल्ट सफाई का काम चल रहा है और किसानों के खेत में और आखिरी टेल तक पानी पहुंच रहा है जिससे किसान भाई खुश हैं। साथ ही साथ, नहरों का बेड लेवल सही कराया जा रहा है। वे लोग भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का और मंत्री महोदय का आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ, जो अब की बार पूरे समय में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पूरा पानी किसानों को सिंचाई का मिला, इससे किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की जीवन-दायिनी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर बनी थी, तब से उसकी साफ-सफाई भी नहीं हुई थी। जब से राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जल संसाधन विभाग की तस्वीर ही बदली हुई दिखाई दे रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर डी 109 पर 19 करोड़ रुपये की लागत से क्रोस-रेग्यूलेटर का निर्माण पूर्ण करवाया गया है जिससे साहवा लिफ्ट नहर को उसकी पूर्ण क्षमता से चलाया जा सकेगा।

इसी प्रकार पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में किसानों की लम्बित मांग थी, किंकरालिया माइनर व भोमपुरा माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता था। माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से किंकरालिया माइनर में 3 करोड़ और भोमपुरा माइनर में 2 करोड़ की लागत से रिलाइनिंग का कार्य करवाया जाएगा। किंकरालिया माइनर के रिलाइनिंग होने से पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र व नोहर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की लम्बित समस्या का समाधान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी मुख्य नहर के मसीतावाली हैड के 50 वर्ष पुराने गेट और ट्रैक्स को बदला गया जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब राजस्थान का और मेवाड़ का नाम आता है तो सभी लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है।

(श्रीमती द्रोपती)

वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका।
वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका,
जो अपना वन महका न सका।।

जब मेवाड़ पर अकबर शासन करने की सोचता है तो मेवाड़ का स्वाभिमान जाग उठता है महाराणा प्रताप के रूप में। जब कायर अकबर और महान् महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होने की सम्भावना बन रही होती है, उस समय महाराणा प्रताप के खजाने में धन पैसा नहीं होता है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैसे के बिना सेना व शस्त्र भी कम पड़ जाते हैं। तो भामाशाह अपना धन, रुपया, पैसा, सोना लेकर आगे बढ़ता है और मेवाड़ की रक्षा करने के लिए शेर महाराणा प्रताप को अपना सारा खजाना मेवाड़ की रक्षा हेतु सेना के लिए समर्पित कर देता है।

वह देश प्रेम क्या देश प्रेम
जो कंटक पथ अपना न सका।
वह धन भी क्या धन
जो अवसर आने पर त्याग भाव दिलवा न सका,
जो अवसर आने पर त्याग भाव दिलवा न सका।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मेवाड़ के भामाशाह की याद आती है तो राजस्थान की जनता को हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी की शुरू की गई भामाशाह योजना भी याद आती है। यह भी कांग्रेसियों को रास नहीं आता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को सही ढंग से शुरू करने का काम किया। राज्य में पहली महिला मुख्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त करते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं को जागरूक करने का जो कार्य किया, वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। जिससे महिलाएं अपने आप जागरूक हों और अपना कार्य भली प्रकार से समझ सकें।

भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकित बी पी एल, स्टेट बी पी एल, अंत्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखियाओं को दो हजार रुपये प्रति परिवार सहायता राशि का भुगतान आनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए किया जा रहा है। इस काम में हनुमानगढ़ जिले में मेरी तहसील रावसर पहले

(श्रीमती द्रोपती)

नम्बर पर आयी क्योंकि सबसे ज्यादा भामाशाह कार्ड मेरी तहसील में बने हैं और इसका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इन्होंने महिला होने का गर्व महसूस किया है और मैं भी एक महिला होने के नाते माननीया मुख्य मंत्रीजी की टीम में शामिल होकर मुझे इस बात पर गर्व है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नारी शक्ति के गौरव को बढ़ाया है। जब भी हमारे देश की महिलाओं का नाम आता है, चाहे मेवाड़ की पन्ना धाय हो, चाहे मीरां बाई, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हो, उन सभी महिलाओं ने देश व समाज के लिए कार्य किया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बस दो मिनट। उसमें माननीय वसुन्धराजी का नाम भी नारी शक्ति के उत्थान एवं गौरव के लिए आता है। इस बात पर तो कांग्रेसी महिलाएं भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करती हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने पूरे प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने एवं जन-जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश में 13 दिसम्बर, 2015 से शुरू की गयी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भामाशाह कार्डधारक प्रदेश की 67 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़कर 30 हजार से तीन लाख तक नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराकर इन्डोर मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा करायी गयी थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री महोदय को। इस योजना में देश में सर्वाधिक बीमारियों को कवर किया गया है, जो कि बहुत अच्छी पहल की गयी है। इससे मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी और राठौड़ साहब को कि इन्होंने प्रदेश के भाइयों को स्वस्थ रहने के लिए और अपना इलाज सही ढंग से कराने के लिए उत्साहित किया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक लास्ट पेज।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में हॉस्पिटलों की हालत

(श्रीमती द्रोपती)

दयनीय हो गई थी; कहीं पर सही व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के नेतृत्व में पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो एक विकास का दृश्य हमारे सामने दिखायी दे रहा है। रावसर के सामुदायिक चिकित्सालय में डाक्टरों के लिए 1 करोड़ 19 लाख 26 हजार की लागत से 8 आवासीय भवनों का निर्माण हुआ है। पीलीबंगा में 4 क्वार्टर्स का निर्माण 66 लाख की लागत से हुआ है। मरीजों के साथ आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है, जिसके लिए रावसर सामुदायिक केन्द्र, गोलूवाला सामुदायिक केन्द्र में 50-50 लाख की लागत से धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है। इसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिन्दुस्तान में हुआ है। हमारे देश में तो देवताओं ने भी जन्म लिया है।

''राम, कृष्ण, गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहां।

वाणी खण्डन-मण्डन करते शंकर चारों धाम यहां।

जितने दर्शन राहें उतनी, चिन्तन का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरुपुत्रों की बलिदानी है पुण्य धरा।''

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के इस षष्ठम सत्र में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अपने अभिभाषण में राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विवेचन किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 में जब विधान सभा के चुनाव हुए और एक प्रतिनिधि के रूप में विधान सभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला, तो गांवों की जो स्थितियां हमने व्यक्तिगत देखीं, वहां गांवों के गलियारों में गंदगी हुआ करती थी, स्कूलों में अध्यापक नहीं होते थे, जहां पटवारघर थे वहां पटवार नहीं होते थे, हास्पिटल में डॉक्टर नहीं होते थे और पूर्ववर्ती सरकार की जो व्यवस्थाएं रहीं उनके कारण जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। चुनावों में विजयी होने के बाद जब हमारी सरकार बनी, हमने हमारे क्षेत्र की स्थिति के बारे में माननीया मुख्य मंत्रीजी के सामने और सरकार के सामने सारी स्थितियां रखीं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

मैं यहां कहना चाहूंगा कि जब माननीया मुख्य मंत्रीजी को सुराज संकल्प यात्रा के समय पूरे राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों के गांव-गांव जाकर गांवों के हालात देखने का अवसर मिला, उसके बाद पहले ही बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की उस सारी स्थिति पर अपनी योजनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास किया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गांवों के विकास के लिए, गलियारों की स्थिति के लिए और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाली सड़कों की स्थिति देखकर जिस प्रकार का बड़ा बजट राजस्थान में दिया, जहां गांवों की गलियों को सुधारने के लिए एक नई अभिनव योजना 'गौरव पथ' के रूप में प्रारंभ की। मैं कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 17 पंचायतों में गौरव पथ बने और सभी गौरव पथों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, जहां गांवों में हमें उस गंदगी को दूर करने के लिए जो प्रयास की आवश्यकता थी, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से हमें किसान पथ मिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये के किसान पथ सीमेंट, गिट्टी रोड बनकर गांवों को सुंदरता प्रदान करने के लिए बने। उसी की परिकल्पना में हमने नरेगा के माध्यम से एक माडल पथ की बात बनायी और उसके साथ ही एक विधान सभा क्षेत्र में 8 से 10 करोड़ रुपये के इस प्रकार के माडल पथ बने।

गांवों की गंदगी को दूर करने के लिए जहां पंचायत राज में एक बड़े बजट की आवश्यकता थी, वह इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की पंचायतों को बड़ा बजट देकर उस सारी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। जहां हम बात करें टी एफ सी, अन्टाइड फंड की, डांग की, माडा की, विधायक कोष की, सांसद कोष की, इन सारी योजनाओं के बाद आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो नक्शा तीन साल पहले गांवों का था, जो गंदगी 3 साल पहले गांवों में हुआ करती थी, आज राजस्थान में उस गंदगी से मुक्त करने के लिए एक बड़ा प्रयास राजस्थान सरकार के माध्यम से चल रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त रोडों की मरम्मत के लिए बड़ा पैसा हमें मिला। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके लिए लम्बे समय से प्रयास चल रहा था, गत बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गैता और माखीदा के बीच में 102 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान के बजट में प्रावधान करके हमारे क्षेत्र के विकास के लिए दी। इसके अतिरिक्त, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 बड़े रोड जो क्षतिग्रस्त थे, उन्हें सी आर एफ में स्वीकृत कर राष्ट्रीय

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

राज्यमार्ग के रूप में घोषणा की। मेरे यहां कोटा से श्योपुर के 19.5 किलोमीटर के लिए 50 करोड़ रुपये, मण्डावरा से पटपड़ा 20.9 किलोमीटर के लिए 37.15 करोड़ रुपये तथा तीसरा, इटावा से मांगरोल 18 किलोमीटर के लिए 43.34 करोड़ रुपये की राशि, इस प्रकार कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये की राशि मुझे वर्तमान सरकार ने हमारी रोडों के सुदृढ़ीकरण के लिए दी। आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र, जब मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश करता है तो वह इस बात को लेकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि राजस्थान में प्रवेश के बाद कोटा तक उसे अच्छी हालत में रोड्स की स्थिति मिलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से भी मुझे 10 करोड़ रुपये के किसान पथ मिले, वहीं नरेगा के माध्यम से 20 करोड़ रुपये के सीमेंट-गिट्टी के रोड मिले। मैं यहां कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा रिजल्ट, इतना बड़ा पैसा मेरे विधान सभा क्षेत्र को मिला होगा।

इसके अतिरिक्त जहां माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बड़ी सोच के साथ मेरे उप-तहसील कार्यालय के लिए सुल्तानपुर में 5 करोड़ रुपये, खातोली में भी उप-तहसील कार्यालय के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये और ट्रैजरी की बिल्डिंग के लिए साढ़े 4 करोड़ रुपये की बड़ी राशि देकर हमारी उस समस्या का समाधान किया है। जहां जर्जर भवन में नायब तहसील चला करती थी, वहां आज उसके स्थान पर सुन्दर भवन बने हुए हैं।

साथ ही माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए राजस्थान में पहली बार गांवों में पंचायत स्तर पर 'न्याय-आपके-द्वार' योजना प्रारम्भ की। मुझे कई गांवों में इस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला और गांवों में इस कार्यक्रम के तहत जब किसानों को न्याय मिला, लम्बे समय से उनके रेवेन्यू रिकार्ड में जो त्रुटियां थीं, जो उनको अपने अधिकार क्षेत्र की बात जमाबंदी में मिलने वाली बात थी, या उनको खातेदारी राइट मिलने वाली बात थी, वे सारे अधिकार इस अवसर पर प्राप्त हुए। जिसके कारण से किसानों के मन में हमारी सरकार के प्रति एक विश्वास जागा, किसानों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ।

सिंचाई परियोजनाओं में मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल की बड़ी

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

नहरों का पानी लगता है और लगभग 80 प्रतिशत विधान सभा क्षेत्र कमाण्ड एरिया होने के कारण जो हमारे क्षेत्र की नहरों की जर्जर हालत थी, उस नहरी तंत्र को भी मजबूत करने में लगभग इन्हीं दो वर्षों में 20 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर नहरी तंत्र को मजबूत किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में सारे विद्यालय एक ही आदेश में क्रमोन्नत हुए। छात्रों के रुचिकर विषय खोलकर उनकी इच्छा के अनुरूप आगे शिक्षा ग्रहण करने का योगदान दिया गया। इसके अतिरिक्त, जहां पर विद्यालय में कक्षा कक्षों की कमी थी, पुस्तकालय की कमी थी, वहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि से मेरे क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का, पुस्तकालय भवन का, वाचनालय का निर्माण किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा की हम बात करें तो तुलनात्मक दृष्टि से पिछले 5 सालों में इस बार जितनी बड़ी संख्या में महात्मा गांधी नरेगा की राशि का उपयोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुआ होगा, वह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण राजस्थान में अकालग्रस्त गांवों में जहां पानी के लिए लगातार किसान या पशुपालक परेशान हुआ करते थे, वहां पहली बार माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए पूरे राजस्थान में जल स्वावलम्बन के नाम पर इस प्रकार का अनूठा प्रयोग किया है जिसकी आज सारे राजस्थान की जनता सराहना कर रही है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की तीन ऐसी पंचायतें हैं जो अपने आप में अकालग्रस्त रहा करती थीं, वहां आज बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं और मुझे आशा है कि उनकी भावनाओं के अनुरूप जो उन्हें मिलना चाहिए, वह हम जल्दी ही उसके लिए उस योजना के अनुरूप कार्य करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीस हजार की आबादी का मेरा एक कस्बा इटावा है जो एक ग्राम सेवक के भरोसे रहा करता था। उस कस्बे की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं थी और कस्बे में गंदगी रहा करती थी। उसके बाद हमने जब माननीया मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि इटावा को नगरपालिका बनाया जाए, तो आज वह इटावा कस्बा अपने आप में एक नगरपालिका के रूप में काम कर रहा है। लगभग एक हजार पोल पर रोशनी की व्यवस्था की गई है; स्वच्छता के लिए पर्याप्त संख्या में जहां सफाई कर्मियों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई है, वहीं एक बड़े बजट के साथ हम पूरे कस्बे के गलियारों को साफ-सुथरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पेयजल के क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की राशि सुल्तानपुर कस्बे में और साथ ही 2 करोड़ रुपये की राशि जनता जल योजना में मुझे जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए मिली है। जहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या बड़ी मात्रा में है, वहीं हम सरफेस वाटर की एक बड़ी योजना बनाकर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे इस पूरे विधान सभा क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल मिले और इस पर हम काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो इन्हीं दो सालों में 132 किलोवाट का एक जी एस एस और 33 किलोवाट के 5 जी एस एस मुझे मिले हैं। इससे जो बिजली की समस्या मेरे क्षेत्र में लगातार बुरी स्थिति में थी, उसमें लगातार सुधार नजर आ रहा है।

इसके अतिरिक्त, युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए एक आई टी आई की घोषणा भी माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई है, जिसके लिए भी हमने भूमि का चयन किया है और बजट के बाद उसका भी काम चल जायेगा।

नहरी पानी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में लम्बे अंतराल से नहरी पानी को लेकर किसान बड़े चिंतित हुआ करते थे लेकिन पहली बार जिस व्यवस्था के तहत हमने दो-तीन सालों से पानी की व्यवस्था की है, उससे आज किसान किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आज किसान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं और उनको समुचित व्यवस्था से पानी मिल पा रहा है।

मैं यहां पर मेरे पक्ष और विपक्ष के साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथी लम्बे समय से इस सरकार की विफलताओं को गिनाने में अपना समय लगा रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं 31 मार्च, 2014 को जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है उसके कुछ अंश सुनाने के साथ ही अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे विपक्ष के साथी सरकार की विफलता पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं उनका केवल यहां महालेखाकार के 31 मार्च, 2014 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों, सार्वजनिक निगमों एवं सरकारी संस्थाओं, आदि में रुपये 4,764.67 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें से

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

केवल 4,103 करोड़ रुपये हानि उठा रही 5 विद्युत कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुए सभी 7 सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों में निवेश किये गये। यद्यपि गत वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा 15,588.37 करोड़ रुपये निवेश किये गये, तथापि सरकारी कम्पनियों एवं सार्वजनिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रति लाभ .01 से .04 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि दूसरी ओर सरकार द्वारा 2009 -10 से लेकर 2013-14 के दौरान अपनी उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाना पड़ा। इससे हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में सरकार द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाईं गईं, सरकार द्वारा जिस प्रकार की कार्य योजनाओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया गया, उसी का परिणाम रहा है कि सरकार की, लाभ अर्जित करने के बजाय, देनदारियां बढ़ती चली गईं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण, जिसमें 166 पाइंट हैं, उनसे असहमत होते हुए, मेरी बात रखना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से चर्चा चल रही है। कुछ लोग, सत्ता पक्ष के लोग कल से जो बात रख रहे हैं, उसमें अपने आपको राष्ट्र-भक्त साबित करने में लगे हुए हैं और जो सामने बैठे हैं उनको राष्ट्रद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत, पूरी दुनिया में विचारधारा, एक दक्षिण पंथ की और एक वाम पंथ की है। कुछ लोग दक्षिण पंथ की बढ़िया बातें, वाम पंथ की बढ़िया बातें लेकर बीच में चल रहे हैं। दक्षिण पंथ की पार्टी चाहे इंग्लैण्ड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, जब सत्ता से बाहर होती है तब दूसरी बात करती है, सत्ता में आने के बाद दूसरी बात करती है। जब सत्ता से दूर होती है, लोक-लुभावनी बातें करेगी, जनता की मनपसन्द बातें करेगी और जनता यह समझेगी कि इससे बड़ा रक्षक, इससे बड़ा दातार कोई आदमी हो ही नहीं सकता।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अपने आपको राष्ट्रभक्त साबित करने में लगे हुए हैं, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आजादी का आंदोलन चला, पहले 1857 में और उसके बाद में 1947 में आजादी मिली, इस दौरान जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो लोग जेल में गये, गोलियां खाईं, फांसी पर चढ़े और पूरा जीवन आजादी पर लगा दिया, और आजाद होने के बाद पार्टी सत्ता में आई। कुछ भी नहीं था हिन्दुस्तान में। सूई से लगाकर हवाई जहाज बनाये, बैलगाड़ी से लेकर मैट्रो तक पहुंचे। पहले डाक की व्यवस्था होती थी, उस डाक की जगह दूरसंचार की क्रांति लेकर आये। जिस परिवार के लोग प्रधान मंत्री के पद पर रहते हुए देश के लिए शहीद हो गये, उन्हें नकारा जा रहा है और जिस पार्टी का एक भी आदमी आजादी के आंदोलन में अपनी अंगुली तक नहीं कटा पाया और जो अंग्रेजों के पक्ष में पक्षद्रोही घोषित किये गये, वे लोग अपने आपको राष्ट्रभक्त बनने का नाटक कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि यह जो दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग हैं, इस मीठी बातों में आकर, सुराज संकल्प यात्रा जो चली और उस यात्रा के अन्दर लोगों को कहा गया कि हमें वोट दीजिए, हम सत्ता में आते ही आपको निहाल कर देंगे। लोगों ने यह महसूस किया कि जैसे ही हम वोट देंगे, हमें पालने में हिंडा देंगे। ऐसा महसूस करके 163 तक आपको पहुंचाया और वही पब्लिक, वही जनता...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह मतदाता कोई पालने में झूलता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? कोई बच्चों के वोट लगते नहीं हैं। बच्चों के वोट लगते नहीं हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके लिए कह रहा हूं मैं। हां, आप नीचे बैठो। देखो, आपको मोदी का फायदा मिल गया। (व्यवधान) आपको मोदी का फायदा मिल गया, आप बिराजो आप। मेरा आप लोगों से निवेदन है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको किसका मिला फायदा? आपको किसका फायदा मिला?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक तरफ आपकी पार्टी के अन्दर स्वतंत्रता नहीं है और हमारी पार्टी में स्वतंत्रता है। हमारी पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता है, बी जे पी में केवल मात्र एक-दो व्यक्ति बोलते हैं। माननीय

(श्री सुखराम विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठतम सदस्य हैं भाजपा के अन्दर, क्या स्थिति हुई थी, जब मीटिंग में गये थे? क्या वहां पर बोलने की आजादी है आपको? है पार्टी के अन्दर? क्या स्थिति हुई, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनके साथ? वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, फिर भी उन्हें जो पद मिलना चाहिए था, उन्हें पद नहीं मिला। संसदीय सचिव का, व्हिप का पद मिल गया, कालू लालजी गुर्जर को मिल गया क्योंकि मजबूत आदमी हैं। नहीं मिल सकता। यही स्थिति हमारे नरपत सिंहजी के साथ हुई है। बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं। बोलने की आजादी की बात करते हैं, कहां पार्टी में बोलने की आजादी है? हमारे...

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): आप अपना पहले मुख्य मंत्री तो तय कर लो, कौन होगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): संसदीय सचिव कहते हैं...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं इतने सद्भाव के लिए धन्यवाद दे दूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): संसदीय सचिव, दो दिन से मैं देख रहा हूं, हमारे शिक्षा मंत्रीजी थोड़े उदास नजर आ रहे हैं। पहले जितने भी सत्र चले थे, बिलकुल हंसमुख थे। क्या पता, अन्दर की क्या राजनीति है। मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने फेस-रीडिंग करने में किताबें पढ़ रखी हैं। मैंने इनकी फेस-रीडिंग की है, बड़े उदास नजर आ रहे हैं। क्या पता आपके अन्दर...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह इतना ही भाषण है ना? और तो कुछ नहीं है? यह इतना ही भाषण है? यह अभिभाषण पर इतनी ही बहस है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, आपकी भी बता दूंगा मैं। आपकी भी बता दूंगा। (व्यवधान) जोगारामजी, मैं आपकी भी बता दूंगा। आपकी बता दूंगा। (व्यवधान) आपकी बता दूंगा। जब तक पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य सत्ता में हैं...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सुखरामजी, मैं तो आज भी हंसमुख हूं। आप चिंता मत करो। आज भी मेरे चेहरे पर हंसी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा में जो नारे दिये गये थे, सत्ता

(श्री सुखराम विश्नोई)

पक्ष के लोगों से, हमारे मंत्रीगण बिराज रहे हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि जो घोषणाएं की गई थीं, अभी पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, गाय की बात कर रहे थे, बाकायदा नौ पाइंट्स लिखे हुए थे कि हम आने के बाद यह करेंगे, परन्तु जो सुराज संकल्प यात्रा में नौ पाइंट की गायों के ऊपर घोषणा की गई थी, केवल मात्र मंत्रालय बनाकर छोड़ दिया। वह पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाया था। एक भी पैसा उस मंत्रालय में डाला नहीं गया। पिछली कांग्रेस सरकार में नौ महीने अकाल के अन्दर, चाहे अकाल हो, चाहे अकाल नहीं हो, गौशालाओं को अनुदान देने की घोषणा की गई थी और जिस गाय को लेकर सत्ता में आये, जिस गाय की हम बात कर रहे थे, आज दिन तक अकाल घोषित होने के बाद भी जनवरी के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर...

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आप अकाल का ही इंतजार करते रहते हो सारा दिन।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...बहुत सारे जिले अकालग्रस्त घोषित हैं परन्तु जनवरी में अकालग्रस्त घोषित होने के बाद भी गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर के अन्दर एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है, यहां सत्ता पक्ष के विधायकगण बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, अभी कम्यूनिटीवाइज सम्मेलन हो रहा है, सभी नेता लोग वहां पधारे हैं और वहां आकर बढ़-चढ़कर घोषणा की कि हम जाकर गाय के लिए अनुदान की घोषणा करेंगे, परन्तु, माननीय उपाध्यक्षजी, एक भी पैसा आज तक नहीं दिया जा रहा है। आप खुद जाकर वहां की व्यवस्था देखो, कितनी बढ़िया व्यवस्था दानदाताओं के आधार पर चलती है। सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो गायें अपने ऊपर आश्रित नहीं हैं, वे मूक हैं, बधिर हैं, बोल नहीं सकती हैं; हमारी हिन्दुओं की संस्कृति है कि जो बछड़ा होता है, बैल होता है, उस बैल को हम कटने के लिए नहीं भेज सकते हैं। हमारे सांचौर के अन्दर गोलासर के अन्दर 25,000 नंदी गायों की गौशाला है, 25,000 बैल हैं। आप कल्पना कीजिए, 25,000 बैलों को रखना कितना तकलीफदेह मामला है। चारे के साथ-साथ उनको एक बाड़े में रखना बड़ा कठोर काम है। फिर भी अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, न्याय-आपके-द्वार, सरकार-आपके-द्वार, आपका-जिला-आपकी-सरकार, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि लोक अदालतें पहले भी लगती थीं, कोई नया काम आप लोगों ने नहीं किया।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सरकार-आपके-द्वार, इसमें हकीकत यह है कि सरकार-आपके-द्वार, सरकार सभी सम्भागों में गई नहीं। जोधपुर में क्यों नहीं गई? अब वह कार्यक्रम क्यों बंद हो गया? अब हमारी माननीया सदन की नेता हैं, ये कह रही हैं कि हम जिले में जायेंगे। सम्भाग बंद कर दिया, जिलों में जाना बंद कर दिया मैं पूछना चाहूंगा आपके मार्फत, भरतपुर सम्भाग के अन्दर, उदयपुर सम्भाग में जो शिकायतें आई थीं, जो रिपोट्र्स लोगों ने दी थी, उन रिपोर्टों का क्या निस्तारण हुआ? उन पर क्या कार्रवाई हुई? आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग नाराज हैं। इसलिए जान-बूझकर सरकार-आपके-द्वार स्कीम को बंद किया गया। फिर जिले पर रखी, जिले में तीन दिन रहेंगे, चार दिन सरकार रहेगी परन्तु जिले पर भी जो शिकायतें आईं, उन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ।

उसके बाद के अन्दर आपका-जिला-आपकी-सरकार, अभी दो महीने पहले कलेक्टर्स का सर्वे हुआ था, कितने कलेक्टर्स हैं जो रात्रि विश्राम गांवों में करते हैं। सरकार ने आदेश दे रखा है कि कलेक्टर्स, वहां का एस डी एम, पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर रात्रि विश्राम करेगा। जो रिपोर्टस सरकार के पास आई हैं, कम से कम 15-20 कलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने गांव में रात्रि विश्राम नहीं किया। केवल मात्र फोर्मेलिटी करके वापस आ गये। उन कलेक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उलटा उन कलेक्टर्स को सम्मानित किया गया, बढ़िया जिले दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, उसके बाद में जल स्वावलम्बन योजना लागू की गई। इस योजना के तहत, मेरे विधायक साथी हैं, झोली लेकर भीख मांगने लगे, सरकार के पास पैसे नहीं हैं, पैसे दिये जाये। तब तक मंत्रिमण्डल बना नहीं था, विस्तार हुआ नहीं था। बहुत बढ़-चढ़कर बातें की गईं, परन्तु जब मंत्रिमण्डल बन गया, पूरा विस्तार हो गया, उन्होंने झोली बंद कर दी; एक पैसा भी लोगों को नहीं मिला। एक तरफ तो जल स्वावलम्बन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ झोली फैलाकर भामाशाह को तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ 30 परसेंट जो योजनाओं में पैसे दिये गये थे उसमें कटौती करने की बात की जा रही है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि जो जल स्वावलंबन योजना है...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, ये माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं और..

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं तो पहली बार जीतकर आया हूं, आप सीनियर हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): एज में तो सीनियर हैं। मैं यह कह रही हूं कि आप कम से कम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, इस योजना को पहले पूरा पढ़ लें। केवल एक ही गीत मत गाते रहें कि इसके लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं। यह योजना क्या है, इसको समझ लें पहले। आप एक ही लाइन को रटे मत जाइए। जो आप कह रहे हैं, वह हंड्रेड परसेंट गलत कह रहे हों। आप यहां पर सदन में कोई भी गलत बात कह कर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। इसीलिए मैं खड़ी हुई हूं, और आप गलत बात मत बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, आपकी जल स्वावलंबन योजना को देखिए, मैं कह रहा हूं, केवल कागजों में और एन जी ओज के घर बनाने वाली बात है, और कुछ भी नहीं कर सकते। आपको यही मालूम नहीं है कि जल स्वावलम्बन का अर्थ क्या है। आपने कह दिया, मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमें तो नहीं मालूम है, आपको मालूम है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए सदन में कि जल स्वाववलम्बन क्या है।

आपको केवल इस बात का होना चाहिए, यह इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा, इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने साठ साल तक जो राज किया ना, उसी का नतीजा है कि आज पानी के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। आज बूंद-बूंद सुविधा है। पानी के लिए कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि पानी को भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है। आपकी सरकारें रहीं लेकिन आपने कभी पानी को प्राथमिकता नहीं दी। यह केवल वसुंधराजी की सरकार है, मुख्य मंत्री वे हैं और उन्होंने इतना बड़ा अभियान यहां पर शुरू किया है। राजस्थान पानी के संकट से जूझ रहा है और आप लोग यहां पर बैठकर के ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि वहां यह हो रहा है! हमारे यहां पर तो पुण्य का काम अगर कोई आदमी अपने गांव में करता है तो वह सबसे पहले एक प्याऊ खुलवाता है और उस प्याऊ के ऊपर एक डोकरी मां को बिठाता है कि आते जाते राहगीरों को पानी पिलाना है। आप लोग तो वह भी नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने भी पन्द्रह साल राज किया है। आप पहली बार ही आये हो क्या? ...(व्यवधान) आप 1977 में आये थे, 1990 में आये थे ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैडम, बाद में बोल लेना, आपको समय बहुत मिलेगा। ...(व्यवधान) पूरा ठेका आपने ले रखा है क्या? ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप कौनसी योजना की बात करो, आप लोगों ने आज तक क्या योजना चलाई? केवल बातें कर रहे हो! यह जो योजना है यह आज के लिए नहीं है। हम सोचें कि आज के आज परिणाम आयें, आज की आज नहीं आएगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने 1977 में राज किया, आपने 1990 में राज किया और 2003 में राज किया। पन्द्रह साल राज कर लिया आपने और आज बैठे हो राज में, और क्या बात कर रहे हो आप? 1977 में आपका राज आया, 1990 में आपका राज आया, 1993 में आपका राज आया और 2003 में आपका राज आया और 2013 में आपका राज आया; पांच बार तो आपने राज कर लिया और क्या कर लिया आपने? ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): राजस्थान में यह योजना इतनी सार्थक होगी, यह मील का पत्थर साबित होगी। आप इस योजना को जानते नहीं कि यह योजना क्या है। इस योजना को जानो। इस योजना से राजस्थान का उत्थान होगा आने वाले समय में। राजस्थान में पानी की योजना ...(व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): +++ राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने कितना अच्छा काम किया है। +++ ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): पानी के लिए कोई योजना बनाई है आप लोगों ने? सिर्फ घोटालों की योजना बनाई थी। उसके अलावा और कुछ नहीं किया आपने। ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): इसके अलावा और कुछ नहीं जानते आप लोग ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप लोगों ने कभी राजस्थान के बारे में कभी नहीं सोचा, खुद के बारे में ही सोचा है। आपने कोई ऐसी स्कीमें नहीं दीं जिससे राजस्थान की आम जनता को फायदा हो। आपने राजस्थान के लोगों के हितों के बारे में कभी नहीं सोचा। इस योजना को गुमराह मत करो। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आप लोगों ने केवल घोटाले ही घोटाले किये हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): पहले योजना क्या है, यह तो पता कर लो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान की जनता को सब मालूम है। केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। आप केवल बातें कर रहे हों, जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। केवल आप ढाई साल में जल स्वावलम्बन योजना का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हों। ढाई साल में राजस्थान में कुछ भी नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): अरे, श्रवणजी, पहले योजना का तो पता कर लो कि यह योजना क्या है। (व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): +++ योजना को समझते नहीं हों और खाली विरोध करना है, इसलिए विरोध करते हों। (व्यवधान) +++ राजस्थान की जनता के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है +++ (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): यह जन सहभागिता योजना है ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डाक्टर साहब, मंत्रिमण्डल नहीं बढ़ेगा, आप बैठ जाओ। बढ़ गया है, जितना बढ़ना था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप एक बात बता दो, योजना और अभियान में फर्क क्या है? योजना किसको कहते हैं और अभियान किसको कहते हैं? यह जन अभियान है, यह जन क्रांति है। किसी चीज का मालूम ही नहीं है और खड़े होकर बोलना चालू कर देते हों। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जन क्रांति देखी हुई है आपकी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): योजनाएं सरकार लाती है और अभियान, जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको निपटाने का बना रखा है, वह अभियान होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में केवल मात्र इस समय जो हो रहा है, यह केवल राजस्थान का दुर्भाग्य है कि कुछ भी नहीं कर रहे आप और जमीन पर रो रहे हैं और अन्दरखाने खा रहे हों। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग यहां पर चुनकर आये हैं, जिसे पता नहीं कि पानी की कीमत क्या होती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ लोग इस अभियान के बारे में ऐसे विचार रखते हैं। (व्यवधान)

श्री शैतानसिंह (पोकरण): आप लोगों को घोटाले के अलावा कोई बात समझ नहीं आती। योजना क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। देश को लूटा है पचास साल तक आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कटारियाजी, बातें करते थे ...(व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): घोटालों की जननी है कांग्रेस सरकार। राजस्थान को खा गये, जमीन को खा गये, अब जल को तो छोड़ो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम मानते हैं, ये अभियान है, लेकिन जैसे कई बड़े-बड़े नेताओं को निपटाने का बी जे पी में अभियान चला है ना, बस वही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): केवल मात्र बातें कहने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा। केवल बातें कर रहे हों और काम कुछ भी नहीं कर रहे हों और मैं यह आज दावे के साथ कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 3,529 गांवों में चालू हो गई है और 1 लाख 10 हजार ...(व्यवधान) 36 हजार काम आज की तारीख में चालू हैं और 5,500 काम खतम हो गये हैं, चलाकर के।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गोयल साहब, आपका डिपार्टमेंट तो फेल हो गया है। आपने कानून बनाया था, शिक्षित को, हम पढ़े-लिखे लोगों को सरपंच बनाएंगे और आज अनपढ़ लोग सरपंच बन गये। (व्यवधान)

श्री शैतानसिंह (पोकरण): श्रवणजी, आपको जोगा बनना है या नाजोगा? यही है जल स्वावलम्बन अभियान, जोगा और नाजोगा। यदि जोगा बनाना है तो यह अभियान चलाओ और नाजोगा बनना है तो आप विरोध करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 599 केस हैं....

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें धन्यवाद दिया है कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। (व्यवधान) आपके कानून में लेकुना है। आपके कानून में ही लेकुना है। अनपढ़ आदमी सरपंच बन गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर कानून में लेकुना होता तो सुप्रीम कोर्ट थोड़े ही कहता। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राजस्थान को धन्यवाद दिया कि इन्होंने पहल की है और शिक्षा की अनिवार्यता को लागू किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के अन्दर 65 प्रतिशत युवा जीतकर आये हैं और नये लड़के जीतकर के आये हैं, जो राजस्थान की 9,800 पंचायतों में अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 599 केस अनपढ़ लोगों के हैं। आपने क्या कानून बनाया है? आपने जैसे प्लास्टिक का कानून बनाया था, वह कानून बनाया है। क्या कानून है आपका? इसके कारण पंचायती राज का भट्ठा बैठ गया है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बात को दर्शाता है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब बिराज जाएं आप।

मुझे नहीं लगता कि आप अभिभाषण पर बहस भी करना चाहते हैं, और आसन आपके वक्तव्य से मजबूर भी नहीं है। पन्द्रह मिनट आप लोगों ने ऐसे बहस में लगाये हैं। जिस विषय पर आप संवैधानिक तरीके से और मर्यादित तरीके से, आचरण से, जवाब दे भी सकते थे और अपनी बात को अभिव्यक्त भी कर सकते थे। सदस्य महोदय, अगर आपकी बात पर मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके सदस्यों को कम से कम वह बात सुन लेनी चाहिए। आपके मन की अगर कोई शंका है, जिसका तत्परता से वापस समाधान हो रहा है, तो सुननी चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि इसी प्रकार हमको यह सदन चलाना है तो आसन आपके इस प्रकार के रवैये से बाध्य नहीं है।

छह बजे का समय था, मैं, उप सचेतक महोदय और संसदीय कार्य मंत्री महोदय, this is a warning to the entire House, मैं एक वॉर्निंग के साथ अब यह निवेदन कर रहा हूं कि सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 3 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.48 बजे गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मारवाड़ जंक्शन में नवीन महाविद्यालय की स्थापना

28. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में 75 पंचायत हैडक्वाटर हैं जहां पर लगभग 125 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त स्कूलों के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा तक ड्राप आउट कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ड्राप आउट के मद्देनजर उपखण्ड रानी में महाविद्यालय तथा मारवाड जंक्शन में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिक्षा सत्र 2014-15 के अनुसार मारवाड जंक्शन में राउमावि 56 रामावि 38 एवं गैर सरकारी उमावि 13 व 11 मावि संचालित है, मारवाड विधान सभा क्षेत्र में 1984 छात्र उत्तीर्ण हुए। मारवाड विधान सभा क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में 2015-16 में 566 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

12वीं पास छात्र विधान सभा क्षेत्र के बाहर के महाविद्यालयों में भी प्रवेश लेते है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में उपखण्ड रानी में महाविद्यालय तथा मारवाड जंक्शन में महिला महाविद्यालय खोलने पर वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जावेगा।

भीनमाल (जालोर) में नाले निर्माण में अनियमितता

29. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल में गन्दे पानी की निकासी हेतु नगरपालिका द्वारा नालों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उस पर कितना व्यय किस योजना के तहत किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से अधिशासी अभियंता कार्यालय तक गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब एवं इस नाले के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) क्या उक्त नाले की निकासी के लेवल निर्माण में अनियमितता बरती गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्माण में अनियमितता के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका भीनमाल द्वारा निर्माण कराये गये नालों का स्थानवार, योजनावार एवं व्यय राशि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से अधिशासी अभियन्ता कार्यालय तक वर्ष 1993-94 में नाला निर्माण का कार्य करवाया गया था। उक्त नाला निर्माण पर कुल राशि रुपये 8,60,641.25 व्यय किये गये थे।

(3) जी नहीं। उक्त नाले का निर्माण लगभग 22 वर्ष पूर्व तत्समय शहर की बसावट एवं पानी के बहाव की क्षमता के अनुरूप लेवल लिया जाकर बनाया गया था।

परिशिष्ट 'अ'

नगर पालिका भीनमाल में वर्ष 1992-93 के पश्चात् कुल 17 नालों का निर्माण करवाया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	मद
1.	बशीर खां पुत्र इब्राहिम खां के मकान से खजूरिया नाले तक नाला निर्माण कार्य।	3,81,237/-	निर्बन्ध राशि योजना
2.	ओढो की गली में नाला निर्माण कार्य।	3,62,869/-	सामान्य
3.	मोहब्बतसिंह केशरसिंह के मकान से खजूरिया नाला तक निर्माण कार्य।	6,08,074/-	सामान्य
4.	मोहन माली के प्लोट से भंवरसिंह राव के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	4,76,512/-	सामान्य
5.	मार्केटिंग सोसायटी से राजस्थान एम्प्लीफायर तक नाला निर्माण कार्य।	56,742/-	सामान्य
6.	भूरजी माली के प्लोट से बस स्टैण्ड के पीछे तक नाला निर्माण कार्य।	98,940/-	सामान्य
7.	सुनारों के नोहरे से बस स्टैण्ड तक नाला निर्माण कार्य।	1,04,812/-	सामान्य
8.	पुलिस चौकी से पुलिया तक छोटा नाला निर्माण कार्य।	3,26,820/-	सामान्य
9.	मुरारदान बाहरठ की गली में नाला निर्माण कार्य।	7,03,102/-	सामान्य
10.	जटियों के बाडे से खजुरिया नाले तक नाले का निर्माण कार्य।	1,88,962/-	सामान्य
11.	श्रीमाल नगर कालोनी से लेदरमेर रोड तक नाला निर्माण कार्य।	3,53,553/-	सामान्य
12.	जूंजाणी रोड से लूरा वाला बेरा तक नाला निर्माण कार्य।	1,48,533/-	सामान्य
13.	दासपां रोड से खजूरिया नाले तक नाला निर्माण कार्य।	1,52,879/-	सामान्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	मद
14.	राजस्थान एम्पलीफायर से सरजू बेरी, बोहरा पैट्रोल पम्प से जे.जे. स्टोर तक नाला निर्माण एवं राईजिंग कार्य।	8,60,642/-	सामान्य
15.	मदन मोहन मालवीय नगर फैस प्रथम में नाला निर्माण कार्य।	1,96,332.23/-	आईडीएस एमटी
16.	नवीन बस स्टैण्ड के पास नाला निर्माण कार्य।	1,73,576/-	सामान्य
17.	हाईस्कल के पास में नाला निर्माण कार्य।	45,0,28/-	सामान्य
	कुल व्यय राशि	52,38,343.23/-	

बिलासी (बारां) सिंचाई परियोजना की नहरों का जीर्णोद्धार

30. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र की बिलासी सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार व नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बारां जिले के शाहबाद तहसील के बगदेह तालाब की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार व नहरों की मरम्मत हेतु डी पी आर तैयार कर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) के अन्तर्गत प्रस्तावित की है। कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है।

शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण की कार्ययोजना

31. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी गई है? यदि हां, तो क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शेखावाटी क्षेत्र हेतु सीकर, चूरू एवं झुन्झुनू जिलों के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैरिटेज महत्व के भवनों, हवेलियों, आदि के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत शेखावाटी रीजन (हेरिटेज डवलपमेंट काउंसिल) नियम, 2015 का प्रारूप स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त नियम पर्यटन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं? यदि हां, तो कब? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन हवेलियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शेखावाटी क्षेत्र के रामगढ़ हेरिटेज क्लस्टर में आधारभूत विकास कार्यों हेतु आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.07.2015 को विभाग को प्राप्त हो चुकी है।

(2) जी हां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत शेखावटी रीजन (हेरिटेज डवलपमेंट काउंसिल) नियम, 2015 का प्रारूप स्वायत्त शासन विभाग में विधिक परीक्षण हेतु विचाराधीन है। उक्त नियम विभाग को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय राशि

32. **डा. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री राज्य यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के लिए अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2016 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार व मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने जिलों में कितने-कितने आवासीय व गैर-आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर कितने बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? वर्षवार व मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मदवार राशि उपलब्ध नहीं कराई जाकर एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2016 तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई हैं :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वितीय वर्ष	प्राप्त राशि	
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
1	2011-12	148580.86	133966.00
2	2012-13	153520.11	145523.95
3	2013-14	242486.70	112899.97
4	2014-15	248041.55	123023.59
5	2015-16	178167.68	191832.98

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि से एकमुश्त व्यय किया जाता है। विगत वर्षों में मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) उक्त अवधि में (अप्रैल, 2011 से 31 जनवरी, 2016 तक)

(शिक्षा राज्य मंत्री)

निम्नानुसार जिलों में चलाये गये आवासीय एवं गैर-आवासीय ब्रिज कोर्स शिविर तथा उनमें लाभान्वित बालक-बालिकाओं की संख्या वर्षवार व मदवार व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की योजना

33. **श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगी, साथिन तथा सहायिका को कितना-कितना मानदेय दिया जाता है? उक्त से क्या-क्या सेवाएं ली जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन व सहयोगी द्वारा महिलाओं एवं बालकों के विकास के लिए बेसिक सेवाएं देने के उपरान्त भी इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया तथा मानदेय में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है?

(3) क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने व राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) प्रदेश में विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन को दिया जाने वाला मानदेय परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है तथा उक्त द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिन महिलाओं एवं बालकों के विकास के लिए विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक सेवाएं देती है, जो पूर्णत: अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं। इसलिए इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है तथा इनके मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

है। वर्तमान में दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट 'अ' में ही समाहित है।

(3) जी नहीं। उक्त महिलाएं मानदेयकर्मी हैं, इसलिए इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है तथा वर्तमान में मानदेय बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना में नवीन जी.एस.एस. की स्थापना

34. **श्री बच्चू सिंह** (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में केवल दो ही 132 केवी जी.एस.एस. होने के कारण क्षेत्र की बिजली अधिकतर बाधित रहती है?

(2) क्या सरकार रूदावल में 132 केवी जी.एस.एस. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्तमान में दो 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बयाना एवं रूपवास में चालू हैं। सामान्यतया: विधान सभा क्षेत्र बयाना में विद्युत आपूर्ति अन्य भागों की भांति सही हो रही है। यदा-कदा प्राकृतिक आपदाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि इत्यादि, के कारण विद्युत प्रवाह में व्यवधान आ जाता है जिसे शीघ्रातीशीघ्र व्यवधान दूर कर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में रूदावल में नया 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जाना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को मुआवजा

35. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नवम्बर, 2014 से सितम्बर, 2015 की अवधि में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं अकाल से कितनी-कितनी फसलें नष्ट हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(2) क्या सभी किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा वितरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मुआवजे में राज्य और केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी-कितनी थी? क्या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता पूरी प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो कितनी शेष है व क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में प्रदेश में 60 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने मृतक किसानों के आश्रितों को कितना-कितना मुआवजा एवं अन्य सहायता प्रदान की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रबी फसल 2014-15 व खरीफ फसल 2015 में हुए फसल खराबे का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रबी फसल 2014-15 में हुए खराबे पर प्रभावित पात्र कृषकों को भुगतान किये गये कृषि आदान-अनुदान की राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है। खरीफ फसल 2015 में हुए खराबे पर प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र से प्राप्त आर्थिक सहायता तथा केन्द्र व राज्य के अंशदान की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जिला कोटा की तहसील कनवास में माह मार्च, 2015 में 1 महिला कृषक मंजूबाई द्वारा आत्महत्या की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। रिपोर्ट मर्ग संख्या 03/15 धारा 174 जा. फो. के सम्बन्ध में प्रकरण एस डी एम न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक के पति श्री सुरेश कुमार को रबी सम्वत् 2071 में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 26,460/- रुपये कृषि आदान अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिले का नाम	फसल खराबा (रबी) (हेक्ट.) में)	भुगतान की गई राशि (लाखों में)	फसल खराबा (खरीफ) (लाख हेक्ट.) में
1	2	3	4	5
1	अजमेर	117268	14983.90	1.36
2	अलवर	36320	4557.62	-
3	बांसवाड़ा	-	-	2.15
4	बारां	78539	8726.92	3.04
5	बाड़मेर	55055	215.67	8.73
6	भरतपुर	44511.08	5102.02	-
7	भीलवाड़ा	199376	21090.00	2.31
8	बीकानेर	191681	11562.89	-
9	बून्दी	245068.91	27654.50	-
10	चित्तौड़गढ़	217059.13	24912.55	0.27
11	चूरू	34482	3636.73	2.02
12	डूंगरपुर	-	-	1.16
13	दौसा	5961	633.75	-
14	धौलपुर	4884.37	620.28	-
15	गंगानगर	25436.82	430.29	-
16	हनुमानगढ़	1611.84	172.83	1.82
17	जयपुर	18428.79	2135.64	0.88
18	जैसलमेर	98974.19	9226.75	0.61
19	जालौर	51753	126.79	2.68
20	झालावाड़	46692.54	5786.21	-
21	झुंझुनूं	19584.48	804.65	0.56
22	जोधपुर	159273	24736.00	4.73
23	करौली	8013.21	1074.04	0.07
24	कोटा	166596	23741.47	-
25	नागौर	161588.48	6529.80	1.95
26	पाली	39682	5605.89	0.99
27	प्रतापगढ़	6539.56	657.31	1.36

1	2	3	4	5
28	राजसमन्द	11774	1536.45	0.91
29	सवाई माधोपुर	18816	2100.00	-
30	सीकर	12	1.61	-
31	सिरोही	3492	346.51	-
32	टोंक	428762	27863.90	-
33	उदयपुर	14209	1702.58	2.18

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ों में)	राज्य का अंश	केन्द्र का अंश
1	ओलावृष्टि ज्ञापन रबी संवत 2071 के सम्बन्ध में एनडीआरएफ से स्वीकृत			
	(अ) 2015-16	1378.13	-	100%
	(ब) गत वर्ष का उपलब्ध शेष	69.60	-	100%
2	एसडीआरएफ का सामान्य वार्षिक आबंटन-वित्तीय वर्ष 2015-16	1103.00	25%	75%

नोट :-

1. उपर्युक्त राशि पूर्णतया प्राप्त हो गई है।
2. खरीब संवत 2072 के सम्बन्ध में प्रेषित ज्ञापन सहायता राशि की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के विचारधीन है।

भामाशाह स्वास्थ्य योजना में चयनित निजी अस्पताल

36. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य योजनान्तर्गत प्रदेश के कुछ निजी अस्पतालों का चयन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से अस्पतालों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ निजी अस्पतालों ने इस योजना में सहयोग नहीं किया? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल ने व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत दिनांक 25.2.2016 तक 358 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर उन्हें उक्त योजना से जोड़ा गया है, जिनके नामों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त 41 अस्पताल उक्त योजना से सम्बन्ध होने की प्रक्रिया में है, जिनके नामों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां, कुछ निजी अस्पतालों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सहयोग नहीं किया। उन अस्पतालों के नाम की सूची तथा वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

उक्त अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-'द' पर संलग्न हैं।

(सूचियां, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर राजकीय महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना

37. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में आगामी सत्र से पी.जी. पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन संकाय एवं विषयों में व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान एवं भूगोल विषय में पी.जी. पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में वर्तमान में जो लिपिकीय एवं मंत्रालयिक कार्मिक पदस्थापित हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र भेज दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में लिपिकीय एवं मंत्रालयिक कार्मिकों की कमी को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में आगामी सत्र से पी.जी. कक्षाएं प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में विज्ञान एवं भूगोल विषय में पी.जी. कक्षाएं प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा, जोधपुर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कालेज शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की बाध्ता को ध्यान में रखते हुए 1 लिपिक ग्रेड-प्रथम को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर की गई है।

कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पदों को डी.पी.सी. होने के समय भरा जा सकेगा।

प्रदेश में सीवर लाइन की सुविधा से वंचित शहर

38. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई शहरों में सीवर लाइन की सुविधा है? यदि हां, तो कौन-कौन से शहरों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के कई शहरों में सीवरेज लाइन नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौन से शहरों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के सीवर लाइन से वंचित शहरों में योजना बनाकर सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीवर लाइन सुविधायुक्त 47 शहरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान मे सीवरेज लाइन से वंचित 141 शहरों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी, हां। नगरीय निकाय क्षेत्रों मे अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, आर यू आई डी पी फेज-तृतीय के तहत सीवरेज लाइन डलवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिद्मुख सिंचाई परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी लेने की योजना

39. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संजीव कुमार)

(1) सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से राज्य को कितना क्यूसेक्स पानी दिया जाना निर्धारित है और वर्तमान में एक बार के रेग्यूलेशन में कितना-कितना क्यूसेक्स पानी दिया जा रहा है? क्या यह सही है कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में वर्तमान में निर्धारित पानी नहीं मिल पा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के पानी की मांग को देखते हुए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से राज्य को औसतन 644 क्यूसेक्स (0.47 एम.ए.एफ.) पानी दिया जाना निर्धारित है। वर्तमान में एक बार के रेग्यूलेशन में औसतन 411 क्यूसेक्स (0.30 एम.ए.एफ.) पानी दिया जा रहा है, जो कि निर्धारित पानी के अनुसार नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का पूरा पानी हरियाणा से लेने हेतु प्रयासरत है।

नीलकण्ठ महादेव (ब्यावर) को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

40. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि ब्यावर के पास स्थित नीलकण्ठ महादेव क्षेत्र का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में ब्यावर तथा अन्य शहरों से लोग दर्शनार्थ आते हैं?

(2) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ब्यावर के पास स्थित नीलकण्ठ महादेव क्षेत्र का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है।

(2) पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित

(पर्यटन राज्य मंत्री)

करने का प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थल स्वत: पर्यटन स्थल बन जाता है।

अलवर जिले के विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय विद्यालय

41. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं?

(2) अलवर जिले के किन-किन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं? ब्लाकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के कितने एवं कौन-कौन से विद्यालयों में शौचालय एवं मूत्रालय उपलब्ध नहीं हैं? जिलेवार शौचालय-रहित विद्यालयों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) प्रदेश के कितने एवं कौन-कौन से विद्यालयों में पेयजल हेतु व्यवस्था नहीं है? जिलेवार विद्यालयों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डाईस 2015 के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकांश राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रदेश के अधिकांश माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं।

(2) अलवर जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं हैं उनकी ब्लॉकवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) राज्य में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अन्तर्गत 15 अगस्त, 2015 तक समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय/मूत्रालय सुविधा उपलब्ध करवा दी गई हैं। अत: शौचालय रहित विद्यालयों की संख्या शून्य हैं।

(4) डाईस 2015 के अनुसार राज्य के स्वयं के भवनों में संचालित 1,268 राजकीय प्राथमिक, 603 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं है, जिनकी जिलेवार विद्यालयों की संख्या सूची परिशिष्ट

(शिक्षा राज्य मंत्री)

"ख" पर संलग्न हैं एवं 671 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जिलेवार विद्यालयों की संख्या की सूची परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है। परन्तु उक्त विद्यालयों में अस्थायी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जालौर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

42. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों संचालित किये जा रहे हैं? प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से कितने-कितने बालकों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो पोषाहार में वर्तमान में क्या-क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के अन्तर्गत 348 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 23 शहरी क्षेत्र में तथा शेष 325 ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार लाभान्वित बच्चों एवं महिलाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम हेतु समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभान्वितों को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

क्र. सं.	लाभान्वितों की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स
2	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स
3	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	नाश्ता, गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/मीठा दलिया)
4	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार (खिचडी/मीठा दलिया)
5	गर्भवती/धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं	155 ग्राम बेबीमिक्स

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालेसर (जोधपुर) में उपकोष कार्यालय की स्थापना

43. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बालेसर, जिला जोधपुर में तहसील, उपखण्ड अधिकारी, पंचायत समिति, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि के कार्यालय स्थित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न विभागों के कार्यालय होने के पश्चात् भी बालेसर में अब तक सब-ट्रैजरी आफिस नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बालेसर में सब-ट्रैजरी कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील मुख्यालयों पर नवीन उपकोषागार कार्यालय, कोषागार नियम, 2012 के नियम 67 में प्रावधित नियमों के अन्तर्गत खोला जाता है

(वित्त मंत्री)

(प्रति संलग्न)। बालेसर में उपकोष कार्यालय खोलने के प्रस्ताव निदेशालय, कोष एवं लेखा से प्राप्त हो गये हैं। उपकोष खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) बालेसर में उपकोष कार्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परबतसर पुलिस थाने में हिरासत में मृत्यु की जांच

44. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के बोरावड़ लक्की हत्याकांड में पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री से एक युवक की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना परबतसर द्वारा डायरिया (दस्त) बताकर युवक को अजमेर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया तथा उसके परिजन को सूचना नहीं दी? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले के बोरावड़ लक्की हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में थाना मकराना पर दर्ज हत्या का प्रकरण संख्या 353/15 में पुछताछ हेतु विकेश गौड़ को थाने पर लाया गया था जिसकी पुलिस अभिरक्षा में तबियत बिगड़ने पर सर्वप्रथम सी.एच.सी. नावा तत्पश्चात सी.एच.सी. परबतसर व तत्पश्चात् जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर भर्ती कराया गया। विकेश गौड़ मृत्यु के सम्बन्ध में मर्ग संख्या 36/15 धारा 176 जा. फौ. पुलिस थाना सदर कोतवाली अजमेर में पंजीबद्ध की गई, जिसकी न्यायिक जांच सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अजमेर नगर (पूर्व) अजमेर द्वारा की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में विकेश के भाई श्री अंकलेश गौड़ द्वारा लिखित रिपोर्ट थाना मकराना पर पेश करने पर पृथक से मु.न. 373/15 धारा 302 आई पी सी में दर्ज किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी आई डी (सीबी) रेंज सैल जयपुर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में जांच/अनुसंधान की

(गृह मंत्री)

अंतिम निष्कर्ष/रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि डायरिया (दस्त) बताकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया एवं उसके परिजन को सूचना नहीं दी। मु.न. 353/15 धारा 458 323 302 307 आई.पी.सी. पुलिस थाना मकराना में विकेश को पूछताछ हेतु पुलिस द्वारा बुलवाया गया था। इस दौरान विकेश की पुलिस अभिरक्षा में तबियत खराब होने पर सी.एच.सी. नावां एवं सी.एच.सी. परबतसर दिखाया गया। तत्पश्चात् इलाज हेतु जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर भर्ती करवाया। उक्त सम्बन्ध में सूचना विकेश के भाई अंकलेश व मामा आदेश उर्फ उमाशंकर को दी गई, जो दौराने इलाज परबतसर से ही विकेश उर्फ विक्की के साथ थे।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आर्थोपेडिक इम्प्लांट्स रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजना

45. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों/जिला चिकित्सालयों में आर्थोपेडिक सर्जन एवं जनरल सर्जन द्वारा आपरेशन के दौरान मरीजों से इम्प्लांट्स निश्चित दुकानों से खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है, जिसे मरीज द्वारा महंगे दामों में खरीदकर अपना इलाज करवाना पड़ता है?

(2) क्या सरकार रियायती दर पर अस्पताल परिसर में उपभोक्ता दुकान या आर.एम.आर.एस. के माध्यम से इम्प्लांट्स क्रय कर चिकित्सालय परिसर में ही मरीजों को रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) वर्तमान में आवश्यकतानुसार मेडिकल कालेज सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों में बी पी एल मरीजों एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चयनित मरीजों को दर संविदा पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से इम्प्लांट्स क्रय कर नि:शुल्क लगाये जाने का प्रावधान है। अन्य मरीजों हेतु ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में खेल प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश देने की योजना

46. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों के खेल प्रमाण-पत्रों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है एवं प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतु किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि काफी समय से उक्त महाविद्यालयों में बिना खेल प्रमाण-पत्र के ही नियम विरुद्ध प्रवेश दिये जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक परिषद् की ओर से न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभी महाविद्यालयों में वास्तविक राष्ट्रीय/राज्य प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश देने का निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 1 राजकीय एवं 9 निजी क्षेत्र में, कुल 10 शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण (बी.पी.एड.) महाविद्यालय संचालित हैं। महाविद्यालयों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) उक्त महाविद्यालयों में बी पी एड कोर्स हेतु प्रवेशार्थियों के लिए स्नातक उत्तीर्ण एवं खेल प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं, जिसकी न्यूनतम खेल योग्यता जिला स्तरीय खेल प्रमाण पत्र है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

प्रवेशार्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) सभी शिक्षा प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों की बी.एड. पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा जारी विनियम में निर्धारित योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा (बी पी एड) के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षक परिषद के विनियम 2014 के प्रवेश योग्यता मानदण्ड परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं। इन नियमों में परिवर्तन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के शहरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की योजना

47. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के सभी शहरों में सफाई व्यवस्था हेतु कचरा एकत्रिकरण के लिए डोर-टू-डोर कचरा प्रोजेक्ट लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन शहरों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कचरा एकत्रिकरण हेतु भूखण्डधारियों/मकान मालिकों से कितना शुल्क वसूला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने कोटा शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की शुरुआत कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की शुरुआत कर दी जायेगी?

(4) क्या सरकार कोटा शहर में कचरे के निस्तारण एवं कचरे से विद्युत उत्पादन के संयंत्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर पर एन जी ओ/मोहल्ला विकास समिति व निकायों में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से

(स्वायत्त शासन मंत्री)

घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य करवाया जा रहा है। राज्य के नगरीय निकायों में कुल 1,450 वार्डों में कार्य चल रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक सभी नगरीय निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण/एकत्रिकरण प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा।

(2) जी हां। शुल्क वसूली हेतु जारी विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.03.2015 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। घर-घर कचरा संग्रहण प्रोजेक्ट के लिए निविदा आमंत्रित की जानी प्रस्तावित है।

(4) जी, हां। उक्त कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा की अंतिम तिथि 12.04.16 है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ बांध (जयपुर) में पानी लाने की योजना

48. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के प्रसिद्ध जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त बांध से जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती थी और वर्तमान में बांध से लेकर जयपुर तक पानी की पाइपलाइन भी डली हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार बीसलपुर का पानी उक्त पाइपलाइन के जरिए जमवारामगढ़ बांध में डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रसिद्ध जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने हेतु परिकल्पित योजना, जिसमें चम्बल नदी की सहायक मेज नदी में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष पानी को अपवर्तित किया जाना है, को राज्य में प्रस्तावित नदियों को जोड़ने की अन्य योजना "पार्वती, कालीसिंध, मेज, चाकन, बनास, पार्बती (धोलपुर)" के साथ समग्र रूप से तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं के अध्ययन हेतु डी पी आर तैयार करने की कार्यवाही

(जल संसाधन मंत्री)

प्रगतिरत है, डी पी आर प्राप्ति पश्चात् गुणावगुण आधार पर प्रकरण में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। जी नहीं, क्योंकि बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग पूर्व में ही निर्धारित है।

धूंधेश्वर धाम (गंगापुर सिटी) को पर्यटक स्थल घोषित करने की योजना

49. **श्री मान सिंह** (गंगापुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी के पास स्थित धूंधेश्वर धाम महत्वपूर्ण दर्शनीय धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों से लोग दर्शन करने व वर्षा के दिनों में झरनों का आनंद लेने के लिए आते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गंगापुर सिटी के पास स्थित धूंधेश्वर धाम महत्वपूर्ण दर्शनीय धार्मिक स्थल है।

(2) पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थल स्वतः पर्यटन स्थल बन जाता है।

बाड़मेर जिले में माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) के कार्यालय की स्थापना

50. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) व (द्वितीय) कार्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) व (द्वितीय) कार्यालय खोलने के कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का एक ही कार्यालय है? यदि हां, तो क्या सरकार बेहतर प्रशासन हेतु जिला बाड़मेर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) एवं (द्वितीय) के कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 9 जिलों यथा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं उदयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम व द्वितीय के कार्यालय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। एक जिले में दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं हैं, अपितु क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) व (द्वितीय) कार्यालय खोले गये हैं।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति के आधार पर बेहतर प्रशासन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (द्वितीय) का कार्यालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

बांसवाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

51. **श्री धनसिंह रावत** (बांसवाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितनी आंगनबाडी कार्यकर्ता व कितनी आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं? आंगनबाडी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहयोगिनियों को स्थायी करने का विचार रखती है?

(3) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के अन्तर्गत बांसवाडा शहर में 64 कार्यकर्ता, 3 मिनी कार्यकर्ता; छोटी सरवन में 113 कार्यकर्ता, 19 मिनी कार्यकर्ता; तथा तलवाड़ा में 164 कार्यकर्ता, 7 मिनी कार्यकर्ता, 318 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं, जिनका आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इन्हें स्थायी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूर्णतः अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत महिला एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम हेतु समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

लाभान्वितों को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	लाभान्वितों की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स
2	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स
3	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	नाश्ता, गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/मीठा दलिया)
4	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/मीठा दलिया)
5	गर्भवती/धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं	155 ग्राम बेबीमिक्स

उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश विद्युत पोलों को सड़क पर सुव्यवस्थित रखने की योजना

35. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न उपखण्डों में ठेकेदारों के मार्फत सप्लाई किये जाने वाले आर.सी.सी. पोलों को खाली करते समय सड़क के किनारे ही खाली कर दिये जाते हैं, जिससे कई बार विद्युत पोलों से टकराकर लोग घायल हो रहे हैं? क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विद्युत वितरण निगमों द्वारा विभिन्न फर्मों से लिये जाने वाले पी.सी.सी. पोल सामान्यतया उपखण्ड कार्यालय स्टोर/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय स्टोर अथवा सब-स्टेशन पर उतरवाये जाते हैं। उक्त स्थानों पर जगह की अनुपलब्धता होने की स्थिति में पोल कार्यस्थल के नजदीक उपयुक्त स्थान पर सडक से उचित दूरी पर उतारे जाते हैं।

उक्त उतारे गये पोलों से टकराकर घायल होने सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी सभी ठेकेदारों/अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में उचित सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया जाता है। अगर आमजन को कोई असुविधा/शिकायत होती है तो अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर पोल उतारे जाते हैं।

प्रदेश में भामाशाह योजना से लाभार्थी

36. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में भामाशाह योजना कब से लागू की गई तथा उक्त योजना के मूल उद्देश्य क्या निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में अब तक कितने परिवारों को भामाशाह कार्ड वितरित किये जा चुके हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत पात्र सभी परिवारों को कार्ड कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितने पात्र परिवारों को लाभान्वित/सहायता राशि प्रदान की गई है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में पात्र परिवारों को मिलने वाली विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन भी उक्त योजना से जोड़कर परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में कितने पात्र परिवारों को भामाशाह कार्ड वितरित किये गये हैं तथा कितने पात्र परिवार लाभान्वित होने से वंचित हैं? वंचित रहने के कारणों सहित जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त योजनान्तर्गत भामाशाह कार्ड बनाने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये तथा कार्ड बनाने हेतु किन फर्मों से एम.ओ.यू. किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त एजेन्सियों को प्रति कार्ड कितनी राशि का भुगतान करना निर्धारित किया गया है तथा इस योजना में अब तक कितना भुगतान किया गया? इनकी कार्य अवधि कितने माह/वर्ष की निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की गई थी, परन्तु वर्ष 2009 से आगे इस योजना की क्रियान्विति नहीं हुई। राज्य में दिनांक 15 अगस्त 2014 से पुन: भामाशाह योजना को सवंर्धित रूप में इसे अधिक बड़े एवं विस्तृत रूप में लागू किया गया है। इसमें विभिन्न सरकारीयोजनाओं के नगद व गैर-नगद लाभों के पारदर्शी एवं त्वरित वितरण हेतु राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रानिक ढांचे (भामाशाह प्लेटफार्म) का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है।

योजना के मूल उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के नगद व गैर-नगद लाभों का पारदर्शी एवं त्वरित वितरण करना है।

(2) भामाशाह योजनान्तर्गत अब तक कुल 60.00 लाख भामाशाह कार्डों का वितरण किया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(आयोजना मंत्री)

(3) भामाशाह नामांकन/नामांकन में संशोधन/अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। परिवार के सभी सदस्यों के नामांकन तथा द्विस्तरीय सत्यापन उपरान्त भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। यह सतत् प्रक्रिया है।

(4) भामाशाह योजना प्लेटफार्म से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वितों की विधान सभा वार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को शीघ्र व पारदर्शी रूप से लाभ प्रदान करने हेतु भामाशाह योजना से जोड़ा जा चुका है।

राज्य में अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.35 लाख लाभार्थियों को भामाशाह कार्ड वितरित किये गये हैं। शेष 16.65 लाख परिवारों को भामाशाह योजना प्लेटफार्म से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलेवार विवरण (परिशिष्ट-3) संलग्न है।

भामाशाह प्लेटफॉर्म से जुडने तक सभी पात्र लाभार्थियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा पूर्व की भांति नियमित रूप से लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

(6) भामाशाह कार्ड बनवाने हेतु मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-4) की प्रति संलग्न है।

कार्ड बनाने हेतु M/s IL & FS Technologies Ltd., Mumbai को कार्यादेश दिया गया है।

(7) उक्त एजेंसी को प्रति कार्ड 14 रुपये 30 पैसे की दर से भुगतान किया जा रहा है। एजेंसी को अब तक 5,92,01,313 रुपये कार्ड प्रिंटिंग हेतु भुगतान किया गया है।

एजेंसी की कार्य अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

(विवरण, सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-37

(स्थगित)

शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतनमान

38. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शासन सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के सेवा नियमों एवं अधीनस्थ कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के सेवा नियमों में भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों? उक्त दोनों संवर्गों के सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शासन सचिवालय सेवा में मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया समान होने के उपरान्त भी उनके वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसरों में भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शासन सचिवालय सेवा की मंत्रालयिक सेवा में एन्ट्री का पदनाम एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा में एन्ट्री का पदनाम एक समान है? यदि हां, तो दोनों संवर्गों में भर्ती प्रक्रिया एवं पदनाम समान होने के उपरान्त भी उनके वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसरों में भिन्नता के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोनों संवर्गों में वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसरों की भिन्नता को दूर कर सभी कर्मियों को समान वेतनमान एवं समान पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मियों के लिए पृथक-पृथक सेवा नियम बने हुए हैं। उसी अनुसार उनके परिलाभ एवं सेवा शर्तें पृथक-पृथक हैं, जो राजकीय नीति निर्णय के तहत उनके पद की विशिष्ट कार्यप्रकृति एवं जिम्मेदारियों के अनुरूप निर्धारित किये हुए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-क एवं ख पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि दोनों संवर्गों की भर्ती प्रक्रिया समान है तथा मेरिट एवं प्राथमिकता के आधार पर सचिवालय एवं अन्य विभागों में नियुक्तियां दी जाती हैं। उच्च मेरिट क्रमांक वाले अभ्यर्थी को शासन सचिवालय एवं उससे निम्न मेरिट क्रमांक वाले अभ्यर्थी को अधीनस्थ कार्यालय के लिए चयनित किया जाता है तथा दोनों संवर्गों की कार्यप्रकृति एवं जिम्मेदारियों में भी भिन्नता है।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(कार्मिक मंत्री)

(4) सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मियों के लिए पृथक-पृथक सेवा नियम बने हुए हैं। उसी अनुसार उनके परिलाभ एवं सेवा शर्तें पृथक-पृथक हैं, जो राजकीय नीति निर्णय के तहत उनके पद की विशिष्ट कार्यप्रकृति एवं जिम्मेदारियों के अनुरूप निर्धारित किये हुए हैं जिनमें भिन्नता स्वाभाविक है। अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को समुचित पदोन्नति अवसर एवं परिलाभ प्रदान किये जा रहे हैं। अतः तदनुसार एकरूपता का औचित्य न होने से, वर्तमान में तत्सम्बन्धी संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

39. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राज्य कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है?

(2) 1 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक राज्य में किन-किन विभागों के मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु पत्रावली राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है? नाम, दिनांक व विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के प्रकरण लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा लम्बित प्रकरणों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) नियमानुसार प्रक्रियात्मक अपेक्षा के कारण।

(4) नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नवीन भर्ती किये जाने की योजना

40. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कम है? यदि हां, तो क्या सरकार नवीन भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। नियुक्ति की तिथि सहित सूची संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में विभाग में विभिन्न पदों के लिए 220 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

41. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में 25 हजार मेगावाट का विद्युत ऊर्जा उत्पादन सोलर ऊर्जा के माध्यम से किये जाने की घोषणा फरवरी, 2014 के अन्तरिम बजट में की गई थी?

(2) सरकार द्वारा जारी नई सौर ऊर्जा नीति, 2014 का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु किन कम्पनियों के द्वारा एम.ओ.यू. किये गये तथा सभी के द्वारा कितना-कितना उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरसिंह)

(4) 31 दिसम्बर, 2015 तक उक्त कम्पनियों में से कौन-कौनसी कम्पनी द्वारा कहां-कहां व कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नई सौर ऊर्जा नीति-2014 की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों के साथ 24,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट एवं 1,500 मेगावाट क्षमता के सोलर विण्ड हाईब्रिड प्रोजेक्ट्स विकसित करने हेतु एम ओ यू हस्ताक्षर किये गये हैं, जिनका पूर्ण विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) उक्त कम्पनियों में से मैसर्स अज्योर पावर इंडिया द्वारा 105 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिनका विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ब्यावर में विद्युत करंट से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा

42. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2010 से अब तक कितने व्यक्तियों/पशुओं की विद्युत करंट के कारण मृत्यु हो चुकी है? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युत करंट से मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी जाती है? कितने लोगों को विभाग द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई तथा कितने लोगों को नहीं दी गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्युत करंट से मरने वाले सभी परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2010 से अब तक 10 आमजन, 1 निगमकर्मी तथा 37 पशुओं की विद्युत करंट से मृत्यु के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनके नाम-पते सहित विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) डिस्काम के परोक्ष/अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार होने की स्थिति में विद्युत करंट से मृत्यु होने पर मुआवजा/सहायता राशि दी जाती है। दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2010 से अब तक विद्युत करंट से हुई मृत्यु में दी गई सहायता राशि तथा जिन प्रकरणों में सहायता राशि नहीं दी गई, का कारण सहित विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) डिस्काम के परोक्ष/अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार होने की स्थिति में विद्युत करंट से मरने वाले परिवार के लिए वर्ष 2013 में मुआवजा राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई थी। सम्बन्धित आदेश की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। वर्तमान में उक्त मुआवजा राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रूदावल पुलिस थाना (भरतपुर) के नवीन भवन का निर्माण

43. **श्री बच्चू सिंह** (बयाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना रूदावल पुरानी चौकी में संचालित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा थाने के नवीन भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने हेतु बिजली घर के पास जमीन आबंटित होकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार उक्त थाना बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि थाना रूदावल पुरानी चौकी में संचालित है। नये थाने के निर्माण हेतु 12 लाख 42 हजार रुपये प्राप्त हुए जिनसे काम शुरू हो

(गृह मंत्री)

गया था। नये भवन के ऊपर 11 हजार केवी की विद्युत लाइन निकल रही है। उक्त लाइन हटने के बाद भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) यह सही है कि उक्त नये थाने का भवन बिजली घर के पास है। उक्त थाने के लिए 4 बीघा 1 बिस्वा जमीन आबंटित है, जिसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था जो इस भवन के उपर 11 हजार के.वी. विद्युत लाइन निकलने के कारण से बन्द हो गया है। उक्त विद्युत तारों के हटने एवं नया बजट आबंटित होने के बाद नये भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) पुलिस थाना रूदावल के निर्माण हेतु 12.42 लाख रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में छज्जा लेवल तक निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। उक्त विद्युत तारों के हटने के बाद उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यकतानुसार बजट आबंटन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की स्थानान्तरण नीति

44. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल पुरुष एवं महिला की एक ही रेंज में जिले से गृह जिले व रेंज से रेंज स्थानान्तरण नीति 2008 में क्या-क्या प्रावधान थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबलों का स्थानान्तरण जिले से गृह जिले व रेंज से रेंज किस नीति के तहत किया जा रहा है एवं उसमें क्या-क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई विशेष जिलों में अलग-अलग स्थानान्तरण नीति है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों में?

(4) क्या राजस्थान पुलिस में भर्ती कांस्टेबलों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने कांस्टेबलों को बी.एड. व एल.एल.बी. करने की अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पुरुष एवं महिला की एक ही रेंज में जिले से गृह जिले व रेंज से रेंज स्थानान्तरण नीति 2008 के नाम से कोई नीति नहीं है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस द्वारा एक परिपत्र क्रमांक 4 (1)पुलिस-ए/राज./95/998-1118 दिनांक 05.05.2005 जारी किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबलों का स्थानान्तरण जिले से गृह जिले व रेंज से रेंज में स्थानान्तरण हेतु महानिदेशक, पुलिस के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 788-937 दिनांक 28-01-2015 किया गया है। प्रति परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। पिछले पांच वर्षों में बी.एड. करने की अनुमति किसी को प्रदान नहीं की गई है। एल.एल.बी. करने हेतु दो कांस्टेबलों को जोधपुर आयुक्तालय से अनुमति प्रदान की गई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में हथियार लाइसेंस जारी करने के नियम

45. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस धारियों को लाइसेंस पर कितने हथियार रखने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों के पास 2 हथियार हैं, वे 3 हथियार अपने नाम पर दर्ज करवा सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानानुसार सामान्यतया एक अनुज्ञाधारी तीन शस्त्र तक धारण कर सकता है।

(2) उपरोक्तानुसार एक अनुज्ञाधारी अधिकतम तीन शस्त्र तक धारण कर सकना प्रावधित है। प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त शस्त्र की अनुमति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

प्रदेश में नाबालिग बच्चों के अपहरण को रोकने हेतु मानव तस्करी निरोधी यूनिट की स्थापना

46. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नाबालिग बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से रोकने एवं अपहरण करवाकर भीख मंगवाने वाले गिरोह को पकड़ने हेतु मानव तस्करी निरोधी यूनिट की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) प्रदेश में गत दो वर्षों में मानव तस्करी यूनिट द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य करते हुए बालकों एवं गिरोह द्वारा बच्चों से भीख मंगवाने जैसे लिप्त कार्यों के अब तक कितने प्रकरण दर्ज किये हैं तथा कितनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं यू.पी. पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है? यदि हां, तो कब व उस गिरोह से प्रदेश के गुमशुदा कितने बालक-बालिकाओं के अपहरण के प्रकरण सामने आये? नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा मानव तस्करी रोकने हेतु मानव तस्करी विरोधी यूनिट की स्थापना गृह (ग्रुप-2) विभाग के क्रमांक एफ26(क) (7) गृह-2/2010 दिनांक 14-06-2011 के आदेश से सर्वप्रथम 6 जिलों में हुई थी। तत्पश्चात् गृह (ग्रुप-2) विभाग के क्रमांक एफ26(क)(7)गृह-2/2010 दिनांक 20-03-2012 द्वारा अन्य 6 जिलों में स्थापना हुई। शेष जिलों में गृह (ग्रुप-2) विभाग के क्रमांक एफ26(क)(7)गृह-2/2010 दिनांक 26-02-2013 द्वारा उक्त यूनिट की स्थापना की गई। विवरण परिशिष्ट अ पर अंकित है।

(2) प्रदेश में मानव तस्करी यूनिट द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य करते हुए बालकों एवं गिरोह द्वारा बच्चों से भीख मंगवाने जैसे कार्यों में लिप्त होने के अब तक 292 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा 367 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर अंकित है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-47

(स्थगित)

प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. का लाभ

48. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1992 में आर.पी.एस.सी. क्लीयर कर चुके चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विसंगति के कारण अनेक कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अपने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने एवं क्या यह नियमानुसार सही है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण सरकार के स्तर पर काफी समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि डी.ए.सी.पी. का लाभ नहीं देने से उक्त चिकित्सा अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है?

(5) सरकार अब कब तक वर्ष 1992 के आर.पी.एस.सी. बैच के सभी चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. का लाभ देने का विचार रखती है?

(6) क्या सरकार डी.ए.सी.पी. का लाभ देने तक का निर्णय होने तक उपरोक्त वंचित चिकित्सा अधिकारियों को बीस वर्ष की सेवा अवधि का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 12.06.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में संशोधन किये जाने पर आर.पी.एस.सी. 1992 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक पदोन्नत चिकित्सकों में से योग्य पाये गये चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। नोटिफिकेशन दिनांक 12.06.2015 की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पदोन्नत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

133 चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में कोई कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अपने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के विकल्प संख्या 2 एवं 3 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी जो दिनांक 11.07.2011 को 12 से 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को दिनांक 01.04.2014 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति का लाभ दिये जाने से वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में डी पी सी से प्रथम पदोन्नति प्राप्त चिकित्सकों से वेतन विसंगति होने की सम्भावना है। चूंकि विद्यमान नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार इन चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति दिनांक 01.04.2016 एवं 01.04.2017 से देय होगी, इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 12.06.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में संशोधन किया जा चुका है।

वर्ष 1992 के चयनित चिकित्सा अधिकारी, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2009-2010 व 2010-2011 में पदोन्नत हुए हैं, ऐसे 133 चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) वित्त विभाग के मेमोरेंडम क्रमांक एफ.14(9) एफ.डी (रूल्स)/2011 दिनांक 09.08.2011 के द्वारा चिकित्सकों को ए.सी.पी. के स्थान पर दिनांक 11.07.2011 से 6, 6 एवं 6 वर्ष की राज्य सेवा पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। दिनांक 11.7.2011 के पश्चात् 20 वर्ष की राज्य सेवा पर नियमानुसार ए.सी.पी. देय नहीं है। मेमोरेंडम दिनांक 09.08.2011 की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(5) आर.पी.एस.सी. 1992 बैच के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पदोन्नत चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन होने पर इन चिकित्सकों को भी डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

(6) जी नहीं। वित्त विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 09.08.2011 के अनुसार चिकित्सकों को दिनांक 11.7.2011 के पश्चात् 20 वर्ष की राज्य सेवा पर नियमानुसार ए.सी.पी. देय नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनबाड़ (झालावाड़) का क्रमोन्नयन

49. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार झालावाड़ जिले के पनबाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम पनबाड़ पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति खानपुर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति खानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनबाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) के पद को भरने की योजना

50. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) का

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

नवीन पद सृजित किया गया है? यदि हां, तो कब एवं इस पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त पद रिक्त है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

बाड़मेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

51. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्कृत महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला मुख्यालय, बाड़मेर पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार क्रमोन्नति हेतु प्रस्तावित वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की कक्षा-12 में छात्र संख्या न्यूनतम 40 होनी चाहिये, जबकि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, इन्द्रानगर, बाड़मेर में कक्षा-12 में मात्र दस ही छात्र हैं। अत: मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम छात्र संख्या नहीं होने के कारण बाड़मेर मुख्यालय में शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता

52. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शहीद की परिभाषा में लिये गये सैनिक/अर्धसैनिक बल व अन्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) विगत 5 वर्षों में आतंकवादी हमलों में प्रदेश के कितने जवान शहीद हुए? जिलेवार, नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा शहीद के आश्रितों को क्या-क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में शहीद स्मारक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा जारी आर्मी आर्डर एपेंडिक्स ए टू 01/2003/एमपी संदर्भ 5 के तहत बैटल कैजुअल्टी एवं फिजिकल कैजुअल्टी को परिभाषित किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में आतंकवादी हमलों में राजस्थान के 82 जवान शहीद हुए हैं। इसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा शहीद हुए परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं/सहायता का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) शहीद स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई नियम/नीति नहीं बनाई गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में स्लरी के लिए स्थान का निर्धारण

53. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जालौर में ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज उत्पादन से निकलने वाली स्लरी के निस्तारण हेतु स्थान का निर्धारण करने के लिए भूमि आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु अधिकारियों को विशेष निर्देश देकर भूमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रेनाइट इकाइयों की स्लरी एवं मलबे के निस्तारण हेतु जिला

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कलक्टर, जालौर के आदेश दिनांक 27.06.05 के द्वारा खसरा नं. 106 रकबा 8.90 है, एवं खसरा नं. 2286 में से 2.50 हे. भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु आरक्षित की गई थी। खसरा नं. 2286 की भूमि स्लेरी निस्तारण के काम में ली जा रही है तथा खसरा नं. 106 के सम्बन्ध में प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र की विकसित कालोनियों में सी.सी. खरंजा का निर्माण

54. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में विकसित नई कालोनियों में सी.सी. खरंजा नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनियों में सी.सी. खरंजा निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नगरपालिका बाड़ी की अनुमोदित कालोनियों में सी सी खरंजे निर्माण के कार्य हेतु टेण्डर किये गये थे, जो टेण्डर उपापन समिति द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं। अब निविदाएं पुनः आमंत्रित की जायेंगी।

सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम नं. 16 व 16जी का नियमन

55. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. स्कीम नं. 16 व 16जी का नियमन कैम्प पूर्व में दिनांक 9 व 10 दिसम्बर, 2012 को आयोजित किया गया था? यदि हां, तो उस समय नियमन दर क्या निर्धारित की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(2) क्या यह भी सही है कि सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम नं. 16 व 16जी पृथक-पृथक योजना है? यदि नहीं, तो इसको पृथक-पृथक नहीं मानने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना की स्कीम नं. 16 व 16जी में कौन-कौन से खसरे सिवाय चक में हैं तथा कौन-कौनसे खसरे कृषि भूमि में हैं तथा किस-किस खसरे में कौन-कौन से प्लाट हैं? प्लाट नम्बर एवं मालिक के नाम की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं का नियमन शिविर माह दिसम्बर, 2015 में आयोजित किया गया था? यदि हां, तो इसमें नियमन दर निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाकर क्या नियमन दर निर्धारित की गयी? नियमन दर निर्धारित करने सम्बन्धी कार्यवाही व जिस नक्शे से नियमन किया गया है, की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति में सिवाय-चक की भूमि पर आबंटित भूखण्ड एवं कृषि भूमि पर आबंटित भूखण्डों की नियमन दर एक ही निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो क्यों? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना के नियमन शिविर में नियमन प्रारम्भ होने की तिथि से 31 जनवरी, 2016 तक किन-किन भूखण्डों का नियमन किया गया? भूखण्ड की संख्या, माप व मालिक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं. 16 व 16जी (सिन्धु नगर) का नियमन कैम्प दिनांक 9 व 10.12.2002 को आयोजित किया गया था। नियमन दर राज्य सरकार के तत्समय प्रचलित आदेश संख्या प.5(2)नविवि/3/99/पार्ट दिनांक 27.09.99 के आधार पर जोन स्तरीय समिति द्वारा 200 वर्ग गज तक के भूखण्ड के लिए 66 रु. प्रति वर्ग गज तथा 200 वर्ग गज से अधिक के भूखण्ड के लिए 86 रु. प्रति वर्गगज निर्धारित की गई थी। तत्समय विवाद के कारण कैम्प स्थगित कर दिया गया था। नियमन दर सम्बन्धी जेड.एल.सी. की कार्यवाही की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) सिन्धु नगर की स्कीम 16 व 16जी एक ही योजना है, पृथक-पृथक नहीं हैं। समिति द्वारा 16 व 16जी का एक ही योजना के रूप में मानचित्र व अन्य पत्रादि अनुमोदन हेतु दिनांक 10.12.85 को जोन में प्रस्तुत किये गये थे। सिन्धु नगर विकास समिति स्कीम नं. 16 व 16जी मुरलीपुरा द्वारा नियमन हेतु प्राधिकरण में आवेदन किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1ए पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना में खसरा नं. 16, 17, 19, 23, 51, 52, 54/65 ग्राम मुरलीपुरा की भूमि तहसीलदार, जयपुर की रिपोर्ट अनुसार सिवायचक हैं। तहसीलदार, जयपुर के पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

योजना में सम्मिलित कृषि ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा तहसील जयपुर के खसरा नं. 111 से 118 हैं, जिनकी दिनांक 28.12.99 को 90बी होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार सिवायचक एवं कृषि भूमि के खसरा नम्बरवार भूखण्ड की सूची परिशिष्ट-3 एवं मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-4 व पी.टी. सर्वे की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न हैं। प्लाट नम्बर एवं मालिकों की सूची परिशिष्ट-5ए पर संलग्न है।

(4) योजना का नियमन शिविर दिनांक 15.12.2015 से 23.12.2015 तक आयोजित किया गया था। योजना में शामिल ग्राम मुरलीपुरा की सिवायचक भूमि तथा ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा की कृषि भूमि शामिल होने के कारण राज्य सरकार के आदेश प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 07.01.2000 (प्रति परिशिष्ट-6) में दिये गये मापदण्डों के अनुरूप राजकीय भूमि की दर राज्य सरकार के आदेश प.3(50)नविवि/3/12 दिनांक 21.09.2012 (प्रति परिशिष्ट-7) के अनुसार आरक्षित दर रु. 14000/- प्रति व.मी. का 25 प्रतिशत 3,500/- रु. प्रति व.मी. अर्थात् 2927/- रु. प्रति व.ग. एवं कृषि भूमि की नियमन दर राजकीय आदेश प.5(2)नविवि/99 दिनांक 27.09.1999 (प्रति परिशिष्ट-8) के आधार पर गणना की जाकर नियमन दर निर्धारित की गई हैं।

उपरोक्तानुसार गणना से 200 व.ग. तक के भूखण्ड की नियमन दर 895/- रु. प्रति व.ग. एवं 200 व.ग. से अधिक के भूखण्ड की 915/- रु. प्रति व.ग. निर्धारित की गई है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सम्बन्धित राजकीय आदेशों (प्रति परिशिष्ट-6, 7, 8) एवं नियमन दर निर्धारित करने सम्बन्धी कार्यवाही विवरण (प्रति परिशिष्ट-9) की छाया-प्रतियां एवं योजना के नक्शे की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) योजना के समस्त भूखण्डों के क्षेत्रफल अनुसार एक ही दर निर्धारित की गई है। योजना में नियमन दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार के आदेश प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 07.01.2000 में दिये गये मापदण्ड अपनाये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(6) उक्त योजना में नियमन शिविर प्रारम्भ होने से दिनांक 31.01.2016 तक नियमित किये गये भूखण्डों का वांछित विवरण अंकित कर सूची परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में शेल्टर-फार-अरबन-होमलेस योजना के तहत शरण स्थलों का निर्माण

56. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शेल्टर-फार-अरबन-होमलेस परियोजना (एस यू एच) के तहत किन-किन शहरों में कितने-कितने शरण स्थलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया तथा इनमें से कितने शरण स्थलों का निर्माण पूर्ण हो गया?

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत किन-किन जगहों पर शरण स्थलों में जरूरतमंद व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है तथा उन्हें क्या -क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में 75 फीसदी वित्तीय योगदान केन्द्र सरकार का होने के बावजूद प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शरण स्थलों का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उक्त योजना में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की 40 नगरीय निकायों में एस

(स्वायत्त शासन मंत्री)

यू एच घटक के तहत वर्ष 2014-15 में 35 तथा वर्ष 2015-16 में 16 नवीन, 05 पुनरुद्धार के प्रस्ताव स्वीकार किये गये। स्वीकृत आश्रयस्थलों में से 10 आश्रयस्थल पूर्ण हो चुके हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अब तक निर्मित सभी 10 आश्रयस्थलों मे एस यू एच गाइडलाइंस के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण/आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 21 एवं वर्ष 2015-16 में 30 आश्रयस्थल लक्षित किये गये थे, जिनके विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 35 एवं 2015-16 में 21 आश्रयस्थलों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 9 आश्रयस्थलों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों की जांच

57. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में निर्मित कितनी सड़कों के सेम्पल की जांच कराई गई? उनमें से कितने सेम्पल फेल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस प्रकरण में किस-किस अभियंता ने पूर्व में सेम्पल फेल होने के पश्चात् स्वयं के स्तर पर सेम्पल की पुन: जांच कराकर सेम्पल पास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया? अभियंता का नाम एवं सेम्पल पास करने वाली लैब के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा दोषी अभियंताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) सेम्पल फेल होने वाली कितनी सड़कें अभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में हैं? क्या सरकार इनकी निर्माता एजेन्सी से पुन: सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि किसी सड़क विशेषज्ञ द्वारा भी सड़कों की जांच कर अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया था? यदि हां, तो कब एवं सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के 841 कार्यों में सेम्पलों की जांच करायी गयी, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इनमें से 165 सेम्पल फेल हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत उक्त में से किसी भी प्रकरण में किसी भी अभियन्ता ने पूर्व में सेम्पल फेल होने के पश्चात् स्वयं के स्तर पर सेम्पल की पुन: जांच कराकर सेम्पल पास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। शेष सूचना शून्य है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाये गये 53 अभियन्ताओं को कारण-बताओ-नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।

(4) 165 फेल हुए सेम्पल 64 सड़कों से सम्बन्धित है। इन सड़कों में 40 सड़कों में वांछित सुधार निर्माता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है तथा बाकी की 24 सड़कों में वांछित सुधार दिनांक 31.10.2016 तक कर दिया जाएगा।

(5) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जांच प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा के जीर्ण-शीर्ण खोलों का पुनः निर्माण

58. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पुराने बने पक्के खालों के पुन: निर्माण की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार जीर्ण-शीर्ण हालात के खालों को पुन: बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक कितने खालों का निर्माण किया गया? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पीलीबंगा में पुराने बने पक्के खालों के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण मरम्मत/पुन: निर्माण की आवश्यकता है।

जी नहीं। खालों को पक्का करने के बाद इनका हस्तान्तरण चक

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

समिति/जल उपयोक्ता संगम (WUA) को कर दिये जाने से भविष्य में इनका रखरखाव एवं मरम्मत कार्य चक समिति/जल उपयोक्ता संगम (WUA) द्वारा ही अपने संसाधनों से किया जाना होता है।

(2) विभाग द्वारा वर्ष 2005 से 2015 तक विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में बनाये गये पक्के खालों की पंचायतवार सूचना प्रपत्र 1 में संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

परवन वृहत् सिंचाई परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

59. **श्री भजन लाल जाटव** (वैर) व **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा सम्भाग की प्रस्तावित परवन वृहद् सिंचाई परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कितनी राशि की किस दिनांक को जारी हुई? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सिंचाई परियोजना की पर्यावरण विभाग की स्वीकृति, वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृतियां किस-किस दिनांक को जारी हुईं? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सिंचाई परियोजना की विनिवेश स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से किस दिनांक को जारी हुई? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग की प्रस्तावित परवन वृहद् सिंचाई परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये 2,360.44 करोड़ की दिनांक 30.08.2013 को जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) परवन सिंचाई परियोजना की पर्यावरण विभाग की स्वीकृति दिनांक 25.11.2011 को, वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.08.2013 को, केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को जारी की गईं आदेशों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट 'ब', 'स' एवं 'द' पर संलग्न हैं।

(3) परवन सिंचाई परियोजना की विनिवेश स्वीकृति योजना आयोग

(जल संसाधन मंत्री)

द्वारा दिनांक 10.12.2013 को जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल में अभियन्ताओं के रिक्त पद

60. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद सृजित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से कितने-कितने पद वर्तमान में भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के सभी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल में अधिशासी अभियन्ता का 01 पद, सहायक अभियन्ता के 07 पद व कनिष्ठ अभियन्ता के 14 पद सृजित हैं।

(2) उक्त निर्धारित व सृजित पदों में अधिशासी अभियन्ता का 01 पद, सहायक अभियन्ता के 05 पद व कनिष्ठ अभियन्ता के 05 पद वर्तमान में भरे हुए हैं। सहायक अभियन्ता के 02 पद व कनिष्ठ अभियन्ता के 09 पद रिक्त हैं।

(3) जी नहीं। सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के सभी पद रिक्त नहीं हैं।

(4) सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद नई भर्ती से उपलब्ध हो रहे अभ्यार्थियों से आवश्यकतानुसार भरे जाने प्रस्तावित हैं। कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद स्थानान्तरण द्वारा उपलब्धतानुसार एवं आवश्यकतानुसार भरे जाने प्रस्तावित हैं।

प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की अनुपयोगी सम्पत्तियां

61. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की ऐसी कितनी सम्पत्तियां हैं जिनका निर्माण होने के बाद आज तक कभी भी उपयोग नहीं किया गया है? उनके निर्माण का वर्ष व उनकी तत्समय की लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की कुल कितनी इकाइयां वर्तमान में चालू स्थिति में हैं और कितनी इकाइयां न-हानि व न-लाभ की स्थिति में चल रही हैं तथा कितनी लाभ में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की ऐसी निम्न 6 इकाइयां हैं जिनका निर्माण होने के बाद आज तक उपयोग नहीं किया गया है :-

1. होटल भीलवाड़ा;
2. यात्रिका कैलादेवी;
3. मोटल पिण्डवाड़ा;
4. मोटल सीकर;
5. कैफेटेरिया महेन्सर; एवं
6. कैफेटेरिया मण्डावा।

इन इकाइयों के निर्माण का वर्ष व इनकी तत्समय की लागत का विवरण अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की कुल 45 इकाइयां संचालित हैं। सूची अनुलग्नक-ब पर संलग्न है। इन इकाइयों में से वर्ष 2014-15 में हानि एवं लाभ में चल रही इकाइयों की सूची क्रमशः अनुलग्नक-स एवं द पर संलग्न हैं।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

बांदीकुई की ऐतिहासिक इमारतों/धरोहरों के संरक्षण की योजना

62. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों के संरक्षण के लिए कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की बसवा तहसील में आभानेरी बावड़ी, हर्षदमाता के मंदिर व झाझी रामपुरा के प्राचीन गौमुख के संरक्षण व संवर्धन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों, धरोहरों एवं संग्रहालयों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए वितीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्ययोजना का विवरण परिशिष्ट-'अ' तथा वर्ष 2016-17 में राज्य आयोजना मद अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना/कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा भी वर्ष 2015-16 में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जा रहे हैं एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की बसवा तहसील में आभानेरी स्थित प्राचीन टीला, चांद बावड़ी एवं हर्षदमाता का मन्दिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित हैं तथा इनकी देखरेख एवं संरक्षण के कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर सर्किल, जयपुर द्वारा किये जाते हैं। वर्तमान में उनके द्वारा आभानेरी स्थित बावड़ी एवं हर्षदमाता मन्दिर में निम्न संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं :-

1. चांद बावड़ी, आभानेरी :- विशेष मरम्मत कार्य के अन्तर्गत चूना-सुर्खी मसाले से प्लास्टर कार्य, पत्थर के छज्जे, टोड़े, पान-पत्ती डिजाइन के दासा का कार्य, बाहर स्टोन पिचिंग का कार्य एवं लोहे के गेट, आदि लगाने के कार्य करवाये जा रहे हैं। इन कार्यों पर अनुमानित राशि रुपये 24.50 लाख व्यय की जायेगी।

2. हर्षदमाता मन्दिर, आभानेरी :- विशेष मरम्मत कार्य के अन्तर्गत चूना-सुर्खी मसाले से प्लास्टर कार्य, पुराने कलात्मक पत्थरों को शिफ्ट करना

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

एवं मन्दिर के सामने के मध्य के चबूतरे पर पत्थर का फर्श, आदि कार्य करवाये जा रहे हैं। इन कार्यों पर अनुमानित राशि रुपये 24.90 लाख व्यय की जायेगी।

झाझीरामपुरा के प्राचीन गौमुख राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं हैं और न ही इसके संरक्षण की कोई योजना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्लाक शिक्षा अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा नियम विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण

63. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा (तृतीय श्रेणी शिक्षक) व इससे सम्बन्धित शिक्षण व गैर शिक्षण कार्य का दायित्व पंचायत राज को सुपुर्द किया गया है और प्रत्येक पंचायत समिति में ब्लाक एलीमेंट्री एजुकेशन आफिसर (बी ई ई ओ) द्वारा प्रशासनिक दायित्व निर्वहन किया जाता है?

(2) पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कौन-कौन शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कार्य में कब-कब से पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बी ई ई ओ ने बिना किसी कारण से व स्थानान्तरणों पर रोक के उपरान्त भी स्थानान्तरण किये हैं, ए पी ओ किये हैं और फिर कुछ दिन में पदस्थापित किये हैं? यदि हां, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक किये गये स्थानान्तरणों व ए पी ओ किये गये शिक्षक/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर रोक के दौरान स्थानान्तरण करने के लिए सम्बन्धित कलक्टर की सहमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो क्यो उक्त प्रकरणों में सहमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करा कर दोषी बी ई ई ओ

(श्री किशनाराम)

के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाडा में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय कार्यालय/शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान/विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारी/कार्मिक/शिक्षक, जो शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कार्यों में लगे हुए है, का कार्यालयवार, विद्यालयवार, नामवार व कब से पदस्थापित है, का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को एपीओ/स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(4) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 3 के अनुसार।

(5) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 3 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-64

(स्थगित)

जयपुर शहर के अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. का कार्य

65. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने अध्यापकों को बी.एल.ओ. बनाया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लाक शिक्षा अधिकारी जयपुर (पूर्व) के अधीन कितने विद्यालयों के अध्यापकों को बी.एल.ओ. बनाया गया है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बी.एल.ओ. को अपना कार्य कार्यालय/विद्यालय समय के अलावा एवं अवकाश के दिनों में करना होता है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में जयपुर (पूर्व) के कितने अध्यापकों ने उक्त कार्य

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

विद्यालय समय में कर डी.एल. प्रस्तुत की है? अध्यापक का नाम डी.एल. संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या डी.एल. की जांच की जाती है? यदि हां, तो किसके द्वारा व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार फर्जी डी.एल. प्रस्तुत कर अवकाश पर रहने वाले अध्यापकों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जयपुर शहर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 229 अध्यापकों को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जयपुर एवं उसके अधीन कार्यालयों द्वारा बूथ लेवल आफिसर (बी.एल.ओ.) नियुक्त किया हुआ है।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जयपुर (पूर्व) कार्यालय के अधीन संचालित 10 रा प्रा वि एवं 18 उ प्रा वि कुल 28 विद्यालयों में कार्यरत 49 अध्यापकों को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जयपुर एवं उसके अधीन कार्यालयों द्वारा बूथ लेवल आफिसर (बी.एल.ओ.) नियुक्त किया हुआ है। उनकी नामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(5) प्राशि/2011 जयपुर, दिनांक 09.05.2012 के द्वारा अध्यापकों को उनके कार्यालय/विद्यालय समय के अलावा बी.एल.ओ. का कार्य सम्पादित करने के निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा यथा-अतिरिक्त जिला कलक्टर, एस डी एम, रसद अधिकारी, इत्यादि के द्वारा जारी लिखित व मौखिक आदेशों की पालना में बी एल ओ द्वारा समय/विद्यालय समय में भी कार्य किया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2015 (31.01.16 तक) में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जयपुर (पूर्व) कार्यालय के अधीन कार्यरत अध्यापक जिन्होंने बूथ लेवल आफिसर (बी.एल.ओ.) का कार्य विद्यालय समय में कर कार्य उपस्थिति (डी.एल.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया, का नामवार/कार्य उपस्थिति (डी.एल.) का संख्या सहित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) डी.एल. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रस्तुत की जाती है। डी.एल.

(शिक्षा राज्य मंत्री)

के सम्बन्ध में कोई संशय/संदेह की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवाई जा सकती है।

(5) फर्जी उपस्थिति प्रमाण पत्र का कोई भी प्रकरण विभाग के सामने नहीं आया है। शेष प्रश्नोत्तर भाग संख्या 4 के अनुसार।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगंज-शाहबाद (बारां) के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

66. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में शिक्षकों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में के केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक सम्पूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो बारां जिले में ऐसे विद्यालय कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला बारां के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में दिनांक 31.1.2016 तक व्याख्याताओं के 256, वरिष्ठ अध्यापकों के 100 तथा तृतीय श्रेणी के 292 रिक्त पद स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालयों में पदों के पुनःनिर्धारण से रिक्त माने गये हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 301 रा प्रा वि/उ प्रा वि में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध द्वितीय श्रेणी के 41 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक के 177 एवं प्रबोधक के 2 पद रिक्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रिक्त व्याख्याताओं के पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक आयोग, अजमेर के अधीन 13,098 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पदोन्नति कोटे के व्याख्याताओं व वरिष्ठ

(शिक्षा राज्य मंत्री)

अध्यापकों के पद विभागीय पदोन्नति समिति से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए 15,000 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2016 को रीट परीक्षा, 2015 आयोजित की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये जाने पर पात्र अभ्यर्थियों से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(2) वर्तमान में शिक्षा विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बी.ई.ओ. कार्यालय मारवाड़ जंक्शन के शिक्षकों की अंशदान राशि

67. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मारवाड़ जंक्शन ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के कार्मिकों की अंशदान राशि किस माह तक उनके खाते में जमा की जा चुकी है? क्या माह दिसम्बर, 2015 तक की अंशदान राशि जमा हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? इस हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से ब्याज वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन (पाली) के अधीन कुल 189 कार्मिक अंशदायी पेशन योजना (एन पी एस) में कार्यरत हैं, इनमें से 174 कार्मिकों की मार्च, 2014 से मई, 2015 तक की पेंशन अंशदान राशि उनके खाते में जमा नहीं करवाई गई हैं। उक्त कार्मिकों की उक्त अवधि के अलावा पेंशन अंशदान राशि नियमित रूप से जमा की जा रही है।

उक्त कार्मिकों की माह मार्च, 2014 से मई, 2015 तक की पेंशन अंशदान राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तत्कालीन बी ई ई ओ, मारवाड जंक्शन एवं सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि एवं बीमा विभाग को नहीं

(शिक्षा राज्य मंत्री)

भेजे जाने तथा कार्यालय में ही एकत्रित कर रखे जाने के कारण जमा नहीं करवाई गई।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा शि) पाली के कार्यालय आदेश पत्रांक 801 दिनांक 23.02.2016 के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करवाई जा रही है।

(2) एन पी एस अंशदान राशि सम्बन्धित के खातों में समय पर नहीं जमा कराये जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा शि) पाली के कार्यालय आदेश पत्रांक 801 दिनांक 23.02.2016 के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। प्रकरण की जांच उपरांत दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अलवर जिले में मिशन महिला पूर्व शक्ति कार्यक्रम के प्रेरकों का बकाया मानदेय

68. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले के गांवों में मिशन महिला पूर्व शक्ति कार्यक्रम कब से चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम चलने के बाद किस-किस योजना में क्या-क्या प्रगति हुई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों एवं अन्य पदाधिकारियों का कितनी-कितनी अवधि का कितना-कितना मानदेय किन-किन कारणों से दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इनका बकाया मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में उक्त कार्यक्रम संचालित नहीं है।

(2) शून्य

(3) शून्य

(4) शून्य